बहारे शरीअत

1 से 10

मुसन्निफ

[illegible] अमजद अ़ली आज़[illegible] [illegible]लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

[illegible] [illegible]हम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
दो मीनार मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली

وما ارسلنک الا رحمۃ للعلمین

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

दसवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:--9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअत (दसवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअ़त उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आ़म बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़काइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोजा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाकिफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। कारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उ़लमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि यह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए कारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उ़लमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِهِ الْکَرِیۡمِ

लक़ीत़ का बयान

इमाम मालिक ने अबू जमीला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की उन्होंने हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के ज़माने में एक पड़ा हुआ बच्चा पाया कहते हैं मैं उसे उठा लाया और हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास ले गया उन्होंने फ़रमाया इसे क्यों उठाया जवाब दिया कि मैं न उठाता तो ज़ाइअ़ हो जाता फिर उन की क़ौम के सरदार ने कहा ऐ अमीरुलमोमिनीन यह मर्द सालेह (नेक)है यानी यह ग़लत नहीं कहता फ़रमाया इसे ले जाओ यह आज़ाद है इस का नफ़का हमारे ज़िम्मे है यानी बैतुलमाल से दिया जायेगा सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लक़ीत़ लाया जाता तो उस के मुनासिब हाल कुछ मुक़र्रर फ़रमादेते कि उसका वली (मुलक़ित) माह बा माह लेजाया करे और उस के मुतअ़ल्लिक़ भलाई करने की वसियत फ़रमाते और उस की रज़ाअ़त के मसारिफ़ और दीगर अख़राजात बैतुल माल से मुक़र्रर करते तमीम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक लक़ीत़ पाया उसे हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाये उन्होंने उसे अपने ज़िम्मे लिया इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने लक़ीत़ पाया उसे हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाया उन्होंने फ़रमाया यह आज़ाद है और अगर मैं उस का मुतवल्ली होता यानी मैं उठाने वाला होता तो मुझे फ़ुलाँ फ़ुलाँ चीज़ से यह ज़्यादा महबूब होता उ़र्फ़े शरअ़ में लक़ीत़ उस बच्चे को कहते हैं जिस को उस के घरवाले ने अपनी तंगदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फेंकदिया हो।

मसअ्ला :– जिस को ऐसा बच्चा मिले और मालूम हो कि न उठा लाये तो ज़ाइअ़ व हलाक हो जायेगा तो उठा लाना फ़र्ज़ है और हलाकत का ग़ालिब गुमान न हो तो मुस्तहब (हिदाया)

मसअ्ला :– लक़ीत़ आज़ाद है उस पर तमाम अहकाम वही जारी होंगे जो आज़ाद के लिए हैं अगर्चे उस का उठालाने वाला ग़ुलाम हो हाँ अगर गवाहों से कोई शख़्स उसे अपना ग़ुलाम साबित करदे तो ग़ुलाम होगा। (हिदाया, फतह)

मसअ्ला :– एक मुसलमान और एक काफ़िर दोनों ने पड़ा हुआ बच्चा पाया और हर एक उस को अपने पास रखना चाहता है तो मुसलमान को दिया जाये (फतह)

मसअ्ला :– लक़ीत़ की निस्बत किसी ने यह दअ़्वा किया कि यह मेरा लड़ाका है तो उसी कालड़का क़रार दिया जाये और अगर कोई शख़्स उसे अपना ग़ुलाम बताये तो जब तक गवाहों से साबित न करदे ग़ुलाम क़रार न दिया जाये (हिदाया)

मसअ्ला :– एक के दअ़्वा करने के बाद दूसरा शख़्स दअ़्वा करता है तो वह पहले ही का लड़का हो चुका दूसरे का दअ़्वा बातिल है हाँ अगर दूसरा शख़्स गवाहों से अपना दअ़्वा साबित कर दे तो उस का नसब साबित हो जायेगा दो शख़्सों ने बयक वक़्त उस के मुतअ़ल्लिक़ दअ़्वा किया और

उन में एक ने उस के जिस्म का कोई निशान बताया और दूसरे ने नहीं तो जिस ने निशानी बताई उसी का है मगर जब कि दूसरा गवाहों से साबित कर दे कि मेरा लड़का है तो यही मुस्तहक होगा और अगर दोनों कोई अलामत बयान न करें न गवाहों से साबित करें या दोनों गवाह काइम करें तो लकीत दोनों में मुश्तरक करार दिया जाये और अगर एक ने कहा लड़का है दूसरा कहता है लड़की तो जो सहीह कहता है उसी का है मजहूलुन्नसब भी इस हुक्म में लकीत की मिस्ल है यानी दअ्वा-ए-नसब में जो हुक्म लकीत का है वही उस का है (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– लकीत की निस्बत दो शख़्सों ने दअ्वा किया कि यह मेरा लड़का है उन में एकमुसलमान है एक काफ़िर तो मुसलमान का लड़का करार दिया जाये यूँही अगर एक आज़ाद है और एक गुलाम तो आज़ाद का लड़का करार दिया जाये (हिदाया)

मसअ्ला :– ख़ाविन्द वाली औरत लकीत की निस्बत दअ्वा करे कि यह मेरा बच्चा है और उस के शौहर ने तस्दीक की या दाई ने शहादत दी या दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों ने विलादत पर गवाही दी तो उसी का बच्चा है और अगर यह बातें हों तो औरत का कौल मकबूल नहीं और बे शौहर वाली औरत ने दअ्वा किया तो दो मर्दों की शहातद से उन का बच्चा करार पायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लकीत(यानी उठालाने वाले)से लकीत को जबरन कोई नहीं ले सकता काज़ी व बादशाह को भी इस का हक नहीं हाँ अगर कोई सबब ख़ास हो तो लिया जा जा सकता है मसलन उस में बच्चे की निगेहदाश्त की सलाहियत न हो या मुलतकित (जिसे लकीत मिला) फ़ासिक फ़ाजिर शख़्स है अन्देशा है कि उस के साथ बदकारी करेगा ऐसी सूरतों में बच्चे को उस से जुदा कर लिया जाये (हिदाया फ़तहुलकदीर)

मसअ्ला :– मुलतकित की रज़ा मन्दी से काज़ी ने लकीत को दूसरे शख़्स की तरबियत में देदियाफिर उस के बाद मुलतकित वापस लेना चाहता है तो जब तक यह शख़्स राज़ी न हो वापस नहीं ले सकता (खुलासतुल फ़तावा)

मसअ्ला :– लकीत के जुमला अख़राजात खाना कपड़ा रहने का मकान बीमारी में दवा यह सब बैतुलमाल के ज़िम्मा है और लकीत मरजाये और कोई वारिस न हो तो मीरास भी बैतुलमाल में जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स एक बच्चा को काज़ी के पास पेश कर के कहता है यह लकीत है मैंने एक जगह पड़ा पाया है तो हो सकता है कि महज़ उस के कहने से काज़ी तस्दीक न करे बल्कि गवाह माँगे इस लिए कि मुमकिन हो खुद उसी का बच्चा हो और लकीत इस ग़र्ज़ से बताता है कि मसारिफ़ बैतुलमाल से वुसूल करे और यह सुबूत बहम पहुँच जाने के बाद कि लकीत है नफ़्क़ा वग़ैरा बैतुलमाल से मुकर्रर कर दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लकीत के हमराह कुछ माल है या लकीत किसी जानवर पर मिला और उस जानवर पर कुछ माल भी है माल लकीत का है लिहाज़ा यह माल लकीत पर सर्फ़ किया जाये मगर सर्फ़ करने के लिए काज़ी से इजाज़त लेनी पड़ेगी और वह माल अगर लकीत के हमराह नहीं बल्कि करीब में है तो लकीत का नहीं बल्कि लुक़्ता है जिस का बयान आगे आता है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुलतकित ने बग़ैर हुक्मे काज़ी जो कुछ लकीत पर ख़र्च किया उस का कोई मुआविज़ा

नहीं पा सकता और काज़ी ने हुक्म दे दिया हो कि जो कुछ ख़र्च करेगा वह दैन होगा और उस का मुआविज़ा मिलेगा अगर लक़ीत का कोई बाप ज़ाहिर हुआ तो उस को देना पड़ेगा वरना बालिग़ होने के बाद लक़ीत देगा (फ़तह, आलमगीरी)

मसअ्ला :– लक़ीत पर ख़र्च करने की विलायात मुलतक़ित को है और खाने पीने लिबास वग़ैराज़रूरी अशया ख़रीदने की ज़रूरत हो तो उस का वली भी मुलतक़ित है लक़ीत की कोई चीज़ बैअ् नहीं कर सकता न कोई चीज़ बे ज़रूरत उधार ख़रीद सकता है (हिदाया, फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– लक़ीत को किसी ने कोई चीज़ हिबा की या स़दक़ा किया तो मुलतक़ित को क़बूलकरने का हक़ है क्योंकि यह तो निरा फ़ायदा है उस में नुक़सान अस़लन नहीं (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला :– लक़ीत को इल्मे दीन की तअ्लीम दिलायें और इल्म हासिल करने की सलाहियत उस में नज़र न आये तो काम सिखाने के लिए सनअ्त व हिरफ़त (कारीगरी)के उस्तादों के पास भेजदें ताकि काम सीख कर होशियार हो और काम का आदमी बने वरना बेकारी में निकम्मा हो जायेगा(रदुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुलतक़ित को यह इख़्तियार नहीं कि लक़ीत का निकाह कर दे और असह यह है कि उसे इजारा पर भी नहीं दे सकता। (हिदाया)

मसअ्ला :– लक़ीत अगर समझदार होने से पहले मरजाये तो उस के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी उस को मुसलमान उठा लाया हो या काफ़िर (ख़ुलासा)हाँ अगर काफ़िर ने उसे ऐसी जगह पाया है जो ख़ास काफ़िरों की जगह है मसलन बुत ख़ाना में तो उस के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ी जाये। (फ़त्ह)

लुक़ता का बयान

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ व मुस्नद इमाम अहमद में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स किसी की गुमशुदा चीज़ को पनाह दे (उठाए) वह ख़ुद गुमराह है अगर तशहीर का इरादा न रखता हो।

हदीस न. 2 :– दारमी ने जारदिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान की गुमशुदा चीज़ आग का शोअ्ला है यानी उस का उठा लेना सबबे अज़ाब है अगर यह मक़सूद हो कि ख़ुद मालिक बन बैठे।

हदीस न.3 :– बुज़ारद दारे क़ुतनी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लुक़ता के मुतअ़ल्लिक़ सवाल हुआ और इरशाद फ़रमाया लुक़ता हलाल नहीं और जो शख़्स पड़ा माल उठाये उस की एक साल तक तशहीर करे अगर मालिक आजाये तो उसे देदे और न आये तो सदक़ा कर दे।

हदीस न.4 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व दारमी अयाज़ इब्ने हिमार रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स पड़ी हुई चीज़ पाये तो एक या दो आदिल को उठाते वक़्त गवाह करले और उसे न छुपाये और न ग़ाइब करे फिर अगर मालिक मिल जाये तो उसे देदे वरना अल्लाह का माल है वह जिस को चाहता है देता है इस हदीस में गवाह कर लेने का हुक्म इस मसलिहत से है कि जब लोगों के इल्म में होगा तो अब उस का नफ़्स यह तमअ् नहीं कर सकता कि मैं इसे हज़्म कर जाऊँ और मालिक को न दूँ और अगर उस का अचानक इन्तिक़ाल हो जाये यानी वुरसा से न कह सका कि यह लुक़ता है तो चूँकि लोगों

को लुक़ता होना मालूम है तरका में शुमार नहीं होगी और यह भी फ़ाइदा है कि मालिक उस से यह मुतालबा नहीं कर सकता कि यह चीज़ इतनी ही न थी बल्कि उस से ज़्यादा थी

हदीस़ न.5 :– अबू दाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा दीनार पाया उसे फ़ातमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया(यानी उस वक़्त इन को ज़रूरत थी यह पूछा कि सर्फ़ कर सकता हूँ या नहीं)इरशाद फ़रमाया यह अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उस से खाया और अली व फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी खाया फिर एक औरत दीनार ढूँडती आई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया ऐ अली वह दीनार उसे देदो।

हदीस़ न.6 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में ज़ैदइब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने लुक़ता के मुतअल्लिक़ सवाल किया इरशाद फ़रमाया उस के ज़र्फ़ यानी हथेली और बन्दिश को शनाख़्त कर लो फिर एक साल उस की तशहीर करो अगर मालिक मिलजाये तो देदो वरना तुम जो चाहो करो उस ने दरयाफ़्त किया गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है इरशाद फ़रमाया वह तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए यानी उसका लेना जाइज़ है कि कोई नहीं लेगा तो भेड़िया ले जायेगा उस ने दरयाफ़्त किया गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है इरशाद फ़रमाया तुम उसे क्या करोगे उस के साथ उस की मश्क और जूता है वह पानी के पास आकर पानी पी लेगा और दरयाफ़्त खाता रहेगा यहाँ तक उस का मालिक पालेगा यानी उस के लेने की इजाज़त नहीं।

हदीस़ न.7 :– अबूदाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अ़सा और कोड़े और रस्सी और इस जैसी चीज़ों को उठाकर उसे काम में लाने की रुख़सत दी है।

हदीस़ न.8 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराईल में से एक शख़्स ने दूसरे से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ माँगे उस ने कहा गवाह लाओ जिन को गवाह बनालूँ उस ने कहा कफ़ा बिल्लाहि शहीदन अल्लाह की गवाही काफ़ी है उस ने कहा किसी को ज़ामिन लाओ उस ने कहा कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीलन अल्लाह की ज़मानत काफ़ी है उस ने कहा तूने सच कहा और एक हज़ार दीनार उसे देदिया और अदा की एक मीआद मुक़र्रर कर दी उस शख़्स ने समन्दर का सफ़र किया औरजो काम करना था अन्जाम को पहुँचाया फिर जब मीआद पूरी होने का वक़्त आया तो उस ने कश्ती तलाश की कि जाकर उस का दैन अदा करे मगर कोई कश्ती न मिली नाचार उसने एक लकड़ी में सूराख़ कर के हज़ार अशरफ़ियाँ भर दीं और एक ख़त लिख कर उस में रखा और ख़ूब अच्छी तरह बन्द कर दिया फिर उस लकड़ी को दरिया के पास लाया और यह कहा ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से क़र्ज़ तलब किया उस ने कफ़ील माँगा मैंने कहा कफ़ाबिल्लाहि कफ़ीलन वह तेरी कफ़ालत पर राज़ी होगया फिर उस ने गवाह माँगा मैंने कहा कफ़ाबिलल्लाहि

शहीदन वह तेरी गवाही पर राज़ी हो गया और मैंने पूरी कोशिश की कि कोई कश्ती मिल जाये तो उन का दैन पहुँचा दूँ मगर मयस्सर न आई और अब यह अशरफ़ियाँ मैं तुझ को सुपुर्द करता हूँ यह कह कर वह लकड़ी दरिया में फेंकदी और वापस आया मगर बराबर कश्ती तलाश करता रहा कि उस शहर को जाये और दैन अदा करे अब वह शख़्स जिस ने क़र्ज़ दिया था एक दिन दरिया की तरफ़ गया कि शायद किसी कश्ती पर उस का माल आता हो कि दफ़अतन वही लकड़ी मिली जिस में अशरफ़ियाँ भरी थीं उस ने यह ख़याल कर के कि घर में जलाने के काम आयेगी उस को ले लिया जब उस को चीरा तो अशरफ़ियाँ और ख़त मिला फिर कुछ दिनों बाद वह शख़्स जिस ने क़र्ज़ लिया था हज़ार दीनार लेकर आया और कहने लगा ख़ुदा की क़सम मैं बराबर कोशिश करता रहा कि कोई कश्ती मिलजाये तो तुम्हारा माल तुम को पहुँचा दूँ मगर आज से पहले कोई कश्ती न मिली उस ने कहा क्या तुम ने मेरे पास कोई चीज़ भेजी थी उस ने कहा मैं कह तो रहा हूँ कि आज से पहले मुझे कोई कश्ती नहीं मिली उस ने कहा जो कुछ तुम ने लकड़ी में भेजा था ख़ुदा ने उस को तुम्हारी तरफ़ से पहुँचा दिया यह अपनी एक हज़ार अशरफ़ियाँ लेकर बा मुराद वापस हुआ।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुक़ता उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये

मसअला :– पड़ा हुआ माल कहीं मिला और यह ख़याल हो कि उस के मालिक को तलाश कर के देदूँगा तो उठा लेना मुस्तहब है और अगर अन्देशा हो कि शायद मैं ख़ुद ही रख लूँ और मालिक को न तलाश करूँ तो छोड़ देना बेहतर है और अगर ज़न्ने ग़ालिब हो कि मालिक को न दूँगा तो उठाना नाजाइज़ है और अपने लिए उठाना हराम है और उस सूरत में बमन्ज़िला ग़सब के है और अगर यह ज़न्ने ग़ालिब हो कि मैं न उठाऊँगा तो यह चीज़ ज़ाइअ़ व हलाक हो जायेगी तो उठा लेना ज़रूर है लेकिन अगर न उठाये और ज़ाइअ़ हो जाये तो उस पर तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअला :– लुक़ता को अपने तसर्रुफ़ में लाने के लिए उठाया फिर नादिम हुआ कि मुझे ऐसा करना न चाहिए और जहाँ से लाया वहीं रख आया तो बरीयुज़्ज़िम्मा न होगा यानी अगर ज़ाइअ़ हो गया तो तावान देना पड़ेगा बल्कि अब उस पर लाज़िम है कि मालिक को तलाश करे और उस के हवाला कर दे और अगर मालिक को देने के लिए लाया था फिर जहाँ से लाया था रख आया तो तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर क़िस्म की पड़ी हुई चीज़ उठा लाना जाइज़ है मसलन मताअ़ या जानवर बल्कि ऊँट को भी ला सकता है क्योंकि अब ज़माना ख़राब है न लायेगा तो कोई दूसरा लेजायेगा और मालिक को न देगा बल्कि हज़म कर जायेगा (फ़त्ह वग़ैरा)

मसअला :– लुक़ता मुलतक़ित के हाथ में अमानत है यानी तल्फ़ होजाये तो उस पर तावान नहीं बशर्तेकि उठाने वाला उठाने के वक़्त किसी को गवाह बनादे यानी लोगों से कहदे कि अगर कोई शख़्स अपनी गुमी हुई चीज़ तलाश करता आये तो मेरे पास भेजदेना और गवाह न किया तो तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पड़ेगा मगर जब कि वहाँ कोई न हो और गवाह बनाने का मौक़ा न मिला या अन्देशा हो कि गवाह बनाये तो ज़ालिम छीन लेगा तो ज़मान नहीं (तबईईन बहर)

मसअला :– पड़ा माल उठा लाया और उस के पास से जाइअ् हो गया अब मालिक आया और चीज़ का मुतालबा करता है और तावान माँगता है कहता है कि तुम ने बदनियती से अपने सर्फ़ में लाने के लिए उठाया था लिहाज़ा तुम पर तावान है यह जवाब देता है कि मैंने अपने लिए नहीं उठाया था बल्कि इस नियत से लिया था कि मालिक को दूँगा तो महज उस के कहने से जमान सेकी नहीं जब तक बसूरते इमकान गवाह न करे (हिदाया)

मसअला :– दो शख़्सों ने लुकता को उठाया तो दोनों पर तशहीर लाज़िम है और लुकता के जमीअ् अहकाम दोनों पर हैं और अगर दोनों जारहे थे एक ने कोई चीज़ देखी उस ने दूसरे से कहा उठा लाओ उस ने अपने लिए उठाई तो यह ज़िम्मे दार है और लुकता के अहकाम उस पर हैं हुक्म देने वाले पर नहीं। (जौहरा)

मसअला :– मुलतकित पर तशहीर लाजिम है यानी बाज़ारों और शारेअ् आम और मसाजिद में इतने ज़माने तक एअ्लान करे कि ज़न्ने ग़ालिब हो जाये कि मालिक अब तलाश न करता होगा यह मुद्दत पूरी होने के बाद उसे इख़्तियार है कि लुकता की हिफ़ाज़त करे या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक कर दे मिस्कीन को देने के बाद अगर मालिक आ गया तो उसे इख़्तियार है कि सदका को जाइज़ कर दे या न करे अगर जाइज़ कर दिया सवाब पायेगा और जाइज़ न किया तो अगर वह चीज मौजूद है अपनी चीज़ ले ले और हलाक होगई है तो तावान लेगा यह इख़्तियार है कि मुलतकित से तावान ले या मिस्कीन से जिस से भी लेगा वह दूसरे से रुजूअ् नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– बच्चे ने पड़ा माल उठाया और गवाह न बनाया तो ज़ाइअ् होने की सूरत में उसे भी तावान देना पड़ेगा (बहर)

मसअला :– बच्चे को कोई पड़ी हुई चीज़ मिली और उठा लाया तो उस का वली या वसी तशहीर करे और मालिक का पता न मिला और वह बच्चा खुद फ़कीर है तो वली या वसी खुद उस बच्चा पर तसद्दुक कर सकता है और बाद में मालिक आया और तसद्दुक को उस ने जाइज़ न किया तो वली या वसी को ज़मान देना होगा (बहरुर्राइक)

मसअला :– अगर मुलतकित तशहीर से आजिज़ है मसलन बूढ़ा या मरीज़ है कि बाज़ार वग़ैरा में जाकर एअ्लान नहीं कर सकता तो दूसरे को अपना नाइब बना सकता है कि यह एअ्लान करदे और नाइब को देने के बाद अगर वापस लेना चाहे तो वापस नहीं ले सकता और नाइब के पास से वह चीज़ ज़ाइअ् होगई तो उस से तावान नहीं ले सकता बहरुर्राइक (मुनहतुलख़ालिक)

मसअला :– उठाने वाला अगर फ़कीर है तो मुद्दते मज़कूरा तक एअ्लान के बाद खुद अपने सर्फ़ में भी ला सकता है और मालदार है तो अपने रिश्ते वाले फ़कीर को दे सकता है मसलन अपने बाप, माँ, शौहर, ज़ौजा, बालिग़ औलाद, को दे सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– उठाने वाला फ़कीर था और एअ्लान के बाद अपने सर्फ़ में लाया फिर वह शख़्स मालदार हो गया तो यह वाजिब नहीं कि इतना ही फ़कीर पर तसद्दुक करे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बादशाह या हाकिम लुकता को कर्ज़ दे सकता है चाहे खुद मुलतकित को कर्ज़ देदे या दूसरे को यूँही किसी को बतौर मज़ारिबत (तिजारत के लिए पैसा देना जिस में काम करने वाले का भी फ़ायदा हो और पैसे वाले का भी फ़ायदा हो–कादरी) भी दे सकता है (फ़तहुलकदीर बहर)

मसअला :– मुलतकित के हाथ से लुकता जाइअ् हो गया फिर उस चीज़ को दूसरे के पास देखा तो यह दअ्वा कर के नहीं ले सकता (शलबी जौहरा)

मसअला :– बदमस्त आदमी (नशे में बेहोश आदमी)रास्ता में पड़ा हुआ है और उस का कोई कपड़ाभी वहीं गिरा है उस को हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से जो कोई उठायेगा तावान देना पड़ेगा कि अगर्चे वह नशे में है उस की चीज़ों को हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसों से लोग खुद डरते हैं उन कीचीज़ें नहीं उठाते (शलबी)

मसअला :– जो चीज़ें ख़राब हो जाने वाली हैं जैसे फल और खाने उन का एअ्लान सिर्फ़ इतने वक़्त तक करना लाज़िम है कि ख़राब न हों और ख़राब होने का अन्देशा हो तो मिस्कीन को देदे(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कोई ऐसी चीज़ पाई जो बे क़ीमत है जैसे खजूर की गुठली अनार का छिलका ऐसी अशया में एअ्लान की हाजत नहीं क्योंकि मालूम होता है इसे छोड़देना इबाहत है कि जो चाहे ले ले और अपने काम में लाये और यह छोड़ना तमलीक नहीं कि मजहूल की तरफ़ से तमलीक सहीह नहीं लिहाज़ा वह अब भी मालिक की मिल्क में बाक़ी है (रद्दुल मुहतार)और बाज़ फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि यह हुक्म उस वक़्त है कि वह मुतफ़र्रिक़ हों और अगर इकट्ठी हों तो मालूम होता है कि मालिक ने काम के लिए जमअ् कर रखी हैं लिहाज़ा महफ़ूज़ रखे ख़र्च न करे (बहरुर्राइक़)

मसअला :– लुक़्ता की निस्बत अगर मालूम है कि यह ज़िम्मी की चीज़ है तो उसे बैतुलमाल में जमअ् कर दे खुद अपने तसर्रुफ़ में न लाये न मिस्कीन को दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर मालिक के पता चलने की उमीद नहीं है और मुलतकित के मरने का वक़्त क़रीब आगया तो वसियत कर जाना यानी यह ज़ाहिर कर देना कि यह लुक़्ता है वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुलतकित को लुक़्ता की कोई उजरत नहीं मिलेगी अगर्चे कितनी ही दूर से उठा लाया हो और लुक़्ता अगर जानवर हुआ और उस के खिलाने में कुछ ख़र्च किया हो तो उस का मुआविज़ा भी नहीं पायेगा हाँ अगर क़ाज़ी की इजाज़त से हो और उस ने कह दिया हो कि उस पर ख़र्च कर जो कुछ ख़र्च होगा मालिक से वुसूल कर लेना तो अब मसारिफ़ (ख़र्चे)ले सकता है(बहरुर्राइक़)

मसअला :– जो कुछ हाकिम की इजाज़त से ख़र्च किया है उसे वुसूल करने के लिए लुक़्ता को मालिक से रोक सकता है मसारिफ़ देने के बाद वह ले सकता है और न दे तो क़ाज़ी लुक़्ता को बेचकर मसारिफ़ अदा कर दे और जो बचे मालिक को देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लुक़्ता पर ख़र्च करने की क़ाज़ी से इजाज़त तलब करेगा मगर गवाहों से लुक़्ता होना साबित हो गया तो मसारिफ़ की इजाज़त देगा वरना नहीं और अगर मुलतकित कहता है मेरे पास गवाह नहीं हैं तो क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि अगर तू सच्चा है इस पर ख़र्च कर मालिक आयेगा तो वुसूल कर लेना और अगर तू ग़ासिब है तो कुछ न मिलेगा (हिदाया)

मसअला :– लुक़्ता अगर ऐसी चीज़ हो जिस से मनफ़अ्त हासिल हो सकती है मसलन बैल, गधा,घोड़ा कि उनको किराये पर देकर उजरत हासिल कर सकता है तो हाकिम की इजाज़त से किराया पर दे सकता है और जो उजरत हासिल हो उसी में से उसे खुराक भी दीजाये और अगर ऐसी चीज़ लुक़्ता हो जिस से आमदनी न हो और सरे दस्त मालिक का पता नहीं चलता और उस पर ख़र्च करने में मालिक का नुक़सान है कि कुछ दिनों में अपनी क़ीमत की क़द्र खाजायेगा तो

क़ाज़ी उस को बेचकर उस की क़ीमत महफ़ूज़ रखे कि उसी में मालिक का नफ़अ् है और क़ाज़ी ने बैअ् की या क़ाज़ी के हुक्म से मुलतक़ित ने तो यह बैअ् नाफ़िज़ है मालिक उस बैअ् को रद नहीं कर सकता (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लुक़ता ऐसी चीज़ थी जिस के रखने में मालिक का नुक़सान था उसे ख़ुद मुलतक़ित ने बग़ैर इजाज़ते क़ाज़ी बेच डाला तो यह बैअ् नाफ़िज़ न होगी बल्कि इजाज़ते मालिक पर मौक़ूफ़ रहेगी अगर मालिक आया और चीज़ मुश्तरी(ख़रीदार)के पास मौजूद है तो उसे इख़्तियार है बैअ् को जाइज़ करे या बातिल करदे और चीज़ उस से ले ले अगर मालिक उस वक़्त आया कि मुश्तरी के पास वह चीज़ न रही तो उसे इख़्तियार है कि मुश्तरी से उस की क़ीमत का तावान ले या बाइअ् (बेचने वाले) से तावान लेगा तो बैअ् नाफ़िज़ हो जायेगी और ज़रे समन बाइअ् (बेचने वाले)का होगा मगर ज़रे समन जितना क़ीमत से ज़ाइद हुआ उसे सदक़ा कर दे (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– लुक़ता का मुद्दई पैदा हो गया और वह निशान और पता बताता है जो लुक़ता में मौजूद है या ख़ुद मुलतक़ित उस की तस्दीक़ करता है तो देदेना जाइज़ है और क़ाज़ी ने हुक्म कर दिया तो देना लाज़िम और बग़ैर हुक्मे क़ाज़ी देदिया तो उस का कफ़ील यानी ज़ामिन ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)और अलामत बताने की सूरत में अगर देने से इन्कार करे तो मुद्दई को गवाह से साबित करना होगा कि यह उसी की मिल्क है (हिदाया)

मसअ्ला :– मुद्दई ने अलामत बयान की या मुलतक़ित ने उस की तस्दीक़ और लुक़ता देदिया उस के बाद दूसरा मुद्दई पैदा होगया और यह गवाहों से अपनी मिल्क साबित करता है तो अगर चीज़ मौजूद है उसे दिलादी जाये और तल्फ़ हो चुकी है तो तावान ले सकता है और यह इख़्तियार है कि मुलतक़ित से तावान ले या मुद्दई–ए–अव्वल से (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रास्ते पर भेड़ मरी हुई पड़ी थी उस ने उस की ऊन काट ली तो उसे अपने काम में ला सकता है और मालिक आकर उस का मुतालबा करे तो ले सकता है और अगर उस की खाल निकाल कर पकाली और मालिक लेना चाहे तो ले सकता है मगर पकाने की वजह से जो कुछ क़ीमत में इज़ाफ़ा हुआ है देना पड़ेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ख़रबूज़ा और तरबूज़ की पालेज़ को लोगों ने लूट लिया अगर उस वक़्त लूटी जब मालिक की तरफ़ से इजाज़त हो गई कि जिस का जी चाहे लेजाये जैसा कि आम तौर पर जब फ़स्ल ख़त्म हो जाया करती है थोड़े से ख़राब फल बाक़ी रह जाते हैं मालिक इजाज़त देदिया करते हैं तो लूटने में कोई हर्ज नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह में छुआरे लुटाए जाते हैं एक के दामन में गिरे थे और दूसरे ने उठा लिए उस की दो सूरतें हैं जिस के दामन में गिरे थे अगर उस ने उसी ग़र्ज़ से दामन फैलाया था तो दूसरे को लेना जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शादियों में रुपये पैसे लुटाने के लिए जिस को दिए वह ख़ुद लुटाए दूसरे को लुटाने के लिए नहीं दे सकता और कुछ बचाकर अपने लिए रख लिये या गिरा हुआ ख़ुद उठाले यह जाइज़ नहीं और शकर छुआरे लुटाने को दिए तो बचा कर कुछ रख सकता है और दूसरे को भी लुटाने के लिए दे सकता है और दूसरे ने लुटाये तो अब वह भी लूट सकता है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– खेत कट जाने के बाद कुछ बालियाँ गिरी पड़ी रह जाती हैं अगर काश्तकार ने छोड़दी हैं कि जिस का जी चाहे उठा ले जाये तो लेजाने में हर्ज नहीं मगर मालिक की मिल्क अब भी बाक़ी है और चाहे तो ले सकता है मगर जमअ् करने के बाद उस से ले लेना दनाअत है और अगर काश्तकार ने चन्द ख़ास लोगों से कह दिया कि जो चाहे लेजाये तो अब जमअ् करने वालों का हो गया (बहरुर्राइक़, तबईईन वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर यतीमों का खेत है और बालियाँ इतनी ज़ाइद हैं कि उजरत पर चुनवाई जायें तो मअ्कूल मिक़दार में बचेंगी तो छोड़ना जाइज़ नहीं और इतनी हैं कि चुनवाई जायें तो उतनी ही मज़दूरी भी देनी पड़ेगी या मज़दूरी देने के बाद क़द्रे क़लील बचेंगी तो छोड़ देना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अखरोट वग़ैरा के दाने मिले यूँ कि पहले एक मिला फिर दूसरा फिर और एक व अ़ला हाज़लक़ियास (इसी तरह) इतने मिले कि अब उन की क़ीमत होगई तो अहवत (ज़्यादा बेहतर)यह है कि बहर सूरत उन की हिफ़ाज़त करे और मालिक को तलाश करे और सेब, अमरूद, पानी में पड़े हुए मिले तो लेना जाइज़ है अगर्चे ज़्यादा हों वरना पानी में ख़राब हो जायेंगे।

मसअ्ला :– बारिरश में इस लिए बरतन रख दिए कि उन में पानी जमअ् हो तो दूसरे को बग़ैर इजाज़त उन बरतनों का पानी लेना जाइज़ नहीं और अगर इस लिए नहीं रखे हैं तो जाइज़ है यूँही अगर सुखाने के लिए जाल फैलाया उस में कोई जानवर फँस गया तो जिस ने पकड़ा उस का है और जानवर पकड़ने के लिए जाल ताना तो जानवर जाल वाले का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी की ज़मीन में महल्ला वाले राख कूड़ा डालते हैं अगर मालिक ज़मीन ने उस को उसी लिए छोड़ रखा है कि जब ज़्यादा मिक़दार में जमअ् हो जायेगी तो अपने खेत में डालूँगा तो दूसरे को उठाना जाइज़ नहीं और अगर ज़मीन इस लिए नहीं छोड़ी है तो जो पहले उठा ले उसकी है यूँहीं ऊँट वाले किसी के मकान पर किराये के लिए अपने ऊँट बिठाते हैं कि जिस को ज़रूरत हो यहाँ से किराये पर लेजाये और यहाँ बहुत सी मींगनियाँ जमअ् हो गईं अगर मालिक मकान का ख़याल उन के जमअ् करने का था तो उसकी हैं दूसरा नहीं ले सकता वरना जिस का जी चाहे ले जाये (बहरुर्राइक़, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगली कबूतर ने किसी के मकान में अंडे दिए अगर मालिके मकान ने पकड़ने के लिए दरवाज़ा भेड़ा था कि दूसरे ने आकर पकड़ लिया तो यह मालिक मकान का है वरना जो पकड़ ले उस का है एक की कबूतरी से दूसरे के कबूतर का जोड़ा लग गया और अन्डे बच्चे हुए तो कबूतरी वाले के हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगली कबूतरों में पलाऊ कबूतर मिल गया तो उस का पकड़ना जाइज़ नहीं और पकड़ लिया तो मालिक को तलाश कर के देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाज़ या शिकरा वग़ैरा पकड़ा जिस के पाव में झुनझुनी बन्धी है जिस से घरेलू मालूम होता है तो यह लुक़ता है एअ्लान करना ज़रूरी है यूँही हिरन पकड़ा जिस के गले में पट्टा या हार पड़ा हुआ है या पालतू कबूतर पकड़ा तो एअ्लान करे और मालिक मा़लूम हो जाये तो उसे वापस करे। (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– काश्तकार अपने खेतों में कई कई दिन गायें या भेड़ें रात में ठहराते हैं ताकि उन के

पाखाना पेशाब से खेत दुरुस्त हो जाये लिहाज़ा यहाँ से गोबर या मींगनियाँ दूसरे को लेना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मजमों (भीड़)या मसाजिद में अकसर जूते बदल जाते हैं उन को काम में लाना जाइज़ नहीं हाँ अगर यह किसी फ़क़ीर को अगर्चे अपनी औलाद को सदक़ा कर दें फिर वह उसे हिबा कर दे तो तसर्रुफ़ में ला सकता है या उस का अच्छा जूता कोई उठा लेगया और अपना ख़राब छोड़ गया कि देखने से मालूम होता है उस ने क़स्दन ऐसा किया है धोके से नहीं हुआ तो जब यह शख़्स ख़राब जोड़ा उठा लाया उस को पहन सकता है कि यह उस का एवज़ है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– किसी के मकान पर कोई अजनबी मुसाफ़िर आया और मर गया तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद उस के तरका में कुछ रुपया बचा तो मालिक मकान अगर्चे फ़क़ीर हो उन रुपयों को अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि यह लुक़ता नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने अपना जानवर क़स्दन छोड़ दिया और कहदिया जिस का जी चाहे पकड़ ले जैसे तोता मैना वग़ैरा पालतू जानवर अकसर छोड दिया करते हैं और कह देते हैं जिस का जी चाहे उसे पकड़ ले तो अब जो पकड़ेगा उसी का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दरिया में लकड़ी बहती हुई आई अगर उस की क़ीमत है तो लुक़ता है वरना लेने वाले के लिए हलाल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर आदमी किसी के यहाँ ठहरा और मर गया अगर उस का तरका पाँच दिरहम तक है तो साहिबे ख़ाना वुरसा को तलाश करे पता न चले तो मसाकीन को देदे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो अपने सर्फ़ में लाये और पाँच दिरहम से ज़्यादा है और वुरसा का पता न चले तो बैतुलमाल में दाख़िल कर दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िरत में कोई मर गया तो उस के रुफ़क़ा को इख़्तियार है कि सामान बेचकर दाम जो कुछ मिले वुरसा को पहुँचा दें जब कि ख़ुद सामान लाद कर ले जाने में इतने मसारिफ़ हों जो सामान की क़ीमत को पहुँच जायें कि उस सूरत में वुरसा का फ़ायदा बेचडालने में है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बैरुने शहर (शहर के बाहर)दरख़्तों के नीचे जो फल गिरे हों अगर उन की निस्बत मालूम हो कि खा लेने की सराहतन या दलालतन इजाज़त है जैसे उन मवाक़ेअ् में जहाँ कसरत से फल पैदा होते हैं राहगीरों से तअर्रुज़ नहीं करते ऐसे मवाक़ेअ् में खाने की इजाज़त है मगर दरख़्तों से तोड़कर खाने की इजाज़त नहीं मगर जहाँ इस की भी इजाज़त साबित हो तोड़कर भी खा सकता है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मकान ख़रीदा और उस की दीवार वग़ैरा में रुपये मिले बाइअ् (बेचने वाला) कहता है यह मेरे हैं तो उसे दे दे वरना लुक़ता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिद में सोया था उस के हाथ में कोई शख़्स रुपये की थैली रख कर चला गया तो यह रुपये उस के हैं अपने ख़र्च में ला सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस की कोई चीज़ गुम हो गई है उस ने एअ्लान किया कि जो उस का पता बतायेगा उस को इतना दूँगा तो इजारा बातिल है (बहर, मुनहतुल ख़ालिक़)

मसअ्ला :– और बतौर इनआम देना चाहे तो दे सकता है।

मसअ्ला :– लोगों के दैन (क़र्ज़) या हुक़ूक़ उस के ज़िम्मे हैं मगर न उन का पता है न उन के

उतना का तो इतना ही अपने माल में से फुकरा पर तसद्दुक करे आख़िरत के मुआख़िज़ा (पकड़)से बरी हो जायेगा और कस्दन गसब किया है तो तौबा भी करे और अगर किसी का मुतालबा उस के ज़िम्मे है और उस के पास माल नहीं कि अदा करे और मालिक का पता भी नहीं कि मुआफ कराये तो तौबा व इस्तिगफार करे और मालिक के लिए दुआ करे उमीद है कि अल्लाह तआला बरी कर दे(दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चोर ने अगर किसी को कोई चीज़ देदी अगर मालिक मालूम है तो मालिक को देदे वरना सदका कर दे खुद उस चोर को वापस न दे (बहरुर्राइक)

फायदा :– जब चीज़ गुम हो जाये तो यह दुआ पढ़े

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ ضَالَّتِيْ

ज़ाल्लती की जगह पर उस चीज़ का नाम ज़िक्र करे वह चीज़ मिल जायेगी इमाम नोवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं, उस को मैंने आज़माया है गुमी हुई चीज़ जल्द मिल जाती है दूसरी तरकीब यह है कि बलन्द जगह क़िबला को मुँह कर के खड़ा हो और फ़ातिहा पढ़ कर उस का सवाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़्र करे फिर सय्यदी अहमद इब्नेअलवान को हदिया कर के यह कहे उन की बरकत से चीज़ मिलजायेगी।

يَاسَيِّدِيْ اَحْمَدْ يَا ابْنَ عَلْوَانَ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ وَ اِلَّا نَزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ

मफ़कूद का बयान

हदीस न.1 :– दारे कुतनी मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मफ़कूद की औरत जब तक बयान न आजाये(यानी उस की मौत या तलाक़ न मालूम हो)उसी की औरत है अब्दुर्रज़्ज़ाक ने अपने मुसन्नफ़ मे रिवायत की कि हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मफ़कूद की औरत के मुतअल्लिक फ़रमाया कि वह एक औरत है जो मुसीबत में मुब्तला की गई उस को सब्र करना चाहिए जब तक मौत या तलाक की ख़बर न आये और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी ऐसा ही मरवी है कि उस को हमेशा इन्तिज़ार करना चाहिए और अबू क़लाबा व जाबिर इब्ने यज़ीद व शोअ्बी व इबराहीम नख़ई रदियल्लाहु तआला अन्हुम का भी यही मज़हब है। मफ़कूद उसे कहते हैं जिस का कोई पता न हो यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मरगया।

मसअला :– मफ़कूद खुद अपने हक़ में ज़िन्दा करार पायेगा लिहाज़ा उस का माल तकसीम न किया जाये और उस की औरत निकाह नहीं कर सकती और उस का इजारा फस्ख न होगा और काज़ी किसी शख़्स को वकील मुकर्रर कर देगा उस के अमवाल की हिफाज़त करे और उस की जाइदाद की आमदनी वुसूल करे और जिन दुयून (कर्ज़ों) का कर्ज़दारों ने खुद इकरार किया है उन्हें वुसूल करे और अगर वह शख़्स अपनी मौजूदगी में किसी शख़्स को इन उमूर के लिए वकील मुकर्रर कर गया है तो यही वकील सब कुछ करेगा काज़ी को बिला ज़रूरत दूसरा वकील मुकर्रर करने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– काज़ी ने जिसे वकील किया है उस का सिर्फ इतना ही काम है कि कब्ज़ा (वुसूल)करे और हिफाज़त में रखे मुकद्दमात की पैरवी नहीं कर सकता यानी अगर मफ़कूद पर किसी ने दैन या

वदियत का दअ्वा किया या उस की किसी चीज़ में शिरकत का दअ्वा करता है तो यह वकील जवाबदिही नहीं कर सकता और न ख़ुद किसी पर दअ्वा कर सकता है हाँ अगर ऐसा दैन(क़र्ज़)हो जो उस के अक़्द से लाज़िम हुआ हो तो उस का दअ्वा कर सकता है (हिदाया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद का माल जिस के पास अमानत है या जिस पर दैन है यह दोनों ख़ुद बग़ैरहुक्मे क़ाज़ी अदा नहीं कर सकते अगर अमीन ने ख़ुद दे दिया तो तावान देना पड़ेगा और मदयून ने दिया तो दैन से बरी न हुआ बल्कि फिर देना पड़ेगा (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद पर जिन लोगों का नफ़्क़ा (ख़र्च, रोटी, कपड़ा वग़ैरह)वाजिब है यानी उस की ज़ौजा और उसूल व फ़ुरूअ् उन को नफ़्क़ा उस के माल से दिया जायेगा यानी रुपया और अशरफ़ी या सोना चाँदी जो कुछ घर में है या किसी के पास अमानत या दैन है उस से नफ़्क़ा दिया जाये और नफ़्क़ा के लिए जाइदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला बेची न जाये हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस के ख़राब होने का अन्देशा है तो क़ाज़ी उसे बेच कर समन (क़ीमत)महफ़ूज़ रखेगा और अब उस में से नफ़्क़ा भी दिया जा सकता है (आलमगीरी व दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद और उस की ज़ौजा में तफ़रीक़ उस वक़्त की जायेगी कि जब ज़न्ने ग़ालिब यह हो जाये कि वह मर गया होगा और उस की मिक़दार यह कि उस की उम्र से सत्तर बरस गुज़र जायें अब क़ाज़ी उस की मौत का हुक्म देगा और औरत इद्दते वफ़ात गुज़ार कर निकाह करना चाहे तो कर सकती है और जो कुछ इमलाक हैं उन लोगों पर तक़सीम होंगे जो उस वक़्त मौजूद हैं (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– दूसरों के हक़ में मफ़क़ूद मुर्दा है यानी उस ज़माने में किसी का वारिस नहीं होगा मसलन एक शख़्स की दो लड़कियाँ हैं और एक लड़का और उस के भी बेटे और बेटियाँ हैं लड़का मफ़क़ूद हो गया उस के बाद वह शख़्स मरा तो आधा माल लड़कियों को दिया जाये और आधा महफ़ूज़ रखा जाये अगर मफ़क़ूद आ जाये तो यह निस्फ़ उस का है वरना हुक्मे मौत के बाद उस निस्फ़ की एक तिहाई मफ़क़ूद की बहनों को दें और दो तिहाईयाँ मफ़क़ूद की औलाद पर तक़सीम करें (फ़त्हुल क़दीर)यानी दूसरों के अमवाल लेने के लिए मफ़क़ूद मुर्दा तसव्वुर किया जाये मूरिस की मौत के वक़्त जो लोग ज़िन्दा थे वही वारिस होंगे मफ़क़ूद को वारिस क़रार देकर उस के वुरसा को वह अमवाल नहीं मिलेंगे(दुर्रे मुख़्तार) यह उस वक़्त है कि जब से गुम हुआ है उस का अबतक कोई पता न चला हो और अगर दरमियान में कभी उस की ज़िन्दगी का इल्म हुआ है तो उस वक़्त से पहले जो लोग मरे हैं उन का वारिस है बाद में जो मरेंगे उन का वारिस नहीं होगा (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद के लिए कोई शख़्स वसियत कर के मर गया तो माले वसीयत महफ़ूज़ रखा जायेगा अगर आ गया तो उसे देदें वरना मूसी के वुरसा को देंगे उस के वारिस को नहीं मिलेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद अगर किसी वारिस का हाजिब हो तो उस महजूब को कुछ न देंगे बल्कि महफ़ूज़ रखेंगे मसलन मफ़क़ूद का बाप मरा तो मफ़क़ूद के बेटे महजूब हैं और अगर मफ़क़ूद की वजह से किसी के हिस्सा में कमी होती है तो मफ़क़ूद को ज़िन्दा फ़र्ज़ कर के सिहाम निकालें दोनों में जो कम हो वह मौजूद को दिया जाये और बाक़ी महफ़ूज़ रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

शिरकत का बयान

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में सलमा इब्ने अकवअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं एक ग़ज़वा में लोगों के तोशा में कमी पड़ गई लोगों ने हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर ऊँट ज़िबह करने की इजाज़त तलब की कि उसी को (ज़िबहकरके खालेंगे) हुज़ूर ने इजाज़त दे दी फिर लोगों से हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की मुलाकात हुई उन्हों ने ख़बर दी (कि ऊँट ज़िबह करने की हम ने इजाज़त हासिल कर ली है)हज़रते उ़मर ने फ़रमाया ऊँट ज़िबह कर डालने के बाद तुम्हारी बक़ा(ज़िन्दा रहने)की क्या सूरत होगी यानी जब सवारी न रहेगी और पैदल चलोगे थक जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे फिर दुशमनो से जिहाद क्यों कर कर सकोगे और यह हलाकत का सबब होगा फिर हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ज़िबह हो जाने के बाद लोगों की बक़ा की क्या सूरत होगी हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि एअ़लान कर दो कि जो कुछ तोशा लोगों के पास बचा है वह हाज़िर लायें एक दस्तर ख़्वान बिछा दिया गया लोगों के पास जो कुछ तोशा बचा हुआ था लाकर उस दस्तर ख़्वान परजमअ़ कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम खड़े हो गये और दुआ़ की फिर लोगों से फ़रमाया अपने अपने बर्तन लाओ सब ने अपने बर्तन भर लिए फिर हुज़ूर ने फ़रमाया कि मैंगवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ।

हदीस न.2 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि क़बीला अशअ़री के लोगों का जब ग़ज़वा में तोशा कम हो जाता है या मदीना ही में उन के आल व अ़याल के खाने में कमी हो जाती है तो जो कुछ उन के पास होता है सब को एक कपड़े में इकट्ठा कर लेते हैं फिर बराबर बराबर बाँट लेते हैं (इस अच्छी ख़सलत की वजह से) वह मुझ से हैं और मैं उन से हूँ।

हदीस न.3 :– अ़ब्दुल्लाह इब्ने हश्शाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को उन की वालिदा ज़ैनब बिन्ते हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाईं और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इस को बैअ़त फ़र्मा लीजिए यह छोटा बच्चा है फिर उन के सर पर हुज़ूर ने हाथ फेरा और उन के लिए दुआ़ की उन के पोते ज़हरा इब्ने मुअ़ब्बद कहते हैं कि मेरे दादा अ़ब्दुल्लाह इब्ने हश्शाम मुझे बाज़ार लेजाते और वहाँ ग़ल्ला ख़रीदते तो इब्ने उ़मर इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम उन से मिलते और कहते हमें भी शरीक कर लो क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दुआ़ए बरकत की है वह उन्हें भी शरीक कर लेते और बसा औक़ात एक मुसल्लम ऊँट नफ़अ़ में मिलजाता और उसे घर भेजदिया करते।

हदीस न.4 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि अगर एक शख़्स दाम ठहरा रहा है दूसरे ने उसे ग़ारा

कर दिया तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके मुतअल्लिक़ यह हुक्म दिया यह उस का शरीक हो गया यानी शिरकत के लिए इशारा काफ़ी है ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं।

हदीस न.5 :– अबूदाऊद व इब्ने माजा व हाकिम ने साइब इब्ने अबी साइब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की उन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की ज़मानाए जाहिलियत में हुजूर मेरे शरीक थे और हुजूर बेहतर शरीक थे कि न मुझ से मुदाफ़अत करते और न झगड़ा करते।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व हाकिम व रज़ीन ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह फ़रमाता है कि दो शरीकों का मैं सालिस (तीसरा शख़्स दो के दरम्यान फ़ैसला करने वाला)रहता हूँ जब तक उन में कोई अपने साथी के साथ ख़ियानत न करे और जब ख़ियानत करता है तो उन से जुदा हो जाता हूँ।

हदीस न.7 :– इमाम बुख़ारी व इमाम अहमद ने रिवायत की कि ज़ैद इब्ने अरक़म व बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों शरीक थे और उन्होंने चाँदी ख़रीदी थी कुछ नक़द कुछ उधार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुँची तो फ़रमाया कि जो नक़द ख़रीदी है वह जाइज़ है और जो उधार ख़रीदी उसे वापस कर दो।

शिरकत की क़िस्में और उन की तअ़रीफ़ें :–

मसअ्ला :– शिरकत दो किस्म है शिरकते मिल्क, **शिरकते अक़्द शिरकते मिल्क की तअ़रीफ़ यह है** कि चन्द शख़्स एक शय(चीज़)के मालिक हों और बाहम अक़्दे शिरकत न हुआ हो **शिरकते अक़्द** यह है कि बाहम शिरकत का अक़्द किया हो मसलन एक ने कहा मैं तेरा शरीक हूँ दूसरे ने कहा मुझे मन्ज़ूर है शिरकते मिल्क दो क़िस्म है कि 1.जबरी 2.इख़्तियारी जबरी यह कि दोनों माल में बिला क़स्द व इख़्तियार ऐसा ख़ल्त(मेल)हो जाये कि हर एक की चीज़ दूसरे से मुतमय्यज़ (जुदा)न हो सके या हो सके मगर निहायत दिक़्क़त व दुशवारी से मसलन विरासत में दोनों को तरका मिला कि हर एक का हिस्सा दूसरे से मुमताज़ नहीं या दोनों की चीज़ एक क़िस्म की थी और मिल गई कि इम्तियाज़ न रहा या ऐक के गेहूँ थे दूसरे के जौ और मिल गये तो अगर्चे यहाँ अलाहिदगी मुमकिन है मगर दुशवारी ज़रूर है इख़्तियारी यह कि उन के फ़ेअ्ल व इख़्तियार से शिरकत हुई हो मसलन दोनों ने शिरकत के तौर पर किसी चीज़ को ख़रीदा या उन को हिबा और सदक़ा में मिली और क़बूल किया या किसी ने दोनों को वसियत की और उन्होंने क़बूल की या एक ने क़स्दन अपनी चीज़ दूसरे की चीज़ में मिला दी कि इम्तियाज़ जाता रहा (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरहुमा)

शिरकते मिल्क की किस्में :–

मसअ्ला :– शिरकते मिल्क में हर एक अपने हिस्से में तसर्रुफ़ कर सकता है और दूसरे के हिस्से में अजनबी की तरह है लिहाज़ा अपना हिस्सा बैअ् (बेच) कर सकता है उस में शरीक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं उसे इख़्तियार है शरीक के हाथ बैअ् करे या दूसरे के हाथ मगर शिरकत अगर इस तरह हुई कि अस्ल में शिरकत न थी मगर दोनों ने अपनी चीज़ें मिला दीं या दोनों की चीज़ें मिल गईं और ग़ैर शरीक के हाथ बेचना चाहता है तो शरीक से इजाज़त लेनी पड़ेगी या

अस्ल में शिरकत है मगर बैअ् करने में शरीक को ज़रर होता है तो बग़ैर इजाज़ते शरीक ग़ैर शरीक के हाथ बैअ् नहीं कर सकता मसलन मकान या दरख़्त या ज़राअ़ते (खेती)मुश्तरक से तो बग़ैरइजाज़त बैअ् नहीं कर सकता कि मुश्तरी तक़सीम कराना चाहेगा और तक़सीम में शरीक का नुक़्सान है हाँ अगर ज़राअ़त तय्यार है या दरख़्त काटने के लाइक़ हो गया और फलदार दरख़्त नहीं है तो अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं कि अब कटवाने में किसी का नुक़्सान नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुश्तरक चीज़ अगर क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़)न हो जैसे हमाम, चक्की,गुलाम, चौपाया, उस की बैअ् बग़ैर इजाज़त भी जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द में ईजाब व क़बूल ज़रूर है ख़्वाह लफ़्ज़ों में हो या क़रीना से ऐसासमझा जाता हो मसलन एक ने हज़ार रुपये दिये और कहा तुम भी इतना निकालो और कोई चीज़ ख़रीदो नफ़अ् जो कुछ होगा दोनों का होगा दूसरे ने रुपये ले लिये तो अगर्चे क़बूल लफ़्ज़न नहीं मगर रुपया ले लेना क़बूल के क़ाइम मक़ाम है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द में यह शर्त है कि जिस पर शिर्कत हुई क़ाबिले वकालत हो लिहाज़ा मुबाह अशया में शिर्कत नहीं हो सकती मसलन दोनों ने शिर्कत के साथ जंगल की लकड़ियाँ काटीं कि जितनी जमअ् होंगी दोनों में मुश्तरक होंगी यह शिर्कत स़हीह नहीं हर एक उसी का मालिकहोगा जो उस ने काटी है और यह भी ज़रूर है कि ऐसी शर्त न की हो जिस से शिर्कत ही जाती रहे मसलन यह कि नफ़अ् दस रुपया मैं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि कुल दस ही रुपये नफ़अ् के हों तो अब शिरकत किस चीज़ में होगी (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– नफ़अ् में कम व बेश के साथ भी शिरकत हो सकती है मसलन एक की एक तिहाई और दूसरे की दो तिहाईयाँ और नुक़्सान जो कुछ होगा वह रासुलमाल के हिसाब से होगा उस के ख़िलाफ़ शर्त करना बातिल है मसलन दोनों के रुपये बराबर हैं और शर्त यह की जो कुछ नुक़्सान होगा उस की तिहाई फ़लाँ के ज़िम्मे और दो तिहाईयाँ फ़लाँ के ज़िम्मे यह शर्त बातिल है और उस सूरत में दोनों के ज़िम्मे नुक़्सान बराबर होगा (रद्दुल मुहतार)

शिरकते अ़क़्द की क़िस्में और शिरकते मुफ़ाविज़ा की तअ्रीफ़ व शराइत़:–

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द की चन्द क़िस्में हैं (1)शिरकत बिलमाल,(2) शिरकत बिलअ़मल,(3)शिरकते वुजूह फिर हर एक दो क़िस्म है (1) मुफ़ाविज़ा (2) अ़नान यह कुल छः क़िस्में हैं **शिरकते मुफ़ाविज़ा** यह है कि हर एक दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वुसूल कर सकता है और एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उस की त़रफ़ से ज़ामिन है और शिरकत मुफ़ाविज़ा में यह ज़रूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़अ् में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मुसावात (बराबरी)हो लिहाज़ा आज़ाद व गुलाम में और नाबालिग़ में मुसलमान व काफ़िर में और आ़क़िल व मजनून में और दो नाबालिग़ों में और दो गुलामों में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं हो सकती (आ़लमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा की सूरत यह है कि दो शख़्स बाहम यह कहें कि हमने शिरकत

मुफ़ाविज़ा की और हम को इख़्तियार है कि यकजाई ख़रीद व फ़रोख़्त करें या अ़लाहिदा नक़्द बेचें ख़रीदें या उधार और हर एक अपनी राए से अ़मल करेगा और जो कुछ नफ़अ़ नुक़सान होगा उस में दोनों बराबर के शरीक हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस क़िस्म के माल में शिरकते मुफ़ाविज़ा जाइज़ है उस क़िस्म का माल अ़लावा उस रासुलमाल के जिस में शिरकत हुई उन दोनों में से किसी के पास कुछ और न हो अगर उसके एलावा कुछ और माल हो तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रहेगी और अब यह शिरकते अ़नान होगी जिस का बयान आगे आता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा में दो सूरतें हैं एक यह कि बवक़्ते अ़क्दे शिरकत लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा बोला जाये मसलन दोनों ने यह कहा कि हमने बाहम शिरकते मुफ़ाविज़ा की अगर्चे बाद में उनमें का एक शख़्स यह कहता है कि मैं लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा के मअ्ना नहीं जानता था कि इस सूरत में भी शिरकते मुफ़ाविज़ा हो जायेगी और उस के अह़काम साबित हो जायेंगी और मअ्ना का न जानना उ़ज़्र न होगा उस की दूसरी सूरत यह कि अगर लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा न बोलें तो तमाम वह बातें जो मुफ़ाविज़ा में ज़रूरी हैं ज़िक्र कर दें मसलन दो ऐसे शख़्स जो शिरकत मुफ़ाविज़ा के अहल हों यह कहें कि जिस क़द्र नक़्द के हम मालिक हैं उस में हम दोनों बाहम इस त़रह पर शिरकत करते हैं कि हर एक दूसरे को पूरा पूरा इख़्तियार देता है कि जिस त़रह चाहे ख़रीद व फ़रोख़्त में तसर्रुफ़ करे और हम में हर एक दूसरे का तमाम मुत़ालबात में ज़ामिन है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हिन्दुस्तान में उ़मूमन ऐसा होता है कि बाप के मरजाने के बाद उस के तमाम बेटे तरका पर काबिज़ होते हैं और यकजाई (एक साथ)शिरकत में काम करते रहते हैं लेना देना तिजारत ज़राअ़त, खाना, पीना, एक साथ मुद्दतों रहता है और कभी यह होता है कि बड़ा लड़का खुद मुख़्तार होता है वह खुद जो चाहता है करता है और उसके दूसरे भाई उस की मातह़ती में उस बड़े की राए व मशवरे से काम करते हैं मगर यहाँ न लफ़्ज़ मुफ़ाविज़ा की तस़रीह़ होती है और न उस के ज़रूरियात का बयान होता है और माल भी उ़मूमन मुख़्तलिफ़ क़िस्म के होते हैं और अ़लावा रुपये अशरफ़ी के मताअ़ (सामान) और असासा और दूसरी चीज़ें भी तरका में होती हैं। जिन में यह सब शरीक हैं यह शिरकत शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं बल्कि यह शिरकते मिल्क और इस सूरत में जो कुछ तिजारत व ज़राअ़त कारोबार के ज़रीआ़ से इज़ाफ़ा करेंगे उस में यह सब बराबर के शरीक हैं अगर्चे किसी ने ज़्यादा काम किया है और किसी ने कम और कोई दानाई व होशियारी से काम करता है और कोई ऐसा नहीं और अगर उन शुरका (शरीकों)में से बाज़ ने कोई चीज़ ख़ास अपने लिए ख़रीदी और उस की क़ीमत माले मुश्तरक से अदा की तो यह चीज़ उसी की होगी मगर चूँकि क़ीमत माले मुश्तरक से दी है लिहाज़ा बक़िया शुरका के हिस़्से का तावान देना होगा।(रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– शिरकत मुफ़ाविज़ा में अगर दोनों के माल एक जिन्स और एक नोअ़ (क़िस्म) के हों तोअ़दद में बराबरी ज़रूर है मसलन दोनों के रुपये हैं या दोनों की अशरफ़िया हैं और अगर दो जिन्स या दो नोअ़ के हों तो क़ीमत में बराबरी हो मसलन एक के रुपये हैं दूसरे की अशरफ़ियाँ या एक के रुपये हैं दूसरे कि अठन्नियाँ, चवन्नियाँ (आलमगीरी)

मसअला :– अक्दे मुफ़ाविज़ा के वक़्त दोनों माल बराबर थे मगर अभी उस माल से कोई चीज़ ख़रीदी नहीं गई कि एक का माल कीमत में ज़्यादा हो गया मसलन अशरफ़ी अक्द के वक़्त पन्द्रह रुपये की थी और अब सोलह की हो गई तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही। और अब यह शिरकते एनान है यूँहीं अगर उन में किसी एक का किसी पर कर्ज़ था और बादे शिरकते मुफ़ाविज़ा वह कर्ज़ वुसूल हो गया तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही (आलमगीरी)

शिरकते मुफ़ाविज़ा के अहकाम :–

मसअला :– ऐसे दो शख़्स जिन में शिरकते मुफ़ाविज़ा है उन में अगर एक शख़्स कोई चीज़ ख़रीदे तो दूसरा उस में शरीक होगा अल्बत्ता अपने घार वालों के लिए खाना कपड़ा ख़रीदा या कोई और चीज़ ज़रुरियाते ख़ानादारी की ख़रीदी या किराये का मकान रहने के लिए लिया या हाजत के लिए सवारी का जानवर ख़रीदा तो यह तन्हा ख़रीदार का होगा शरीक को उस में से लेने का हक़ न होगा मगर बाइअ् (बेचने वाला)शरीक से भी समन का मुतालबा कर सकता है कि यह शरीके कफ़ील है फिर अगर शरीक ने माले शिरकत से समन अदा कर दिया तो उस ख़रीदार से अपने हिस्से के बराबर वापस ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– उन में से एक को अगर मीरास मिली या शाही अतिया या हिबा या सदका या हदिया में कोई चीज़ मिली तो यह ख़ास उस की होगी शरीक का उस में कोई हक़ न होगा। (आलमगीरी)

मसअला :– शिरकत से पहले कोई अक्द किया था और इस अक्द की वजह से बादे शिरकत किसी चीज़ का मालिक हो तो इसमें भी शरीक हक़दार नहीं मसलन एक चीज़ ख़रीदी थी जिस में बाइअ् ने अपने लिए ख़ियार लिया था (यानी तीन दिन तक मुझ को इख़्तियार है कि बैअ् काइम रखूँ या तोड़ दूँ) और बादे शिरकत बाइअ् ने अपना ख़ियार साकित कर दिया और चीज़ मुश्तरी (ख़रीदार)की हो गई मगर चूँकि यह बैअ् पहले की है इस लिए यह चीज़ तन्हा उसी की है शिरकत की नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– अगर एक के पास माले मुज़ारिबत है अगर्चे अक्दे मज़ारिबत पहले हुआ है और अब इस माल से ख़रीद व फ़रोख़्त की और नफ़अ् हुआ तो जो कुछ नफ़अ् मिलेगा उस में से शरीक भी अपने हिस्सा की मिक्दार से लेगा (आलमगीरी)

मसअला :– चूँकि उन में एक दूसरे का कफ़ील है लिहाज़ा एक पर जो दैन लाज़िम आया दूसरा उस का ज़ामिन है दूसरे पर भी वह दैन लाज़िम है और उस दूसरे से भी दाइन मुतालबा कर सकता है अब वह दैन ख़्वाह तिजारत की वजह से लाज़िम आया हो या उसने किसी से कर्ज़ लिया हो या किसी की कोई चीज़ ग़सब करं के हलाक कर दी हो या किसी की अमानत अपने पास रख कर क़स्दन उसे ज़ाइअ् कर दिया हो अमानत से इन्कार कर दिया हो या किसी की उसने उस के कहने से ज़मानत की हो और यह दैन ख़्वाह गवाहों के ज़रीआ से दाइन ने उस के ज़िम्मे साबित किए हों या खुद उस ने उन दुयून (क़र्ज़ों) का इक़रार किया हो हर हाल में उसका शरीक भी ज़ामिन है मगर जब कि उस ने ऐसे शख़्स के दैन का इक़रार किया हो जिस के हक़ में उसकी गवाही मक़बूल न हो मसलन अपने बाप, दादा वग़ैरा उसूल या बेटा, पोता वग़ैरा फ़ुरूअ् या ज़ौज या ज़ौजा के हक़ में तो इस इक़रार से जो दैन साबित होगा उस का मुतालबा शरीक से नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– महर या बदले खुलअ् (वह रक़म जो तलाक़ देने के बदले ली जाये)या दियत (अमानत)

या दमे अ़मद (जान कर क़त्ल) में अगर किसी शय पर सुलह होगई तो यह दुयून शरीक पर लाज़िम न होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिन सूरतों में एक पर जो दैन लाज़िम आया वह दूसरे पर भी लाज़िम हुआ उन में अगर दाइन(क़र्ज़ देने वाले) ने एक पर दअ्वा किया है और गवाह पेश न कर सका तो जिस त़रह उस मुद्दआ अ़लैहि पर ह़ल्फ़ दे सकता है उसी त़रह उस के शरीक से भी ह़ल्फ़ ले सकता है अगर्चे शरीक ने वह अ़क़्द नहीं किया है मगर दोनों से ह़ल्फ़ की एक ही सूरत नहीं बलिक फ़र्क़ है वह यह कि जिस पर दअ्वा है उस से यूँ क़सम खिलाई जायेगी कि मैंने उस मुद्दई से यह अ़क़्द नहीं किया है मसलन अगर उस का यह दअ्वा है कि उस ने फ़ुलाँ चीज़ मुझ से ख़रीदी है और उस का समन उस के ज़िम्मा बाक़ी है और यह मुन्किर है तो क़सम खायेगा कि मैंने उस से यह चीज़ नहींख़रीदी है या मेरे ज़िम्मे समन बाक़ी नहीं है और शरीक से अ़दमे फ़ेअ्ल की क़सम नहीं खिलाई जा सकती क्योंकि उस ने ख़ुद अ़क़्द किया नहीं है वह क़सम खायेगा कि मैंने नहीं ख़रीदी फिर क़सम खिलाने का क्या फ़ाय़दा बल्कि उस से अ़दमे इल्म पर क़सम खिलाई जाये यूँ क़सम खाये कि मेरे इल्म में नहीं कि मेरे शरीक ने ख़रीदी फिर अगर दोनों ने या किसी एक ने क़सम खाने से इन्कार किया तो क़ाज़ी दोनों पर दैन लाज़िम कर देगा और अगर दोनों ने अ़क़्द किया है यानी ईजाब व क़बूल में दोनों शरीक थे दोनों पर अ़दमे फ़ेअ्ल ही की क़सम है कि उस सूरत में फ़क़त़ एक ने नहीं बल्कि दोनों ने ख़रीदा है और क़सम से एक ने भी इन्कार किया तो वही हुक्म है यूँहीं मुद्दई ने जिस पर दअ्वा किया है ग़ाइब है और उस का शरीक ह़ाज़िर है तो मुद्दई उस ह़ाज़िर पर ह़ल्फ़ दे सकता है फिर जब वह ग़ाइब आजाये तो उस पर भी मुद्दई ह़ल्फ़ दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उन दोनों शरीकों में से एक ने किसी पर दअ्वा किया और मुद्दआ अ़लैहि से क़सम खिलाई तो दूसरे शरीक को दोबारा फिर उस पर ह़ल्फ़ देने का ह़क़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उन दोनों में से एक ने किसी चीज़ की ह़िफ़ाज़त करने की नौकरी की या उजरत पर किसी का कपड़ा सिया या कोई काम उजरत पर किया तो जो कुछ उजरत मिलेगी वह दोनों में मुश्तरक होगी (आलमगीरी)

शिरकते मुफ़ाविज़ा के बात़िल होने की सूरतें :–

मसअ्ला :– अगर एक ने किसी को नौकर रखा या उजरत पर किसी से कोई काम कराया या किराये पर जानवर लिया तो मुवाजिर (उजरत़ लेने वाला) हर एक से उजरत ले सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– उन दोनों में से एक की मिल्क में अगर कोई ऐसी चीज़ आई जिस में शिरकत हो सकती है ख़्वाह चीज़ से किसी ने हिबा की या मीरास में मिली या वसीयत से या किसी और त़रीक़े से हासिल हुई तो अब शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही कि उस में बराबरी शर्त़ है और अब बराबरी न रही और अगर मीरास में ऐसी चीज़ मिली जिस में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं मसलन सामान व असबाब मिले या मकान और खेत वग़ैरा जाइदाद ग़ैर मनक़ूला मिली या दैन मिला मसलन मूरिस का किसी के ज़िम्मे दैन है और अब यह उस का वारिस हुआ तो शिरकत बात़िल नहीं मगर दैन

सोना चाँदी की किस्म से हो तो जब वुसूल होगा शिरकत मुफ़ाविज़ा बातिल हो जायेगी और मुफ़ाविज़ा बातिल होकर अब शिरकत एनान हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक ने अपना कोई सामान वग़ैरा उस क़िस्म की चीज़ बेच डाली जिस में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं होती या ऐसी कोई चीज़ किराये पर दी तो समन या उजरत वुसूल होने पर शिरकते मुफ़ाविज़ा बातिल हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते एनान के बातिल होने के जो असबाब हैं उन से शिरकत मुफ़ाविज़ा भी बातिल हो जाती है (बदाइअ्)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा व एनान दोनों नुकूद (रुपया अशरफ़ी)हो सकती हैं या ऐसे पैसों में जिन का चलन हो और अगर चाँदी सोने, ग़ैर मज़रुब हों (सिक्का न हो)मगर उन से लेन देन का रिवाज हो तो उस में भी शिरकत हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों के पास रुपये अशरफ़ी न हो सिर्फ़ सामान हों और शिरकत मुफ़ाविज़ा याशिरकते एनान करना चाहते हों तो हर एक अपने सामान के एक हिस्से को दूसरे के सामान के एक हिस्से के मक़ाबिल या रुपये के बदले बेच डाले उस के बाद उस बेचे हुए सामान में अक़्दे शिरकत कर लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों में एक का माल ग़ाइब हो (यानी न वक़्ते अक़्द उस ने माल हाज़िर किया और न ख़रीदने के वक़्त उस ने अपना माल दिया अगर्चे माल जिस पर शिरकत हुई उस के मकान में मौजूद हो)तो शिरकत सहीह नहीं यूँहीं अगर उस माल से शिरकत की जो उस के क़ब्ज़े में भी नहीं बल्कि दूसरे पर दैन है जब भी शिरकत सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस क़िस्म का माल शिरकते मुफ़ाविज़ा में उस के पास मौजूद है उस जिन्स से जो चीज़ चाहे ख़रीदे यह ख़रीदी हुई चीज़ शिरकत की क़रार पायेगी अगर्चे जितना माल मौजूद है उस से ज़्यादा की ख़रीदे और अगर दूसरी जिन्स से ख़रीदी तो यह चीज़ शिरकत की न होगी बल्कि ख़ास ख़रीदने वाले की होगी मसलन उस के पास रुपया है तो रुपया से ख़रीदने में शिरकत की होगी और अशरफ़ी से ख़रीदे तो ख़ास उस की है यूंहीं उस का अक्स(उलटा)है (आलमगीरी)

हर एक शरीक के इख़्तेयारात

मसअ्ला :–उन में से हर एक को यह जाइज़ है कि शिरकत के माल में से किसी की दअ्वत करे या किसी के पास हदिया व तोहफ़ा भेजे मगर उतना ही जिसका ताजिरों में रिवाज होता है उसे इसराफ़ न समझते हों लिहाज़ा मेवा गोश्त, रोटी वग़ैरा इसी किस्म की चीज़ें तोहफ़ा में भेज सकता है रुपया अशरफ़ी हदिया नहीं कर सकता न कपड़ा दे सकता है न ग़ल्ला और मताअ् दे सकता है यूँहीं उस के यहाँ दअ्वत खाना या उस का हदिया क़बूल करना या उस से आरियत लेना भी जाइज़ है अगर्चे मालूम हो कि बग़ैर इजाज़ते शरीक माले शिरकत से यह काम कर रहा है मगर उस में भी रिवाज व मुतआरिफ़ (चलन) की क़ैद है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उस को क़र्ज़ देने का इख़्तियार नहीं है हाँ अगर शरीक ने साफ़ लफ़्ज़ों में उसे क़र्ज़देने की इजाज़त दे दी हो तो क़र्ज़ दे सकता है और बग़ैर इजाज़त उस ने क़र्ज़ देदिया तो

निस्फ़ कर्ज़ (आधा कर्ज़) का शरीक के लिए तावान देना पडेगा मगर शिरकत बदस्तूर बाकी रहेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शरीक बग़ैर दूसरे की इजाज़त के तिजारती कामों में वकील कर सकता है और तिजारती चीज़ों पर सर्फ़ करने के लिए माले शिरकत से वकील को कुछ दे भी सकता है फिर अगर यह वकील ख़रीद व फ़रोख़्त व इजारा के लिए उसने किया है तो दूसरा शरीक उसे वकालत से निकाल सकता है और अगर महज़ तकाज़े के लिए वकील किया है तो दूसरे शरीक को उस के निकालने का इख़्तियार नहीं (बदाइअ्, आलमगीरी)

मसअ्ला :– माले शिरकत किसी पर दैन है और एक शरीक ने मुआफ़ कर दिया तो सिर्फ़ उस केहिस्से की क़द्र मुआफ़ होगा दूसरे शरीक का हिस्सा मुआफ न होगा और अगर दैन की मीआद पूरी हो चुकी है और एक ने मीआद में इज़ाफ़ा कर दिया तो दोनों के हक़ में इज़ाफ़ा हो गया और अगर उन शरीकों पर मीआदी दैन है जिसकी मीआद अभी पूरी नहीं हुई है और एक शरीक ने मीआद साक़ित कर दी तो दोनों से साक़ित हो जायेगी (आलमगीरी)

शिरकते इनान के मसाइल

मसअ्ला :– शिरकते इनान यह है कि दो शख़्स किसी ख़ास नोअ् (क़िस्म) की तिजारत या हर क़िस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे लिहाज़ा शिरकते इनान में यह शर्त है कि हर एक ऐसा हो जो दूसरे को वकील बना सकें (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते इनान मर्द व औरत के दरमियान मुस्लिम व काफ़िर के दरमियान बालिग़ और नाबालिग़ आक़िल के दरमियान जब कि नाबालिग को उस के वली ने इजाज़त देदी हो और आज़ाद ग़ुलाम माज़ून के दरमियान हो सकती है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– शिरकते इनान में यह हो सकता है कि उस की मीआद मुक़र्रर कर दी जाये मसलनएक साल के लिए हम दोनों शिरकत करते हैं और यह भी हो सकता है कि दोनों के माल कम व बेश हों बराबर न हों और नफ़अ् बराबर या माल बराबर हों और नफ़अ् कम व बेश और कुल माल के साथ भी शिरकत हो सकती है और बाज़ माल के साथ भी और यह भी हो सकता है कि दोनोंके माल दो क़िस्म के हों मसलन एक का रूपया हो दूसरे की अशरफ़ी और यह भी हो सकता है कि सिफ़त में इख़्तिलाफ़ हो मसलन एक के खोटे रुपये हों दूसरे के खरे अगर्चे दोनों की क़ीमतों में तफ़ावुत (फ़र्क़)हो और यह भी शर्त है कि दोनों के माल एक में ख़लत (मिला)कर दिए जायें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों ने इस तरह शिरकत की कि माल दोनों का होगा मगर काम फ़क़त एक ही करेगा और नफ़अ् दोनों लेंगे और नफ़अ् की तक़सीम माल के हिसाब से होगी या बराबर लेंगे या काम करने वाले को ज़्यादा मिलेगा तो जाइज़ है और अगर काम न करने वाले को ज़्यादा मिलेगा तो शिरकत नाजाइज़ यूंहीं अगर यह ठहरी कि कुल नफ़अ् एक शख़्स लेगा तो शिरकत न हुई और अगर काम दोनों करें मगर एक ज़्यादा काम करेगा दूसरा कम और जो ज़्यादा काम करेगा नफ़अ् में उस का हिस्सा ज़्यादा क़रार पाया या बराबर क़रार पाया यह भी जाइज़ है(आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ठहरा यह था कि काम दोनों करेंगे मगर सिर्फ़ एक ने किया दूसरे ने ब वजह उ़ज़्र या बिला उ़ज़्र कुछ न किया तो दोनों का करना क़रार पायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ ख़रीदी तो बाइअ़ (बेचने वाला) समन का मुतालबा उसी से कर सकता है उस के शरीक से नहीं कर सकता क्योंकि शरीक न आ़किद है न ज़ामिन फिर अगर ख़रीदार ने माले शिरकत से समन(क़ीमत)अदा किया जब तो ख़ैर और अगर अपने माल से समन अदा किया तो शरीक से बक़द्र उस के हिस़्से के रुजूअ़ कर सकता है और यह हुक्म उस वक़्त है कि माले शिरकत नक़द की सूरत में मौजूद हो और अगर शिरकत का माल जो कुछ था वह सामाने तिजारत ख़रीदने में सर्फ़ किया जा चुका है और नक़द कुछ बाक़ी नहीं है तो अब जो कुछ ख़रीदेगा वह ख़ास ख़रीदार ही है शिरकत की चीज़ नहीं और उस का समन ख़रीदार को अपने पास से देना होगा और शरीक से रुजूअ़ करने का हक़दार नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ ख़रीदी उस का शरीक कहता है कि यह शिरकत की चीज़ है और यह कहता है मैंने ख़ास अपने वास्ते ख़रीदी और शिरकत से पहले की ख़रीदी हुई है तो क़सम के साथ उसका क़ौल मोअ़्तबर है और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद ख़रीदी और यह चीज़ उस नोअ़ (क़िस्म)में से है जिसकी तिजारत पर अ़क़्दे शिरकत वाक़ेअ़ हुआ है तो शिरकत ही की चीज़ क़रार पायेगी अगर्चे ख़रीदते वक़्त किसी को गवाह बना लिया हो कि मैं अपने लिए ख़रीदता हूँ क्योंकि जब उस नोअ़ तिजा़रत पर अ़क़्दे शिरकत वाक़ेअ़ हो चुका है तो उसे ख़ास अपनी ज़ात के लिए ख़रीदारी जाइज़ ही नहीं जो कुछ ख़रीदेगा शिरकत में होगा और अगर वह चीज़ उस जिन्से तिजारत से न हो तो ख़ास उस के लिए होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अकसर ऐसा होता है कि हर एक शरीक अपनी शिरकत की दुकान से चीज़ें ख़रीदता है यह ख़रीदारी जाइज़ है अगर्चे बज़ाहिर अपनी ही चीज़ ख़रीदना है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर दोनों के माल ख़रीदारी के पहले हलाक होगये या एक का माल हलाक हुआ तो शिरकत बाति़ल होगई फिर माले मख़लूत़ (मिला हुआ)था तो जो कुछ हलाक हुआ है दोनों के ज़िम्मा है और मख़लूत न था तो जिस का था उस के ज़िम्मा और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद एक ने अपने माल से कोई चीज़ ख़रीदी और दूसरे का माल हलाक होगया और अभी इस से कोई चीज़ ख़रीदी नहीं गई है तो शिरकत बाति़ल नहीं और वह ख़रीदी हुई चीज़ दोनों में मुश्तरक है मुश्तरक मुश्तरी (ख़रीदार शरीक) अपने शरीक से बक़द्र शिरकत उस के समन से वुसूल कर सकता है और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद ख़रीदा मगर ख़रीदने से पहले शरीक का माल हलाक हो चुका है तो उसकी दो सूरतें हैं अगर दोनों ने बाहम सराहतन हर एक को वकील कर दिया है यह कह दिया है कि हम में जो कोई अपने उस माले शिरकत से जो कुछ ख़रीदेगा वह मुश्तरक(साझे की चीज़) होगी तो इस सूरत में वह चीज़ मुश्तरक (साझे की चीज़) होगी कि उसके हिस़्से की क़द्र चीज़ देदे और इस हिस़्से का समन ले ले और अगर स़राहतन वकील नहीं किया है तो इस चीज़ में दूसरे की शिरकत नहीं कि माल हलाक होने से शिरकत बाति़ल हो चुकी है और उस के ज़िम्न में जो वकालत थी वह भी बाति़ल है और वकालत की सराहत नहीं कि उस के ज़रीआ़ से शिरकत होती(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते एनान में भी अगर नफ़अ् के रुपये एक शरीक ने मुअ़य्यन कर दिए कि मसलन दस रुपये मैं नफ़अ् के लूँगा तो शिरकत फ़ासिद है कि हो सकता है कुल नफ़अ् इतना ही हो फिर शिरकत कहाँ हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस में भी हर शरीक को इख़्तियार है कि तिजारत के लिए या माल की हिफ़ाज़त केलिए किसी को नौकर रखे बशर्ते कि दूसरे शरीक ने मनअ् न किया हो और यह भी इख़्तियार है किकिसी से मुफ़्त काम कराये कि वह काम कर दे और नफ़अ् उस को कुछ न दिया जाये और माल को अमानत भी रख सकता है और मज़ारिबत के तौर पर भी दे सकता हे कि वह काम करे और नफ़अ् में उस को निस्फ़ या तिहाई वग़ैरा का शरीक किया जाये और जो कुछ नफ़अ् होगा उस में से मज़ारिब हिस्सा निकाल कर बाक़ी दोनों शरीकों में तक़सीम होगा और यह भी हो सकता है कि यह शरीक दूसरे से मज़ारिबत के तौर पर माल ले फिर अगर यह मज़ारिबत उसी चीज़ में है जो शिरकत की तिजारत से अलाहिदा है मसलन शिरकत कपड़े की तिजारत में थी और मज़ारिबत पर रुपये ग़ल्ला की तिजारत के लिए लिया है तो मज़ारिबत का जो नफ़अ् मिलेगा वह ख़ास उसका होगा शरीक को उस में से कुछ न मिलेगा और अगर यह मज़ारिब उसी तिजारत में है जिस में शिरकत की है मगर शरीक की मौजूदगी में मज़ारिबत की जब भी मज़ारिबत का नफ़अ् ख़ास उसी का है और अगर शरीक की ग़ीबत (अनुपस्थिति) में हो या मज़ारिबत में किसी तिजारत की क़ैद न हो तो जो कुछ नफ़अ् मिलेगा शरीक भी उस में शरीक है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार है कि नक़्द या उधार जिस तरह मुनासिब समझे ख़रीद व फ़रोख़्त करे मगर शिरकत का रुपया नक़्द मौजूद न हो तो उधार ख़रीदने की इजाज़त नहीं जो कुछ उस सूरत में ख़रीदेगा ख़ास उस का होगा अल्बत्ता अगर शरीक उस पर राज़ी है तो उस में भी शिरकत होगी और यह भी इख़्तियार है कि अरज़ाँ या गिराँ (सस्ता या महंगा) फ़रोख़्त करे।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार है कि माले तिजारत सफ़र में ले जाये जब कि शरीक ने उस की इजाज़त दी हो या यह कह दिया हो कि तुम अपनी राए से काम करो और मसारिफ़े सफ़र मसलन अपना या सामान का किराया और अपने खाने पीने के तमाम ज़रूरियात सब उसी माले शिरकत पर डाले जायें यानी अगर नफ़अ् हुआ जब तो उजरत नफ़अ् से मुजरा देकर बाक़ी नफ़अ् दोनों मेंमुश्तरक होगा और नफ़अ् न हुआ तो यह अख़राजात रासुलमाल में से दिए जायें (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उन में से किसी को यह इख़्तियार नहीं कि किसी को उस तिजारत में शरीक करे हाँ अगर उसके शरीक ने इजाज़त देदी है तो शरीक करना जाइज़ है और उस वक़्त इस तीसरे के ख़रीद व फ़रोख़्त करने से कुछ नफ़अ् हुआ तो यह शख़्स सालिस(तीसरा)अपना हिस्सा लेगा और इस के बाद जो कुछ बचेगा उस में वह दोनों शरीक हैं और उन दोनों में से जिसने उस तीसरे को शरीक नहीं किया है उस की ख़रीद व फ़रोख़्त से कुछ नफ़अ् हुआ तो यह उन्हीं दोनों पर मुनक़सिम (बटेगा) होगा सालिस को इस में से कुछ न देंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर इजाज़त माले शिरकत को किसी के पास रहन रख दे हाँ मगर उस सूरत में कि ख़ुद उस ने कोई चीज़ ख़रीदी थी जिस का समन बाक़ी और उस

दैन के मुकाबिल माले शिरकत को रहन (गिरवीं) कर दिया तो यह जाइज है और अगर किसी दूसरे से खरीदवाया था या दोनों शरीकों ने मिलकर खरीदा था तो अब तन्हा एक शरीक उस दैन(कर्ज़) के बदले में रहन नहीं रख सकता यूँहीं अगर किसी शख़्स पर दैन था उस ने एक शरीक के पास रहन रख दिया तो यह रहन रख लेना भी बग़ैर इजाज़ते शरीक जाइज नहीं यानी अगर वह चीज उस शरीक मुरतहिन के पास हलाक हो गई और उसकी कीमत दैन के बराबर थी तो दूसरा शरीक उस मदयून (कर्ज़दार)से अपने हिस्सा की कद्र मुतालबा कर के ले सकता है फिर वह मदयून शरीके मुरतहिन (रहन रखने वाले) से यह रकम वापस लेगा और अगर चाहे तो गैर मुरतहिन खुद अपने शरीक ही से बकद्र हिस्सा के वुसूल करे और जिस सूरत में रहन रख सकता है उस में रहन का इक़रार भी कर सकता है कि मैंने फुलाँ के पास रहन रखा है या फुलाँ ने मेरे पास रहन रखा है और यह इक़रार दोनों पर नाफ़िज़ होगा और जहाँ रहन रख नहीं सकता उस में रहन का इकरार भी नहीं कर सकता यानी अगर इक़रार करेगा तो तन्हा उस के हक में वह इक़रार नाफिज होगा शरीक से उस को तअल्लुक न होगा और अगर शिरकत दोनों ने तोड़दी तो अब रहन का इकरार शरीक के हक़ में सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शिरकते इनान में अगर एक ने कोई चीज बैअ् की है तो उस के समन का मुतालबा उस का शरीक नहीं कर सकता यानी मदयून (कर्ज़दार)उस को देने से इन्कार कर सकता है यूँही शरीक न दअ्वा कर सकता है न उस पर दअ्वा हो सकता है बल्कि दैन के लिए कोई मीआद भी नहीं मुकर्रर कर सकता जब कि आकिद कोई और शख़्स है या दोनों आकिद हों और खुद तन्हा यही आकिद है तो मीआद मुकर्रर कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शरीक के पास जो कुछ माल है उस में वह अमीन है लिहाज़ा अगर यह कहता है कि तिजारत में नुकसान हुआ या कुल माल या इतना ज़ाइअ् हो गया या इस कद्र नफ़अ् मिला या शरीक को मैंने माल देदिया तो कसम के साथ उस का कौल मोअ्तबर है और अगर नफ़अ् की कोई मिक्दार उसने पहले बताई फिर कहता है कि मुझ से ग़लती हो गई उतनी नहीं बल्कि इतनी है मसलन पहले कहा दस रुपये नफ़अ् के हैं फिर कहता है कि दस नहीं बल्कि पाँच है तो चूँकि इकरार कर के रुजूअ् कर रहा है लिहाज़ा उस की पिछली बात मानी न जायेगी कि इक़रार से रुजूअ करता है और इस का उसे हक नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ बेची थी और दूसरे ने उस बैअ् का इक़ाला(फ़स्ख़) कर दिया तो यह इकाला जाइज़ है और अगर ऐब की वजह से वह चीज़ खरीदार ने वापस कर दी और बग़ैर कज़ा काज़ी उस ने वापस लेली या ऐब की वजह से समन से कुछ कम कर दिया या समन को मुअख़्ख़र कर दिया तो यह तसर्रुफ़ात दोनों के हक में जाइज़ व नाफ़िज़ होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ ख़रीदी है और उस में कोई ऐब निकला तो खुद यह वापस करसकता है उस के शरीक को वापस करने का हक नहीं या एक ने किसी से उजरत पर कुछ काम कराया है तो उजरत का मुतालबा उसी से होगा शरीक से मुतालबा नहीं किया जा सकता

मसअला :– एक ने किसी की कोई चीज़ ग़सब कर ली या हलाक कर दी तो उसका मुतालबा मुवाख़िज़ा उसी से होगा उसके शरीक से न होगा और बतौर बैअ् फ़ासिद कोई चीज ख़रीदी और उस के पास से हलाक होगई तो उस को तावान देना पड़ेगा मगर जो कुछ तावान देगा उस का निस्फ़ यानी बकद्र हिस्सा शरीक से वापस लेगा कि वह चीज़ शिरकत की है और तावान दोनों पर है(मबसूत)

मसअला :– दोनों ने मिलकर तिजारत का सामान ख़रीदा था फिर एक ने कहा मैं तेरे साथ शिरकत में काम नहीं करता यह कह कर ग़ाइब हो गया दूसरे ने काम किया तो जो कुछ नफ़अ् हुआ तन्हा इसी का है और शरीक के हिस्से की क़ीमत का ज़ामिन है यानी उस माल की उस रोज़ जो क़ीमत थी उस के हिसाब से शरीक के हिस्से का रुपया देदे नफ़अ् नुक़सान से उस को कुछ वास्ता नहीं। (खानिया)

मसअला :– माले शिरकत में तअ़द्दी की यानी वह काम किया जो करना जाइज़ न था और उसकीवजह से माल हलाक हो गया तो तावान देना पड़ेगा मसलन उस के शरीक ने कह दिया था कि माल लेकर परदेस को न जाना फ़ुलाँ जगह माल ले कर जाओ मगर वहाँ से आगे दूसरे शहर को न जाना और यह परदेस माल लेकर चला गया या जो जगह बताई थी वहाँ से आगे चला गया यह कहा था उधार न बेचना उस ने उधार बेच दिया तो इन सूरतों में जो कुछ नुक़सान होगा उस का ज़िम्मा दार यह ख़ुद है शरीक को उस से तअ़ल्लुक़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– उस के पास जो कुछ शिरकत का माल था उसे बग़ैर बयान किए मरगया या लोगों के ज़िम्मा शिरकत की बक़ाया थी और यह बग़ैर बयान किए मर गया तो तावान देना पड़ेगा कि यह अमीन था और बयान न कर जाना अमानत के ख़िलाफ़ है और उस की वजह से तावान लाज़िम हो जाता है मगर जब कि वुरसा जानते हों कि यह चीज़ें शिरकत की हैं या शिरकत की तिजारत काफ़ुलाँ फ़ुलाँ शख़्स पर इतना इतना बाक़ी है तो उस वक़्त बयान करने की ज़रूरत नहीं और तावान लाज़िम नहीं और अगर वारिस कहता है मुझे इल्म है और शरीक मुनकिर है और वारिस तमाम अशया(चीज़ों) की तफ़सील बयान करता है और कहता कि है यह चीज़ें थीं और हलाक व ज़ाइअ् हो गईं तो वारिस का क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शरीक ने उधार बेचने से मनअ् कर दिया था और उस ने उधार बेचदी तो उस के हिस्सा में बैअ् नाफ़िज़ है और शरीक के हिस्से की बैअ् मौक़ूफ़ है अगर शरीक ने इजाज़त दे दी कुल में बैअ् हो जायेगी और नफ़अ् में दोनों शरीक हैं और इजाज़त न दी तो शरीक के हिस्से की बैअ् बातिल होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शरीक ने परदेस में माले तिजारत ले जाने से मनअ् कर दिया था मगर यह न माना और ले गया और वहाँ नफ़अ् के साथ फ़रोख़्त किया तो चूँकि शरीक की मुख़ालिफ़त करने से ग़ासिब हो गया और शिरकत फ़ासिद हो गई लिहाज़ा नफ़अ् सिर्फ़ उसी को मिलेगा और माल ज़ाइअ् होगा तो तावान देना पड़ेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शरीक पर ख़ियानत का दअ़्वा करे तो अगर दअ़्वा सिर्फ़ इतना है कि उस ने ख़ियानत की यह नहीं बताता कि क्या ख़यानत की तो शरीक पर हल्फ़ न देंगे हाँ अगर ख़ियानत की तफ़सील बताता है तो उस पर हल्फ़ देंगे और हल्फ़ के साथ उस का क़ौल मोअ़्तबर होगा (रद्दुल मुहतार)

शिरकत बिल अ़मल (काम में शरीक होना)के मसाइल

मसअ्ला :– शिरकत बिल अ़मल उसी को शिरकत बिलअब्दान और शिरकते तक़ब्बुल व शिरकते सनाइअ् भी कहते हैं वह यह है कि दो कारीगर लोगों के यहाँ से काम लायें और शिरकत में काम करें और कुछ जो मज़दूरी मिले आपस में बाँट लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस शिरकत में यह जरूर नहीं कि दोनों एक ही काम के कारीगर हों बल्कि दो मुख़्तलिफ कामों के कारीगर भी बाहम यह शिरकत कर सकते हैं मसलन एक दरज़ी है दूसरा रंगरेज़ दोनों कपड़े लाते हैं वह सिलता है यह रंगता है और सिलाई रंगाई की जो कुछ उजरत मिलती है उस में दोनों की शिरकत होती है और यह भी ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही दुकान में काम करें बल्कि दोनों की अलग अलग दुकानें हों जब भी शिरकत हो सकती है मगर यह ज़रूरी है कि वह काम ऐसे हों कि अ़क्द इजारा की वजह से उस काम का करना उन पर वाजिब हो और अगर काम ऐसा न हो मसलन हराम काम पर इजारा हुआ जैसे दो नौहा करने वालियाँ कि उजरत लेकर नौहा करती हों उनमें बाहम शिरकते अ़मल हो तो न उन का इजारा सहीह है न उनमें शिरकत सहीह (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तअ्लीमे कुर्आन व इल्मे दीन और अज़ान व इमामत पर चूँकि बर बिना क़ौले मुफ़्ती (मुफ़्ती के फ़रमाने के मुताबिक़) यह उजरत लेना जाइज़ है उस में शिरकते अ़मल भी हो सकती है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़मल में हर एक दूसरे का वकील होता है लिहाज़ा जहाँ तोकील(वकील बनाना)दुरुस्त न हो यह शिरकत भी सहीह नहीं मसलन चन्द गदागरों(फ़क़ीरों) ने बाहम शिरकते अ़मल की तो यह सहीह नहीं कि सवाल की तोकील दुरुस्त नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस में यह ज़रूरी नहीं कि जो कुछ कमाये उस में बराबर के शरीक हों बल्कि कम व बेश की भी शर्त हो सकती है और बाहम जो कुछ शर्त कर लें उसी के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी यूँहीं अ़मल में भी बराबर शर्त नहीं बल्कि अगर यह शर्त करलें कि वह ज़्यादा काम करेगा और यह कम जब भी जाइज़ है और कम काम वाले को अमदनी में ज़्यादा हिस्सा देना ठहरा लिया जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह ठहरा है कि आमदनी में से मैं दो तिहाई लूँगा और तुझे एक तिहाई दूँगा और अगर कुछ नुक़सान व तावान देना पड़ेगा तो दोनों बराबर बराबर देंगे तो आमदनी उसी शर्त के बमोजिब तक़सीम होगी और नुक़सान में बराबरी की शर्त बातिल है उस में भी उसी हिसाब से तावान देना होगा यानी एक तिहाई वाला एक तावान तिहाई दे और दूसरा दो तिहाईयाँ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो काम उजरत का उन में एक शख़्स लायेगा वह दोनों पर लाज़िम होगा लिहाज़ा जिस ने काम दिया है वह हर एक से काम का मुतालबा कर सकता है शरीक यह नहीं कह सकता है कि काम वह लाया है उस से कहो मुझे उस से तअ़ल्लुक़ नहीं यूँहीं हर एक उजरत का मुतालबा भी कर सकता है और काम वाला उनमें जिस को उजरत देदेगा बरी हो जायेगा दूसरा उस से अब उजरत का मुतालबा नहीं कर सकता यह नहीं कह सकता कि उस को तुम ने क्यों दिया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दोनों में से एक ने काम किया है और दूसरे ने कुछ न किया मसलन बीमार था या सफ़र में चला गया था जिसकी वजह से काम न कर सका या बिला वजह क़स्दन उसने काम न किया जब भी आमदनी दोनों पर मुआहिदा के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह हम पहले बता चुके हैं कि शिरकते अ़मल कभी मुफ़ाविज़ा होती है और कभी शिरकते इनान लिहाज़ा अगर मुफ़ाविज़ा का लफ़्ज़ या उस के मअ़्ना का ज़िक्र कर दिया यानी कह दिया कि दोनों काम लायेंगे और दोनों बराबर के ज़िम्मा दार हैं और नफ़अ़् नुक़सान में दोनों बराबर के शरीक हैं और शिरकत की वजह से जो कुछ मुतालबा होगा उस में हर एक दूसरे का कफ़ील है तो शिरकत मुफ़ाविज़ा है और अगर काम और आमदनी या नुक़सान में बराबरी की शर्त न हो या लफ़्ज़े इनान ज़िक्र कर दिया हो तो शिरकते इनान है (आलमगीरी)

मसअला :– मुतलक़ शिरकत ज़िक्र की न मुफ़ाविज़ा ज़िक्र किया न इनान न किसी के मअ़्ना का बयान किया तो उस में बाज़ अहकाम इनान के होंगे मसलन किसी ऐसे दैन(क़र्ज़) का इक़रार किया कि शिरकत के काम के लिए मैं फ़ुलाँ चीज़ लाया था और वह ख़र्च हो चुकी और उस के दाम देने हैं या फ़लाँ मज़दूर की मज़दूरी बाक़ी है या फ़ुलाँ गुज़शता महीना का दुकान का किराया बाक़ी है तो अगर गवाहों से साबित कर दे जब तो उस के शरीक के ज़िम्मा भी है वरना तन्हा उसी के ज़िम्मा होगा और बाज़ अहकाम मुफ़ाविज़ा के होंगे मसलन किसी ने एक को या दोनों को कोई काम दिया है तो हर एक से वह मुतालबा कर सकता है और अगर एक पर कोई तावान लाज़िम होगा तो दूसरे से भी उस का मुतालबा होगा (आलमगीरी)

मसअला :– बाप बेटे मिलकर काम करते हों और बेटा बाप के साथ रहता हो तो जो कुछ आमदनी होगी वह बाप ही की है बेटा शरीक नहीं क़रार पायेगा बल्कि मददगार तसव्वुर किया जायेगा यहाँ तक कि बेटा अगर दरख़्त लगाये तो वह भी बाप ही का है यूँहीं मियाँ बीवी मिलकर करें और उन के पास कुछ न था मगर दोनों ने काम कर के बहुत कुछ जमअ़् कर लिया तो यह सारा माल शौहर ही का है और औ़रत मददगार समझी जायेगी हाँ अगर औ़रत का काम जुदागाना है मसलन मर्द किताबत का काम करता है और औ़रत सिलाई करती है तो सिलाई की जो कुछ आमदनी है उस की मालिक औ़रत हैं (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स ने दर्ज़ी को यह कहकर कपड़ा दिया कि उसे तुम खुद ही सीना और उस दर्ज़ी का कोई शरीक है कि दोनों में शिरकते मुफ़ाविज़ा है तो कपड़ा देने वाला उन दोनों में जिस से चाहे मुतालबा कर सकता है और अगर शिरकत टूट गई या जिस को उस ने कपड़ा दिया था मर गया तो अब दूसरे से सीने का मुतालबा नहीं कर सकता और अगर यह नहीं कहा था कि तुम खुद ही सीना तो मरने और शिरकत जाती रहने के बाद भी दूसरे से मुतालबा कर सकता है कि उसे सीकर दे (आलमगीरी)

मसअला :– दो शरीक हैं उन पर किसी ने दअ़्वा किया कि मैंने उन को सीने के लिए कपड़ा दिया था उन में एक इक़रार करता है दूसरा इन्कार तो वह इक़रार दोनों के हक़ में हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– तीन शख़्स जो बाहम शरीक नहीं हैं उन तीनों ने किसी से काम लिया कि हम सब

उस काम को करेंगे मगर वह काम तन्हा एक ने किया बाक़ी दो ने नहीं किया तो उस को सिर्फ़ एक तिहाई उजरत मिलेगी कि इस सूरत में एक तिहाई काम का यह ज़िम्मा दार था बक़िया दो तिहाईयों का न उस से मुतालबा हो सकता था न उस के इजारा में है तो जो कुछ उस ने किया बतौर ततव्वुअ् किया और उस की उजरत का मुस्तहक़ नहीं (आलमगीरी) यह हुक्म कि सिर्फ़ एक तिहाई उजरत मिलेगी क़ज़ाअन है और दियानत का हुक्म यह है कि पूरी उजरत उसे दे दी जाये क्योंकि उस ने पूरा काम यही ख़याल कर के किया कि मुझे पूरी मज़दूरी मिलेगी और अगर उसे मालूम होता है कि एक ही तिहाई मिलेगी तो हरगिज़ काम अन्जाम न देता (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अकसर ऐसा होता है कि जो किसी काम का उस्ताद होता है वह अपने शागिर्दों को दुकान पर बिठा लेता है कि ज़रूरी काम उस्ताज़ करते हैं और बाक़ी सब काम शागिर्दों से लेते हैं अगर इन उस्तादों ने शागिर्दों के साथ शिरकते अ़मल की मसलन दर्ज़ी ने अपनी दुकान पर शागिर्द को बिठा लिया कि कपड़ों को उस्ताद क़तअ् (काटेगा)कर देगा और शागिर्द सियेगा और उजरत जो होगी उस में बराबर के दोनों शरीक होंगे या कारीगर ने अपनी दुकान पर किसी को काम करने के लिए बैठा लिया कि उसे काम देता है और उजरत निस्फ़न निस्फ़ (आधी–आधी)लेते हैं यह जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यूँही शिरकत हुई कि एक के औज़ार होंगे और दूसरे का मकान या दुकान और दोनों मिलकर काम करेंगे तो शिरकत जाइज़ है और यूँ हुई कि एक के औज़ार होंगे और दूसरा काम करेगा तो यह शिरकत नाजाइज़ है(रद्दुल मुहतार)

शिरकते वुजूह के अहकाम

मसअ्ला :– शिरकते वुजूह यह है कि दोनों बग़ैर माल अ़क़्दे शिरकत करें कि अपनी वजाहत और आबरु की वजह से दुकानदारों से उधार ख़रीद लायेंगे और माल बेचकर उन के दाम देदेंगे और जो कुछ बचेगा वह दोनों बाँट लेंगे और उस की भी दो क़िस्में मुफ़ाविज़ा व इनान हैं और दोनों की सूरतें भी वही हैं जो ऊपर मज़कूर हुईं और मुतलक़ शिरकत मज़कूर हो तो इनान होगी और उस में भी अगर मुफ़ाविज़ा है तो हर एक दूसरे का वकील भी है और कफ़ील भी और इनान है तो सिर्फ़ वकील ही है कफ़ील नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़अ् में यहाँ भी बराबरी ज़रूर नहीं अगर शिरकते इनान है तो नफ़अ् में बराबरी या कम या बेश जो चाहे शर्त कर लें मगर यह ज़रुर है कि नफ़अ् में वही सूरत हो जो ख़रीद की हुई चीज़ में मिल्क की सूरत में, हो मसलन अगर वह चीज़ एक की दो तिहाई होगी और एक की एक तिहाई तो नफ़अ् भी उसी हिसाब से होगा और अगर मिल्क में कम व बेश है मगर नफ़अ् में मसावात (बराबरी)या नफ़अ् कम व बेश है और मिल्क में बराबरी तो यह शर्त बातिल व नाजाइज़ है और नफ़अ् उसी मिल्क के हिसाब से तक़सीम होगा (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

शिरकते फ़ासिदा का बयान

मसअ्ला :– मुबाह चीज़ के हासिल करने के लिए शिरकत की यह नाजाइज़ है मसलन जंगल की लकड़ियाँ या घास काटने क़ी शिरकत की कि जो कुछ काटेंगे वह हम दोनों में मुश्तरक होगी या शिकार करने या पानी भरने में शिरकत की या जंगल और पहाड़ के फल चुनने में शिरकत क़ी या जाहिलियत(यानी ज़माना कुफ़्र)के दफ़ीने निकालने में शिरकत की या मुबाह ज़मीन से मिट्टी उठा

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की ख़िदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

लाने में शिरकत की या ऐसी मिट्टी की ईंट बनाने या ईंट पकाने में शिरकत की यह सब शिरकतें फ़ासिद व नाजाइज़ हैं और इन सब सूरतों में जो कुछ जिस ने हासिल किया है उसी का है और अगर दोनों ने एक साथ हासिल किया और मालूम न हो कि किस का हासिल किया हुआ कितना है कि जो कुछ हासिल किया वह मिला दिया है और पहचान नहीं है तो दोनों बराबर के हिस्से दार हैं चाहे चीज़ की तक़सीम कर लें या बेचकर दाम बराबर बराबर बाँट लें इस सूरत में अगर कोई अपना हिस्सा ज़्यादा बताता हो तो उस का एअ्तिबार नहीं जब तक गवाहों से साबित न कर दे।

मसअला :– मिट्टी किसी की मिल्क है और दो शख़्सों ने इस से ईंट बनाने या पकाने की शिरकत की तो यह सहीह है कि इस का मतलब यह है कि उस से मिट्टी ख़रीद कर ईंट बनायेंगे और उस को पकायेंगे और ईंटें बेचकर मालिक को क़ीमत देदेंगे और जो नफ़अ् होगा वह हमारा है और इस सूरत में यह शिरकते वुजूह होगी (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों ने मुबाह चीज़ के हासिल करने में अक़्दे शिरकत किया और एक ने उस को हासिल किया और दूसरा उस का मुईन व मददगार रहा मसलन एक ने लकड़ियाँ काटीं दूसरा जमअ् करता रहा उस के गठ्ठे बाँधे उसे उठा कर बाज़ार वग़ैरा ले गया या एक ने शिकार पकड़ा दूसरा जाल उठा कर ले गया या और काम किये तो इस सूरत में भी चूँकि शिरकत सहीह नहीं मालिक वही है जिस ने हासिल किया यानी मसलन जिस ने लकड़ियाँ काटीं या जिसने शिकार पकड़ा और दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल (इन काम करने की जो उजरत है वह देना काफ़ी –क़ादरी)दी जायेगी और जाल तानने में शरीक ने मदद की और शिकार हाथ नहीं आया जब भी उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– शिकार करने में दोनों ने शिरकत की और दोनों का एक ही कुत्ता है जिस को दोनों ने शिकार पर छोड़ा या दोनों ने मिलकर जाल ताना तो शिकार दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और अगर कुत्ता एक का था और उसी के हाथ में था मगर छोड़ा दोनों ने तो शिकार का मालिक वही है जिस का कुत्ता है मगर उस ने अगर दूसरे को बतौर आ़रियत(किराये पर) कुत्ता देदिया है तो दूसरा मालिक होगा और अगर दोनों के दो कुत्ते हैं और दोनों ने मिलकर एक शिकार पकड़ा तो बराबर बराबर बाँट लें और हर एक कुत्ते ने एक एक शिकार पकड़ा तो जिस के कुत्ते ने जो शिकार पकड़ा उस का वही, मालिक है (आलमगीरी)

मसअला :– गदागरों (भिकारियों)ने अक़्दे शिरकत किया कि जो कुछ माँग लायेंगे वह दोनों में मुश्तरक होगा यह शिरकत सहीह नहीं और जिसने जो कुछ माँग कर जमअ् किया वह उसी का है(आलमगीरी)

मसअला :– अगर शिरकते फ़ासिदा में दोनों शरीकों ने माल की शिरकत की है तो हर एक को नफ़अ् बक़द्र माल के मिलेगा और काम की कोई उजरत नहीं मिलेगी मसलन दोनों ने एक एक हज़ार के साथ शिरकत की और एक ने यह शर्त लगादी है कि मैं दस रुपये नफ़अ् के लूँगा इस शर्त की वजह से शिरकत फ़ासिद होगई और चूँकि माल बराबर है लिहाज़ा नफ़अ् बराबर तक़सीम कर लें और फ़र्ज़ करो कि सूरते मज़कूरा में एक ही ने काम किया हो जब भी काम का मुआ़विज़ा न मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शिरकते फ़ासिदा में अगर एक ही का माल हो तो जो कुछ नफ़अ् हासिल होगा उसी

माल वाले को मिलेगा और दूसरे को काम की उजरत दी जायेगी मसलन एक शख़्स ने अपना जानवर दूसरे को दिया कि उस को किराये पर चलाओ और किराये की आमदनी आधी आधी दोनों लेंगे यह शिरकत फ़ासिद है और कुल आमदनी मालिक को मिलेगी और दूसरे को अज्रे मिस्ल(काम की मजदूरी जितनी उस जैसे काम की मिलती हो क़ादरी)यूँही कश्ती चन्द शख़्सों को देदी कि उस से काम करें और आमदनी मालिक और काम करने वालों पर बराबर तक़सीम हो जायेगी तो यह शिरकत फ़ासिद है और उस का हुक्म भी वही है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स के पास ऊँट है दूसरे के पास ख़च्चर दोनों ने उन्हें उजरत पर चलाने की शिरकत की यह शिरकत फ़ासिद है और जो कुछ उजरत मिलेगी उस को ख़च्चर और ऊँट पर तक़सीम करदेंगे ऊँट की उजरते मिस्ल ऊँट वाले को और ख़च्चर की उजरते मिस्ल ख़च्चर वाले को मिलेगी और अगर ख़च्चर और ऊँट को किराये पर चलाने की जगह ख़ुद उन दोनों ने बार बरदारी पर शिरकते अ़मल की कि बारबरदारी करेंगे और आमदनी बहिस्सा मसावी बाँट लेंगे तो यह शिरकत सहीह है अब अगर्चे एक ने ख़च्चर ला कर बोझा लादा और दूसरे ने ऊँट पर बोझ लादा दोनों को हस्बे शर्त बराबर हिस्सा मिलेगा (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक ने दूसरे को अपना जानवर दिया कि उस पर तुम अपना सामान लाद कर फेरी करो जो नफ़अ् होगा उस को बहिस्सा मसावी तक़सीम करेंगे यह शिरकत भी फ़ासिद है नफ़अ् का मालिक वह है जिस ने फेरी की और जानवर वाले को उजरते मिस्ल देंगे यूँहीं अपना जाल दूसरे को मछली पकड़ने के लिए दिया कि जो मछली मिलेगी उसे बराबर बाँट लेंगे तो मछली उसी को मिलेगी जिस ने पकड़ी और जाल वाले को उजरते मिस्ल मिलेगी दुर्रे मुख़्तार (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चन्द हम्मालों (कुली)ने यूँ शिरकत की कि कोई बोरी में ग़ल्ला भरेगा और कोई उठा कर दूसरे की पीठ पर रखेगा और कोई मालिक के घर पहुँचायेगा और मज़दूरी जो कुछ मिलेगी उसे सब बहिस्से–ए–मसावी(बराबर–बराबर) तक़सीम करेंगे तो यह शिरकत भी फ़ासिद है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स की गाय है उस ने दूसरे को दी कि वह उसे पाले चारा खिलाये निगेहदाश्त करे और जो बच्चा उस से पैदा हो उस में दोनों निस्फ़ निस्फ़ के शरीक होंगे तो यह शिरकत भी फ़ासिद है बच्चा उस का होगा जिसकी गाय है और दूसरे को उसी के मिस्ल चारा दिलाया जायेगा जो उसे खिलाया या और निगेहदाश्त वग़ैरा जो काम किया है उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी यूँहीं बकरियाँ चरवाहों को जो इस तरह देते हैं कि वह चराये और निगेहदाश्त(देख रेख) करे और बच्चों में दोनों शरीक होंगे यह उजरत भी फ़ासिद है बच्चा उस का है जिसकी बकरी है और चरवाहे को चरवाही और निगेहदाश्त की उजरते मिस्ल मिलेगी या मुर्ग़ी दूसरे को दे देते हैं कि अन्डे जो होंगे वह निस्फ़ निस्फ़ दोनों के होंगे या मुर्ग़ी और अन्डे बिठाने के लिए दूसरे को देते हैं कि बच्चे हो कर जब बड़े हो जायेंगे तो दोनों बहिस्सा मसावी तक़सीम करलेंगे यह शिरकत भी फ़ासिद है और उस का भी वही हुक्म है उस के जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि गाय, बकरी, मुर्ग़ी वग़ैरा में आधी दूसरे के हाथ बेचडाले अब चूँकि उन जानवरों में शिरकत होगई बच्चे भी मुशतरक होंगे(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दोनों शरीकों में कोई भी मर जाये उस की मौत का इल्म शरीक को हो या न हो बहर हाल शिरकत बातिल हो जायेगी यह हुक्म शिरकते अ़क़्द का है और शिरकते मिल्क अगर्चे मौत से

बातिल नहीं होती मगर बजाए मय्यत अब उस के वुरसा शरीक होंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तीन शख़्सों में शिरकत थी उन में एक का इन्तिक़ाल हो गया तो दो बाक़ियों में बदस्तूर शिरकत बाक़ी है (बहर)

मसअला :– शरीकों में से मआज़ल्लाह कोई मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने उस के दारुल हर्ब में लुहूक़ (मिलने)का हुक्म भी देदिया तो यह हुक्मन मौत है और उस से भी शिरकत बातिल हो जाती है कि अगर वह फिर मुस्लिम होकर दारुलहर्ब से वापस आया तो शिरकत ऊद न करेगी (यानी पुरानी शिरकत न होने की तरह मानी जायेगी–क़ादरी)और अगर मुरतद हुआ मगर अभी दारुलहर्ब को नहीं गया या चला भी गया मगर क़ाज़ी ने अबतक लुहूक़ नहीं दिया है तो शिरकत बातिल होने का हुक्म न देंगे बल्कि अभी मौक़ूफ़ रखेंगे अगर मुसलमान हो गया तो शिरकत बदस्तूर है और अगर मर गया या क़त्ल किया गया तो शिरकत बातिल हो गई(आलमगीरी)

मसअला :– दोनों में एक ने शिरकत को फ़स्ख़ कर दिया अगर्चे दूसरा इस फ़स्ख़ पर राज़ी न हो जब भी शिरकत फ़स्ख़ हो गई बशर्ते कि दूसरे को फ़स्ख़ करने का इल्म हो और दूसरे को मालूम न हुआ तो फ़स्ख़ न होगी और यह शर्त नहीं कि माले शिरकत रुपया अशरफ़ी हो बल्कि अगर तिजारत के सामान मौजूद हैं जो फ़रोख़्त नहीं हुए एक ने फ़स्ख़ कर दिया जब भी फ़स्ख़ हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शरीक ने शिरकत से इन्कार कर दिया यानी कहता है मैंने तेरे साथ शिरकत की ही नहीं तो शिरकत जाती रही और जो कुछ शिरकत का माल उस के पास है उस में शरीक के हिस्से का तावान देना होगा कि शरीक अमीन होता है और अमानत से इन्कार ख़यानत है और तावान लाज़िम और अगर शिरकत से इन्कार नहीं करता बल्कि कहता है कि मैं तेरे साथ काम न करूँगा तो यह भी फ़स्ख़ ही है शिरकत जाती रहेगी और अमवाले शिरकत की क़ीमत अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ शरीक से लेगा और शरीक ने अमवाल को बेचकर कुछ मुनाफ़ेअ़ हासिल किए तो मनफ़अ़त से उसे कुछ न मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– तीन शख़्सों में शिरकते मुफ़ाविज़ा है उन में दो शिरकत को तोड़ना चाहते हों तो जब तक तीसरा भी मौजूद न हो शिरकत तोड़ नहीं सकते (आलमगीरी)

मसअला :– अगर एक शरीक पागल हो गया और जुनून भी मुतमद्दिद (लम्ब समय तक) है तो शिरकत जाती रही और दूसरे शरीक ने बादे इमतिदादे जुनून (जुनून का बहुत ज़माने)जो कुछ तसर्रुफ़ किया यानी शिरकत की चीज़ें फ़रोख़्त की और नफ़अ़ मिला तो सारा नफ़अ़ उसी का है मगर मजनून के हिस्सा में जो नफ़अ़ आता उसे तसद्दुक़ (सदक़ा)कर देना चाहिए कि मिल्के ग़ैर में बग़ैर इजाज़त तसर्रुफ़ कर के नफ़अ़ हासिल किया है और बुतलाने शिरकत की दूसरी सूरतों में भी ज़ाहिर यही है कि शरीक के हिस्से के मक़ाबिल में जो नफ़अ़ है उसे तसद्दुक़ कर दे(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

शिरकत के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअला :– शरीक को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर उस की इजाज़त के उस की तरफ़ से ज़कात अदा करे अगर ज़कात देगा तावान देना पड़ेगा और ज़कात अदा न होगी और अगर हर एक ने दूसरे को ज़कात देने की इजाज़त दी है अपनी और शरीक दोनों की ज़कात देदी तो अगर यह देना

बएक वक़्त हो तो हर एक को दूसरे की ज़कात का तावान देना होगा और दोनों बाहम मुक़ास्सा (अदला– बदला) कर सकते हैं कि न मैं तुम को तावान दूँ न तुम मुझ को जब कि दोनों ने एक मिक़दार से ज़कात अदा की हो यानी मसलन उस ने इस की तरफ़ से दस रुपये दिए और इस ने उस की तरफ़ से दस रुपये दिये और अगर एक ने दूसरे की तरफ़ से ज़्यादा दिया है और दूसरे ने उस की तरफ़ से कम तो ज़्यादा को वापस ले और बाक़ी में मुक़ास्सा करलें और अगर बएक वक़्त देना न हुआ एक ने पहले देदी दूसरे ने बाद को तो पहले वाला कुछ न देगा और बाद वाला तावान दे बाद वाले को मालूम हो कि उस ने खुद ज़कात दे दी है या मालूम न हो बहर हाल तावान उसके ज़िम्मा है यूँहीं अलावा शरीक के किसी और को ज़कात या कफ़्फ़ारा के लिए उस ने मामूर किया था और उस ने खुद उस के पहले या बयक वक़्त अदा कर दिया तो मामूर (जिस को हुक्म दिया गया हो)का अदा करना सहीह न होगा और तावान देना पड़ेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार तबईईन)

मसअ्ला :– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है एक ने दूसरे से वती करने के लिए कनीज़ ख़रीदने की इजाज़त माँगी दूसरे ने सरीह लफ़्ज़ों (साफ़ लफ़्ज़ों में) में इजाज़त देदी उसने ख़रीद ली तो यह कनीज़ मुश्तरक न होगी बल्कि तन्हा उस की है और शरीक की तरफ़ से उस को हिबा समझा जायेगा मगर बाइअ् हर एक से समन का मुतालबा कर सकता है और अगर शरीक ने साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त न दी मसलन सुकूत किया तो यह इजाज़त नहीं और वह ख़रीदेगा तो कनीज़ मुश्तरक होगी और वती जाइज़ नहीं होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी है किसी दूसरे शख़्स ने उस से यह कहा मुझे उस में शरीक कर ले मुश्तरी ने कहा शरीक कर लिया अगर यह बातें उस वक़्त हुईं कि मुश्तरी ने मबीअ् (सौदा) पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो शिरकत सहीह है और क़ब्ज़ा न किया हो तो शिरकत सहीह नहीं क्योंकि अपनी चीज़ों में दूसरे को शरीक करना उस के हाथ बैअ् करना है और बैअ् उसी चीज़ की हो सकती है जो क़ब्ज़ा में हो और जब शिरकत सहीह होगी तो निस्फ़ समन देना लाज़िम होगा कि दोनों बराबर के शरीक क़रार पायेंगे अल्बत्ता अगर बयान कर दिया है कि एक तिहाई या चौथाई या इतने हिस्से की शिरकत है तो जो कुछ बयान किया है उतनी ही शिरकत होगी और उसी की मुवाफ़िक़ समन देना लाज़िम होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी है दूसरे ने कहा मुझे उस में शरीक कर ले उस ने मन्ज़ूर कर लिया फिर तीसरा शख़्स उसे मिला उस ने भी कहा मुझे इस में शरीक कर ले और उस को शरीक करना भी मन्ज़ूर किया तो अगर इस तीसरे को मालूम था कि एक शख़्स की शिरकत हो चुकी है तो तीसरा एक चौथाई का शरीक है और दूसरा निस्फ़ का और अगर मालूम न था तो यह भी निस्फ़ का शरीक हो गया यानी दूसरा और तीसरा दोनों शरीक हैं और पहला शख़्स अब उस चीज़ का मालिक न रहा और यह शिरकत शिरकते मिल्क है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा जो कुछ आज या उस महीने में मैं ख़रीदूँगा उस में हम दोनों शरीक हैं या किसी ख़ास किस्म की तिजारत के मुतअ़ल्लिक़ कहा मसलन जितनी गायें या बकरियाँ ख़रीदूँगा उन में हम दोनों शरीक हैं और दूसरे ने मन्ज़ूर किया तो शिरकत सहीह है (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों का दैन एक शख़्स पर वाजिब हुआ और एक ही सबब से हो तो वह दैन मुश्तरक(कर्ज़ शामिल) है मसलन दोनों की एक मुश्तरक चीज़ थी और उसे किसी के हाथ उधार बेचा या दोनों ने अपनी चीज़ एक अक़्द के साथ किसी के हाथ बैअ़ की तो यह दैन मुश्तरक है या दोनों ने उसे एक हज़ार कर्ज़ दिया या दोनों के मूरिस का किसी पर दैन है यह सब दैन मुश्तरक की सूरतें हैं उस का हुक्म यह है कि जो कुछ इस दैन में का एक ने वुसूल किया तो उस में दूसरा भी शरीक है अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ तक़सीम कर लें और जो चीज़ वुसूल की है उसकी जगह पर अपने शरीक को दूसरी चीज़ देना चाहता है तो बग़ैर उस की मर्ज़ी के नहीं दे सकता या यह दूसरी चीज़ लेना चाहता है तो उस की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं ले सकता और जिसने वुसूल नहीं किया है उसे यह भी इख़्तियार है कि वुसूल करने वाले से न ले बल्कि मदयून से यह भी वुसूल करे मगर जब कि मदयून ने तमाम मुतालबा अदा कर दिया है तो अब मदयून से वुसूल नहीं कर सकता बल्कि शरीक ही से लेगा (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों का दैन किसी पर वाजिब है मगर दोनों का एक सबब न हो बल्कि दो सबब ख़्वाह हक़ीक़तन दो हों या हुक्मन तो यह दैन मुश्तरक नहीं मसलन दोनों ने अपनी दो चीज़ें एक शख़्स के हाथ बेचीं और हर एक ने अपनी चीज़ का समन अ़लाहिदा अ़लाहिदा बयान कर दिया या दोनों की एक मुश्तरक चीज़ थी वह बेची और अपने अपने हिस्से का समन बयान कर दिया तो अब दैन मुश्तरक न रहा और एक ने मुश्तरी से कुछ वुसूल किया तो दूसरा उस से अपने हिस्से का मुतालबा नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स पर हज़ार रुपया दैन था दो शख़्सों ने उस की ज़मानत की और ज़ामिनो ने अपने मुश्तरक माल से हज़ार अदा कर दिये फिर एक ज़ामिन ने मदयून(कर्ज़दार)से कुछ वुसूल किया तो दूसरा भी उस में शरीक है और अगर ज़ामिन ने उस से रुपया वुसूल नहीं किया बल्कि अपने हिस्से के बदले में मदयून से कोई चीज़ ख़रीद ली तो दूसरा उस चीज़ का निस्फ़ समन उससे वुसूल कर सकता है और अगर दोनों चाहें तो उस चीज़ में शिरकत करलें और अगर एक ज़ामिन ने चीज़ नहीं ख़रीदी बल्कि अपने कर्ज़ के हिस्से के मक़ाबिल में उस चीज़ पर मुसालिहत की और चीज़ लेली अब दूसरा मुतालबा करता है तो पहले को इख़्तियार है कि आधी चीज़ देदे या उस के हिस्से का आधा दैन अदा कर दे और माले मुश्तरक से अदा न किया हो तो दूसरा उस में शरीक नहीं और अब जो कुछ अपना हक़ वुसूल करेगा दूसरे को उस से तअ़ल्लुक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों के एक शख़्स पर हज़ार रुपये दैन हैं उन में एक ने पूरे हज़ार से सौ रुपया में सुलह कर ली और यह सौ रुपये उस से ले भी लिए उस के बाद शरीक ने जो कुछ उस ने किया जाइज़ रखा तो सौ में से पचास उसे मिलेंगे और अगर क़ाबिज़ कहता है कि वह रुपये मेरे पास से ज़ाइअ़ होगये तो शरीक को उस का तावान नहीं मिलेगा कि जब उस ने सब कुछ जाइज़ कर दिया तो यह अमीन हुआ और अमीन पर तावान नहीं और अगर शरीक ने सुलह को जाइज़ रखा मगर यह नहीं कहा कि जो कुछ उस ने किया मैं ने सब जाइज़ रखा तो यह शरीक मदयून से

अपने हिस्सा के पचास वुसूल कर सकता है और मदयून यह पचास उस से वापस लेगा जिस को सौ रुपये दिए हैं कि उस सूरत में सूलह की इजाज़त है कब्ज़ा की नहीं तो अमीन न हुआ।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ग़ाइब हो गया तो दूसरा बक़द्र अपने के उस मकान में सुकूनत कर सकता है और अगर वह मकान ख़राब हो गया और उस की सुकूनत की वजह से ख़राब हुआ है तो उस का तावान देना पड़ेगा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था तक़सीम हो चुकी है और हर एक का हिस्सा मुमताज़(अलग)है और एक हिस्से का मालिक ग़ाइब हो गया तो दूसरा उस में सुकूनत नहीं कर सकता और न बग़ैर इजाज़ते क़ाज़ी उसे किराये पर दे सकता है और अगर ख़ाली पड़ा रहने में ख़राब होने का अन्देशा हैं तो क़ाज़ी उस को किराये पर दे दे और किराया मालिक के लिए महफ़ूज़ रखे और दो शख़्सों में मुश्तरक खेत है और एक शरीक ग़ाइब हो गया तो अगर काश्त करने से ज़मीन अच्छी होती रहेगी तो पूरी ज़मीन में काश्त करे जब दूसरा शरीक आजाये तो जितनी मुद्दत उस ने काश्त की है वह करले और अगर काश्त से ज़मीन ख़राब होगी या काश्त न करने में अच्छी होगी तो कुल ज़मीन में काश्त न करे बल्कि अपने ही बराबर हिस्सा में ज़राअ़त करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– ग़ल्ला या रुपया मुश्तरक है और एक शरीक ग़ाइब है और जो मौजूद है उसे ज़रूरत है तो अपने हिस्से के लाइक़ लेकर ख़र्च कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्स शरीक हों और हर एक को दूसरे के साथ काम करने पर मजबूर किया जा सकता हो और शरीक को काम करना और उस पर ख़र्च करना ज़रूरी हो अगर बग़ैर इजाज़त शरीक ख़र्च करेगा तो यह ख़र्च करना तबर्रोअ़ होगा और उस का मुआवज़ा कुछ न मिलेगा मसलन चक्की दो शख़्सों में मुश्तरक है और इमारत ख़राब हो गई मरम्मत की ज़रूरत है बग़ैर इजाज़त एक ने मरम्मत करादी तो उसका ख़र्च शरीक से नहीं ले सकता या शरीक से उसने इजाज़त माँगी उस ने कह दिया कि काम चल सकता है मरम्मत की ज़रूरत नहीं और उस ने सर्फ़ कर दिया तो कुछ नहीं पायेगा या खेत मुश्तरक है और उस पर ख़र्च करने की ज़रूरत है या गुलाम मुश्तरक है उस को नफ़क़ा वग़ैरा देना ज़रूरी है उन में भी बग़ैर इजाज़त सर्फ़ करने पर कुछ नहीं पायेगा क्यों कि इन सब शरीकों को ख़र्च करने पर मजबूर किया जा सकता है अगर वह इजाज़त नहीं देता क़ाज़ी के पास दअ्वा कर दे क़ाज़ी उसे ख़र्च करने पर मजबूर करेगा फिर उसे ख़र्च करने की क्या हाजत रही लिहाज़ा तबर्रोअ़ है और अगर ख़र्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और यह बग़ैर ख़र्च के अपना काम नहीं चला सकता तो बग़ैर इजाज़त ख़र्च करना तबर्रोअ़ नहीं. मसलन दो मन्ज़िला मकान है ऊपर का एक शख़्स का है और नीचे का दूसरे का नीचे का मकान गिर गया और यह अपना हिस्सा नहीं बनवाता कि बालाख़ाना वाला उस के ऊपर तअ़्मीर कराये और नीचे वाला बनवाने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता लिहाज़ा अगर बाला ख़ाना वाले ने नीचे के मकान की तअ़्मीर कराई तो मुतबर्रअ़ नहीं यूँहीं मुश्तरक दीवार है जिस पर एक शरीक ने कड़ियाँ डाल कर अपने मकान की छत पाटी है और यह दीवार गिर गई शरीक जब तक यह दीवार तअ़्मीर न कराये उस का काम नहीं चल सकता तो दीवार बनाना तबर्रोअ़ नहीं और अगर शरीक को उस काम का

करना ज़रूरी न हो और बग़ैर इजाज़त करेगा तो तबर्रोअ़ है जैसे दो शख़्सों में मकान मुश्तरक है और ख़राब हो रहा है उस की तअ़मीर ज़रूरी है मगर बग़ैर इजाज़त जो सर्फ़ करेगा उस का मुआवज़ा नहीं मिलेगा कि हो सकता है मकान तक़सीम करा के अपने हिस्से की मरम्मत करा ले पूरे मकान की मरम्मत कराने की उस को क्या ज़रूरत है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला – तीन जगहों में शरीक को मरम्मत व तअ़मीर पर मजबूर किया जायेगा 1.वसी 2.नाज़िर औक़ाफ़ और 3.उस चीज़ के क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़ चीज़)न होने में **वसी की सूरत** यह है कि दो नाबालिग बच्चों में दीवार मुश्तरक है जिस पर छत पटी है और दीवार के गिरने का अन्देशा है दोनों नाबालिगों के दो वसी हैं एक वसी मरम्मत कराने को कहता है दूसरा इन्कार करता है क़ाज़ी एक अमीन भेजेगा अगर यह बयान करे कि मरम्मत की ज़रूरत है तो जो इन्कार करता है उसे मरम्मत कराने पर क़ाज़ी मजबूर करेगा यूहीं अगर मकान दो वक़्फ़ो में मुश्तरक है जिस की मरम्मत की ज़रूरत है और एक का मुतवल्ली इन्कार करता है क़ाज़ी उसे मजबूर करेगा और ग़ैर क़ाबिल क़िस्मत मसलन नहर या कुँआ या कश्ती और हम्माम और चक्की कि उनमें मरम्मत की ज़रूरत होगी तो क़ाज़ी जब्रन मरम्मत करायेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे को इस तौर पर माल दिया कि उस में का आधा उसे बतौर क़र्ज़ दिया है और दोनों ने उस रुपये से शिरकत की और माल ख़रीदा और जिस ने रूपया दिया है वह अपने क़र्ज़ का रूपया तलब कर रहा है और अभी तक माल फ़रोख़्त नहीं हुआ कि रुपया होता अगर फ़रोख़्त तक इन्तिज़ार करे फ़बिहा(तो ठीक) वरना माल की जो उस वक़्त क़ीमत हो उस के हिसाब से अपने क़र्ज़ के बदले में माल ले ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुश्तरक सामान लादकर एक शरीक ले जा रहा है और दूसरा शरीक मौजूद नहीं है रास्ते में बार बरदारी का जानवर थक कर गिर पड़ा और माल ज़ाइअ़ होने या नुक़सान का अन्देशा है उस ने शरीक की अदम मौजूदगी में बार बरदारी का दूसरा जानवर किराये पर लिया तो हिस्सा की क़द्र शरीक से किराया लेगा और अगर मुश्तरक जानवर था जो बीमार हो गया शरीक की अदम मौजूदगी में ज़िबह कर डाला अगर उसके बचने की उमीद थी तो तावान लाज़िम है वरना नहीं और शरीक के अलावा कोई अजनबी शख़्स ज़िबह कर दे तो बहर हाल तावान है यूँहीं चरवाहे ने बीमार जानवर को ज़िबह कर डाला और अच्छे होने की उमीद न थी तो चरवाहे पर तावान नहीं वरना तावान है और अजनबी पर बहर हाल तावान है ख़ानिया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुश्तरक जानवर बीमार हो गया और बैतार(जानवर के इलाज करने वाले) ने दाग़ने को कहा और दाग़ दिया उस से जानवर मर गया तो कुछ नहीं और बग़ैर बैतार की राए के ख़ुद करे तो तावान है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– खेत मुश्तरक था उस को एक शरीक ने बग़ैर इजाज़त बो दिया दूसरा शरीक निस्फ़ बेच देना चाहता है ताकि ज़राअ़त मुश्तरक रहे अगर जमने के बाद दिया है जाइज़ है और पहले दिया तो नाजाइज़ और दूसरा शरीक कहता है कि मैं अपना हिस्सा कच्ची ज़राअ़त का उखाड़लूँगा तो तक़सीम कर दी जाये उस के हिस्सा में जितनी खेती पड़े उखड़वाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शरीक ने मदयून की कोई चीज़ हलाक कर दी और उसका तावान लाज़िम आया उस ने मदयून से मुक़ास्सा कर लिया तो उस का निस्फ़ दूसरा शरीक इस शरीक से वुसूल कर सकता है क्यों कि मुक़ास्सा की वजह से निस्फ़ दैन वुसूल हो गया यूँही एक शरीक ने अपने हिस्सए दैन के बदल में मदयून की कोई चीज़ अपने पास रहन रखी और वह चीज़ हलाक हो गई तो दूसरा शरीक उस का आधा उस शरीक से वुसूल कर सकता यूँही अगर मदयून(कर्ज़मन्द)ने एक शरीक को उस के हिस्सा के लाइक़ किसी को ज़ामिन दिया या किसी पर हवाला कर दिया तो ज़ामिन या हवाला वाले से जो कुछ वुसूल होगा दूसरा शरीक उस में से अपना हिस्सा लेगा(आलमगीरी)

मसअला :– दो शरीकों के एक शख़्स पर हज़ार रुपये बाक़ी हैं और एक शरीक दूसरे के लिए मदयून की तरफ़ से ज़ामिन हुआ तो यह ज़मान बातिल है और उस ज़मान की वजह से ज़ामिन ने दूसरे का उस का हिस्सा अदा कर दिया तो उस में से अपना हिस्सा वापस ले सकता है और अगर बग़ैर ज़ामिन हुए शरीक को रुपया अदा कर दिया तो अदा करना सहीह है और उस में से अपना हिस्सा वापस नहीं ले सकताा और फ़र्ज़ किया जाये कि मदयून से वुसूल ही न हो सका जब भी शरीक से मुतालबा नहीं कर सकता और अगर मदयून खुद या अजनबी ने उस के शरीक का हिस्सा अदा कर दिया है और उस ने बरक़रार रखा अपना हिस्सा उस में से न लिया और मदयून से उस का हिस्सा वुसूल नहीं हो सकता है तो शरीक को जो कुछ मिला है उस में से अपना हिस्सा वापस ले सकता है (आलमगीरी)

वक़्फ़ का बयान

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब इन्सान मर जाता है उस के अ़मल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीन चीज़ों से(कि मरने के बाद उन के सवाब अअ़्माल नामा में दर्ज होते रहते हैं) 1.सदक़ा–ए–जारिया (मसलन मस्जिद बनादी मदरसा बनाना कि उस का सवाब बराबर मिलता रहेगा)या 2.इल्म जिस से उस के मरने के बाद लोगों को नफ़अ़् पहुँचता रहता है या 3.नेक औलाद छोड़ जाये जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ़ करती रहे।

हदीस न.2 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई वग़ैरहा में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ख़ैबर में एक ज़मीन मिली उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर यह अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह मुझ को एक ज़मीन ख़ैबर में मिली है कि उस से ज़्यादा नफ़ीस कोई माल मुझ को कभी नहीं मिला हुज़ूर उस के मुतअ़ल्लिक़ क्या हुक्म देते हैं इरशाद फ़रमाया अगर तुम चाहो तो अस्ल को रोक लो(वक़्फ़ कर दो) और उस के मुनाफ़ेअ़् को सदक़ा कर दो हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उस को इस तौर पर वक़्फ़ किया कि अस्ल न बेची जाये न हिबा की जाये न उस में विरासत जारी हो और उस के मुनाफ़अ़् फ़ुक़रा और रिश्तावालों और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर व मेहमान में ख़र्च किए जायें और खुद मुतवल्ली उस में से मअ़रूफ़ के साथ खाये या दूसरे को खिलाये तो हर्ज नहीं बशर्ते कि उस में से माल जमअ़् न करे।

हदीस न.3 :– इब्ने जुरैज मुहम्मद इब्ने अ़ब्दुल्लाह क़ुरैशी से रावी कि हज़रत उ़समान इब्ने अफ़्फ़ान व ज़ुबैर इब्ने अ़वाम व तलहा इब्ने उ़बैदुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम ने अपने मकानात वक़्फ़ किए थे।

हदीस न.4 :– इब्ने अ़साकर ने अबी मअ़शर से रिवायत की कि हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने वक़्फ़ में यह शर्त की थी कि उन की अकाबिर औलाद से जो दीनदार और साहिबे फ़ज़्ल हो उस को दिया जाये।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व नसाई सअ़्द इब्ने उ़बादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी उन्होंने अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह सअ़्द की माँ का इन्तिकाल हो गया(मैं ईसाले सवाब के लिए कुछ सदका करना चाहता हूँ) तो कौनसा सदका अफ़ज़ल है इरशाद फ़रमाया पानी(कि पानी की वहाँ कमी थी और उस की ज़्यादा हाजत थी)उन्होंने एक कुँआ खुदवा दिया और कह दिया कि यह सअ़्द की माँ के लिए है यानी उस का सवाब मेरी माँ को पहुँचे इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्दों को ईसाले सवाब करना जाइज़ है और यह भी मालूम हुआ कि किसी चीज़ को नामज़द कर देना कि यह फ़ुलाँ के लिए है यह भी जाइज़ है नामज़द करने से वह चीज़ हराम नहीं हो जाती।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी व नसाई व दारेक़ुत्नी समामा इब्ने हज़्न क़ुशैरी से रावी कहते हैं मैं वाक़िआ़ए दार में हाज़िर था(यानी जब बाग़ियों ने हज़रत उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मकान का मुहासिरा किया था जिस में वह शहीद हुए)हज़रत उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने बाला ख़ाना से सर निकाल कर लोगों से फ़रमाया मैं तुमको अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर दरयाफ़्त करता हूँ कि क्या तुम को मालूम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हिजरत कर के मदीना में तशरीफ़ लाये तो मदीना में सिवा बिअ़्रे रूमा (रूमा कुँए के सिवा)के शीरीं पानी न था हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कौन है जो बिअ़्र रूमा को ख़रीद कर उस में अपना डोल मुसलमानों के डोल के साथ कर दे। (यानी वक़्फ़ कर दे कि तमाम मुसलमान उस से पानी भरें) और उस को उस के बदले में जन्नत में भलाई मिलेगी तो मैंने उसे अपने ख़ालिस माल से ख़रीदा और आज तुम ने उसी कुँए का पानी मुझ पर बन्द कर दिया है यहाँ तक कि मैं खारी पानी पी रहा हूँ लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं यह बात सहीह है फिर हज़रत उ़समान ने फ़रमाया मैं तुम को अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या तुम जानते हो कि मस्जिद तंग थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कौन है जो फ़ुलाँ शख़्स की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा करे उस के बदले में उसे जन्नत में भलाई मिलेगी मैंने ख़ास अपने माल से उसे ख़रीदा और आज उसी मस्जिद में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ने से तुम मुझे मनअ़ करते हो लोगों ने जवाब में कहा हाँ हम जानते हैं फिर हज़रत उ़समान ने फ़रमाया कि अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर तुम से पूछता हूँ क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कोहेसबीर पर थे और हुज़ूर के हमराह अबू बक्र व उ़मर थे और मैं था कि पहाड़ हरकत करने लगा यहाँ तक कि एक पत्थर टूट कर नीचे गिरा हुज़ूर ने पाये अक़दस पहाड़ पर मारे और फ़रमाया ऐ सबीर ठहर जा इस लिए कि तुझ पर नबी और सिद्दीक़ और

दो शहीद हैं लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं हज़रत उ़समान ने तकबीर कही और कहा कि कअ़बा के रब की क़सम उन लोगों ने गवाही दी कि मैं शहीद हूँ।

हदीस़ न.7 :– सहीह मुस्लिम व बुख़ारी वग़ैरहुमा में उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनायेगा अल्लाह उस के लिए जन्नत में एक घर बनायेगा।

हदीस़ न.8 :– अबू दाऊद व नसाई व दारमी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावीकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ियामत की अ़लामत में से यह है कि लोग मसाजिद के मुतअ़ल्लिक़ तफ़ाख़ुर (गर्व)करेंगे।

हदीस़ न.9 :– सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ज़कात वुसूल कर ने के लिए भेजा फिर हुज़ूर से किसी ने अ़र्ज़ की कि इब्ने जमील व ख़ालिद इब्ने वलीद व अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम ने ज़कात नहीं दी इरशाद फ़रमाया कि इब्ने जमील का इन्कार सिर्फ़ इस वजह से है कि वह फ़क़ीर था अल्लाह व रसूल ने उसे ग़नी कर दिया उस का इन्कार बिला सबब है और क़ाबिले क़बूल नहीं और ख़ालिद पर तुम ज़ुल्म करते हो(कि उस से ज़कात माँगते हो) उस ने अपनी ज़िरहें और तमाम सामाने हर्ब (जंग का सामान)अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिया है यानी वक़्फ़ के सिवा क्या है जिसकी ज़कात तुम माँगते हो और अ़ब्बास का सदक़ा मेरे ज़िम्मा है और इतना है और यानी दो साल की ज़कात उन की तरफ़ से मैं अदा करूँगा फिर फ़रमाया ऐ उ़मर तुम्हें मालूम नहीं कि चचा बमन्ज़िला बाप के होता है।

मसाइले फ़िक़्हिया

वक़्फ़ के यह मअ़ना हैं कि किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज कर के ख़ालिस़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की मिल्क कर देना इस तरह कि उसका नफ़अ़ बन्दगाने ख़ुदा में से जिस को चाहे मिलता रहे।

मसअ्ला :– वक़्फ़ में अगर नियत अच्छी हो और वह वक़्फ़ करने वाला अहले नियत यानी मुसलमान हो तो मुस्तहक़े सवाब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ एक सदक़ा जारिया है कि वाक़िफ़ हमेशा उस का सवाब पाता रहेगा और सब में बेहतर वह वक़्फ़ है जिस की मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत हो और जिस का ज़्यादा नफ़अ़ हो मसलन किताबें ख़रीद कर कुतुबख़ाना बनाया और वक़्फ़ कर दिया कि हमेशा दीन की बातें उस के ज़रीआ़ से मालूम होती रहेंगी(आलमगीरी)और अगर वहाँ मस्जिद न हो और उस की ज़रूरत हो तो मस्जिद बनवाना बहुत सवाब का काम है और तअ़लीम इल्मे दीन के लिए मदरसा की ज़रूरत हो तो मदरसा क़ाइम कर देना और उस की बक़ा के लिए जाइदाद वक़्फ़ करना कि हमेशा मुसलमान उस से फ़ैज़ पाते रहें निहायत अअ़ला दरजे का नेक काम है।

मसअ्ला :– वक़्फ़ की सेहत के लिए यह ज़रूर नहीं कि उस के लिए मुतवल्ली मुक़र्रर करे और अपने क़ब्ज़ा से निकाल कर मुतवल्ली का क़ब्ज़ा दिलादे बल्कि वाक़िफ़ ने अगर अपने ही क़ब्ज़ा में रखा जब भी वक़्फ़ सहीह है और मुशाअ़ का वक़्फ़ भी सहीह है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ का हुक्म यह है कि शय मौकूफ़ वाकिफ़ की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है मगर मौकूफ़ अ़लैहि(यानी जिस पर वक़्फ़ किया है उस की) मिल्क में दाख़िल नहीं होती बल्कि ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की मिल्क क़रार पाती है (आलमगीरी)

वक़्फ़ के अलफ़ाज़ :–

मसअ्ला :– वक़्फ़ के लिए मख़सूस अल्फ़ाज़ हैं जिन से वक़्फ़ सहीह होता है मसलन मेरी यह जाइदाद सदक़ा–ए–मोकूफ़ा है कि हमेशा मसाकीन पर उस की आमदनी सर्फ़ होती रहे या अल्लाह तआ़ला के लिए मैंने उसे वक़्फ़ किया मस्जिद या मदरसा या फ़ुलाँ नेक काम पर मैंने वक़्फ़ किया या फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया इस चीज़ को मैंने अल्लाह की राह के लिए कर दिया।

मसअ्ला :– मेरी यह ज़मीन सदक़ा है या मैंने इसे मसाकीन पर तसद्दुक़ (सदक़ा)किया उस कहने से वक़्फ़ नहीं होगा बल्कि यह एक मन्नत है कि उस शख़्स पर वह ज़मीन या उसी क़ीमत का सदक़ा करना वाजिब है सदक़ा कर दिया तो बरीयुज़्ज़िम्मा है वरना मरने के बाद यह चीज़ वुरसा की होगी और मन्नत न पूरा करने का गुनाह उस शख़्स पर (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– इस ज़मीन को मैंने फ़ुक़रा के लिए कर दिया अगर यह लफ़्ज़ वक़्फ़ में मअ्रुफ़ हो तो वक़्फ़ है वरना उस से दरयाफ़्त किया जाये अगर कहे मेरी मुराद वक़्फ़ थी तो वक़्फ़ है या मक़सूद सदक़ा था या कुछ इरादा था ही नहीं तो उन दोनों सूरतों में नज़्र है मगर फ़र्ज़ करो उस शख़्स ने नज़्र पूरी नहीं की यानी न वह चीज़ सदक़ा की न उस की क़ीमत और मरगया तो उस में विरासत जारी होगी वुरसा पर मन्नत का पूरा करना ज़रुर नहीं। (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– किसी ने कहा मैंने अपने बाग़ की पैदावार वक़्फ़ की या अपनी जाइदाद की आमदनी वक़्फ़ की तो वक़्फ़ सहीह हो जायेगा कि मुराद बाग़ को वक़्फ़ करना या जाइदाद को वक़्फ़ करना है लिहाज़ा अगर बाग़ में उस वक़्त फल मौजूद हैं तो यह फल वक़्फ़ में दाख़िल न होंगे (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– किसी मकान की आमदनी हमेशा मसाकीन को देने के लिए वसियत की या जब तक फ़ुलाँ ज़िन्दा रहे उस को दीजाये उस के बाद हमेशा मसाकीन के लिए तो अगर्चे सराहतन यह वक़्फ़ नहीं मगर ज़रूरतन वक़्फ़ है (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– यह कहा कि मैंने अपनी यह जाइदाद वक़्फ़ की मेरी तरफ़ से हज व उ़मरा में उस की आमदनी सर्फ़ होगी तो वक़्फ़ सहीह है और अगर यह कहा कि यह जाइदाद सदक़ा है जिस को बैअ् न किया जाये तो वक़्फ़ नहीं बल्कि सदक़ा की मन्नत है और अगर यह कहा कि सदक़ा है जिस को न बैअ् किया जाये न हिबा किया जाये न उस में मीरास जारी हो तो फ़ुक़रा पर वक़्फ़ है (बहर्रुराइक़)

मसअ्ला :– यह कहा कि मेरे इस मकान के किराया से हर महीने में दस रुपये की रोटी ख़रीद कर मसाकीन को तक़सीम कर दिया करो तो इस कहने से वह मकान वक़्फ़ हो गया।

वक़्फ़ के शराइत:–

मसअ्ला :–वक़्फ़ चूँकि एक क़िस्म का तबर्रअ् है कि बग़ैर मुआ़विज़ा अपना माल अपनी मिल्क से ख़ारिज करना है लिहाज़ा तमाम वह शराइत जो तबर्रआ़त में हैं यहाँ भी मोअ्तबर हैं और उन के एलावा भी शर्तें हैं वक़्फ़ के शराइत यह हैं (1)वाकिफ़ का आ़किल होना(2)बालिग़ होना, नाबालिग़

और मजनून ने वक़्फ़ किया यह सहीह नहीं हुआ (3)आज़ाद होना गुलाम ने वक़्फ़ किया सहीह न हुआ इस्लाम शर्त नहीं लिहाज़ा काफ़िर ज़िम्मी का वक़्फ़ भी सहीह है मसलन यूँ कि औलाद पर जाइदाद वक़्फ़ की कि उस की आमदनी औलाद को नसलन बाद नसलिन मिलती रहे और औलाद में कोई न रहे तो मसाकीन पर सर्फ़ की जाये यह वक़्फ़ जाइज़ है और अगर उस ने अपने हम मज़हब मसाकीन की तख़्सीस की या यह शर्त लगादी कि उस की औलाद से जो कोई मुसलमान हो जाये उसे उसकी आमदनी न दी जाये तो जिस तरह उस ने कहा या लिखा है उसी के मुवाफ़िक किया जाये और अगर औलाद पर उस ने वक़्फ़ किया और अगर हम मज़हब होने की शर्त नहीं की है तो उस की औलाद में जो कोई मुसलमान हो जायेगा उसे भी मिलेगा कि उस सूरत में उस की शर्त के ख़िलाफ़ नहीं (4)वह काम जिस के लिए वक़्फ़ करता है फ़ी नफ़सिही सवाब का हो यानी वाक़िफ़ के नज़्दीक भी वह सवाब का काम हो और वाक़ेअ़ में भी सवाब का काम हो अगर सवाब का काम नही हैं तो वक़्फ़ सहीह नहीं। मसलन किसी नाजाइज़ काम के लिए वक़्फ़ किया और अगर वाक़िफ़ के ख़याल में वह नेकी का काम हो मगर हकीकत में सवाब का काम न हो तो वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर वाक़ेअ़ में सवाब का काम है मगर वाक़िफ़ के एअ़तिकाद में कारे सवाब नहीं जब भी वक़्फ़ सहीह नहीं लिहाज़ा अगर नसरानी ने बैतुल मुक़द्दस पर कोई जाइदाद वक़्फ़ की कि उस की आमदनी से उसकी मरम्मत की जाये या उस के तेल बत्ती में सर्फ़ की यह जाइज़ है या यूँ वक़्फ़ किया कि हर साल एक गुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया जाये या मसाकीन अहले ज़िम्मा या मुसलेमीन पर सर्फ़ किया जाये यह जाइज़ है और अगर गिर्जा या बुतख़ाना के नाम वक़्फ़ किया कि उस की मरम्मत या चिराग़ बत्ती में सर्फ़ किया जाये या हरबियों पर सर्फ़ किया जाये तो यह बातिल है कि यह सवाब का काम नहीं और अगर नसरानी ने हज व उमरा के लिए वक़्फ़ किया जब भी वक़्फ़ सहीह नहीं कि अगर्चे यह कारे सवाब है मगर उस के एअ़तिकाद में सवाब का काम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी, बदाइअ़ वग़ैरहा)

मसअ्ला :– काफ़िर ने गिर्जा या बुत ख़ाना के लिए वक़्फ़ किया और यह भी कह दिया कि अगरयह गिर्जा या बुत ख़ाना वीरान हो जाये तो फ़ुक़रा व मसाकीन पर उस की आमदनी सर्फ़ की जाये तो गिर्जा या बुत ख़ाने पर आमदनी सर्फ़ न की जाये बल्कि फ़ुक़रा व मसाकीन ही पर सर्फ़ करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर काफ़िर ज़िम्मी ने उमूरे ख़ैर (अच्छे कामों) के लिए वक़्फ़ किया और तफ़सील न की तो अगर्चे उस के एअ़तिकाद में गिर्जा व बुतख़ाना व मसाकीन पर सर्फ़ करना सभी उमूरे ख़ैर हैं मगर मसाकीन ही पर सर्फ़ की जाये दीगर उमूर में सर्फ़ न करें और अगर अपने पड़ोसियों पर सर्फ़ करने के लिए इस शर्त से वक़्फ़ किया कि अगर कोई पड़ोसवाला बाक़ी न रहे तो मसाकीन पर सर्फ़ किया जाये तो यह वक़्फ़ जाइज़ है और उस के पड़ोस में यहूद व नसरानी हिन्दूमुस्लिम सब हों तो सब पर सर्फ़ किया जाये और मुर्दों के कफ़न दफ़न के लिए वक़्फ़ किया तो उन में सर्फ़ किया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने अपने घर को मस्जिद बनाया और उस की शकल व सूरत बिल्कुल मस्जिद

सी कर दी और उस में नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को इजाज़त भी देदी और मुसलमानों ने उस में नमाज़ पढ़ी जब भी यानी मस्जिद नहीं होगी और उस के मरने के बाद मीरास जारी होगी यूँही अगर घर को गिर्जा वग़ैरा बना दिया हो जब भी उस में मीरास जारी होगी (आलमगीरी)(5)वक़्फ़ के वक़्त वह वाक़िफ़ की मिल्क हो।

मसअ्ला :– अगर वक़्फ़ करने के वक़्त उस की मिल्क न हो बाद में हो जाये तो वक़्फ़ सहीह नहीं मसलन एक शख़्स ने मकान या ज़मीन ग़सब करली थी उसे वक़्फ़ कर दिया फिर मालिक से उस को ख़रीद लिया और समन भी अदा कर दिया कोई चीज़ देकर मालिक से मसालिहत कर ली तो अगर्चे अब मालिक हो गया है मगर वक़्फ़ सहीह नहीं कि वक़्फ़ के वक़्त मालिक न था (बहरुर्राइक)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे शख़्स के लिए अपने मकान की वसियत की और उस मूसालहू (जिस को वसियत की)ने अभी से उसे वक़्फ़ कर दिया फिर मूसी (वसियत करने वाला) मरा तो यह वक़्फ़ सहीह न हुआ कि वक़्फ़ के वक़्त मूसालहू (जिस को वसियत की)उस का मालिक ही न था यूँही किसी से ज़मीन ख़रीदी थी और बाइअ् को ख़ियारे शर्त था मुश्तरी ने वक़्फ़ कर दी फिर बाइअ् (बेचने वाले) ने बैअ् को जाइज़ कर दिया यह वक़्फ़ जाइज़ नहीं और अगर मुश्तरी को ख़ियार था और बादे वक़्फ़ मुश्तरी ने ख़ियार साक़ित कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ है मौहूब लहू (जिस को हिबा किया) ने क़ब्ज़ा से पहले वक़्फ़ कर दिया फिर क़ब्ज़ा किया तो वक़्फ़ जाइज़ नहीं और अगर हिबा फ़ासिद था मगर क़ब्ज़ा के बाद मौहूब लहू (जिस को हिबा किया) ने वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और मौहूब लहू पर उस की क़ीमत वाजिब है (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– बैअ् फ़ासिद से मकान ख़रीदा था और क़ब्ज़ा कर के वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और क़ब्ज़ा से पहले वक़्फ़ किया तो नहीं और बैअ् सहीह से ख़रीदा मगर अभी न तो समन अदा किया है न क़ब्ज़ा किया है और वक़्फ़ कर दिया तो यह वक़्फ़ मौक़ूफ़ है समन अदा कर के क़ब्ज़ा कर लिया जाइज़ हो गया और मरगया और कोई माल भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उस से समन अदा किया जाये तो वक़्फ़ सहीह नहीं मकान फ़रोख़्त कर के बाइअ् (बेचने वाले)का समन अदा किया जाये (ख़ानिया आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान ख़रीद कर वक़्फ़ किया उस पर किसी ने दअ्वा किया कि यह मेरा है जिस ने बेचा था उस का न था और क़ाज़ी ने मुद्दई की डिग्री देदी या उस पर शुफ़आ (शरअ़न जिस का ख़रीद ने का हक़ पहले है–क़ादरी) का दअ्वा किया और शफ़ीअ् के हक़ में फ़ैसला हुआ तो वक़्फ़ शिकस्त हो जायेगा और वह मकान असली मालिक या शफ़ीअ् को मिलजायेगा अगर्चे ख़रीदार ने उसे मस्जिद बना दिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुर्तद ने ज़मानए इरतिदाद में वक़्फ़ किया तो यह वक़्फ़ मौक़ूफ़ है अगर इस्लाम की तरफ़ वापस हुआ वक़्फ़ सहीह है वरना बातिल (आलमगीरी)(6)जिस ने वक़्फ़ किया वह अपनी कम अक़्ली या दैन की वजह से ममनूउत्तसर्रुफ़ न हो।

मसअ्ला :– एक बेवक़ूफ़ शख़्स है जिस की निस्बत क़ाज़ी को अन्देशा है कि अगर उस की रोक

थाम न की गई तो जाइजदाद तबाह व बर्बाद कर देगा काजी ने हुक्म दे दिया कि यह शख़्स अपनी जाइदाद में तसर्रुफ न करे उस ने कुछ जाइदाद वक्फ की तो वक्फ सहीह न हुआ (फतहुल क़दीर)

मसअ्ला :– शख़्से मज़कूर ने अपनी जाइदाद इस तरह वक्फ की कि मैं जब तक ज़िन्दा रहूँ उस के मुनाफेअ् अपनी ज़ात पर सर्फ करता रहूँ और मेरे बाद मसाकीन या मस्जिद या मदरसा में सर्फ हों तो मुहक्केकीन के नज़्दीक वक्फ सहीह है और उस वक्फ की सेहत का हाकिम ने हुक्म दे दिया जब तो सभी के नज़्दीक सहीह है (फतहुलक़दीर)

मसअ्ला :– मरीज़ पर इतना दैन है कि उसकी तमाम जाइदाद दैन में मुस्तगरक़ है उस का वक्फ सहीह नहीं।(रद्दुल मुहतार) (7) जिहालत न होना यानी जिस को वक्फ किया या जिस पर वक्फ किया मालूम हो

मसअ्ला :– अपनी जायदाद का एक हिस्सा वक्फ किया और यह तअ्ईयुन (मख़सूस)नहीं की कि वह कितना है मसलन तिहाई, चौथाई, वग़ैरा तो वक्फ सहीह न हुआ अगर्चे बाद में उस हिस्सा की तअ्ईयुन कर दे वक्फ में तरदीद करना कि इस ज़मीन को या उस ज़मीन को वक्फ किया यह वक्फ भी सहीह नहीं। (बहर)

मसअ्ला :– वक्फ सहीह होने के लिए ज़मीन या मकान का मालूम होना ज़रूरी है उस के हुदूद ज़िक्र करना शर्त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उस मकान में जितने सिहाम (हिस्से)मेरे हैं उन को मैंने वक्फ किया अगर्चे मालूम न हो कि उस के कितने सिहाम हैं यह वक्फ सहीह है कि अगर्चे उसे उस वक्त मालूम नहीं मगर हकीकतन वह मुतअय्यन हैं मजहूल नहीं यूँहीं अगर यूँ कहा कि उस मकान में मेरा जो कुछ हिस्सा है उसे वक्फ किया और वह एक तिहाई है मगर हकीकतन उस का हिस्सा तिहाई नहीं बल्कि निस्फ है जब भी वक्फ सहीह है और कुल हिस्सा यानी निस्फ वक्फ हो जायेगा (हाशिया बहर)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी ज़मीन वक्फ की जिस में दरख़्त हैं और दरख़्तों को वक्फ से मुसतस्ना किया यह वक्फ सहीह न हुआ कि इस सूरत में दरख़्त मअ् ज़मीन के मुस्तसना होंगे तो बाकी ज़मीन जिस को वक्फ कर रहा है (मजहूल) न मालूम होगई (बहर)

मसअ्ला :– मौकूफ अ़लैहि अगर मजहूल है मसलन उस को मैं ने अल्लाह के लिए वक्फ मुअब्बद(हमेशा के लिए वक्फ) किया या अपनी कराबत वाले पर वक्फ किया या यह कहा कि ज़ैद या अम्र पर वक्फ किया और उस के बाद मसाकीन पर सर्फ किया जाये यह वक्फ सहीह नहीं। (आलमगीरी)(8)वक्फ को शर्त पर मुअ़ल्लक न किया हो

मसअ्ला :– अगर शर्त पर मुअ़ल्लक किया मसलन मेरा बेटा सफर से वापस आये तो यह ज़मीन वक्फ है या अगर मैं इस ज़मीन का मालिक हो जाऊँ या उसे ख़रीदलूँ तो वक्फ है यह वक्फ सहीह नहीं बल्कि अगर वह शर्त ऐसी हो जिसका होना यकीनी है जब भी सहीह नहीं मसलन अगर कल का दिन आजाये तो वक्फ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मेरी यह ज़मीन वक्फ है अगर मैं चाहूँ उस के बाद फौरन मुत्तसिलन यह कहा कि मैंने

चाहा और उस को वक़्फ़ कर दिया तो वक़्फ़ सहीह है और न कहा तो वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन वक़्फ़ है अगर फ़ुलाँ चाहे और उस शख़्स ने फ़ौरन कहा मैंने चाहा तो वक़्फ़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया जो फिलहाल मौजूद है तो तअ़्लीक़ बातिल है और वक़्फ़ सहीह मसलन यह कहा कि अगर यह ज़मीन मेरी मिल्क में हो या मैं उस का मालिक हो जाँऊ तो वक़्फ़ है और इस कहने के वक़्त ज़मीन उस की मिल्क में है तो वक़्फ़ सहीह है और उस वक़्त मिल्क में नहीं है तो सहीह नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला :— किसी शख़्स का माल गुम हो गया है उस ने यह कहा कि अगर मैं गुमशुदा माल को पालूँ तो मुझ पर अल्लाह के लिए इस ज़मीन का वक़्फ़ कर देना है यह वक़्फ़ की मन्नत है यानी अगर चीज़ मिल गई तो उस पर लाज़िम होगा कि ज़मीन को ऐसे लोगों पर वक़्फ़ करे जिन्हें ज़कात दे सकता है और अगर ऐसों पर वक़्फ़ किया जिन्हें ज़कात नहीं दे सकता मसलन अपनी औलाद पर तो वक़्फ़ सहीह हो जायेगा मगर नज़्र बदस्तूर उस के ज़िम्मे बाक़ी है(आलमगीरी ख़ुलासा)

मसअ्ला :— मरीज़ ने कहा अगर मैं इस मर्ज़ से मरजाऊँ तो मेरी यह ज़मीन वक़्फ़ है यह वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर यह कहा कि मैं मरजाऊँ तो मेरी इस ज़मीन को वक़्फ़ कर देना यह वक़्फ़ के लिए वकील करना है उस के मरने के बाद वकील ने वक़्फ़ किया तो सहीह होगया कि वक़्फ़ के लिए तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना भी दुरूस्त है मसलन यह कहा कि अगर मैं इस घर में जाऊँ तो मेरा मकान वक़्फ़ है यह वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर कहता कि मैं उस घर में जाऊँ तो तुम मेरे मकान को वक़्फ़ कर देना तो वक़्फ़ सहीह है (जौहरा नय्यिरा ख़ुलासा)यानी उस सूरत में सहीह है कि वह ज़मीन उस के तर्का की तिहाई के अन्दर हो या वुरसा इस वक़्फ़ को जाइज़ कर दें और वुरसा जाइज़ न करें तो एक तिहाई वक़्फ़ है बाक़ी मीरास कि यह वक़्फ़ वसीयत के हुक्म में है और वसीयत तिहाई तक जारी होगी बग़ैर इजाज़ते वुरसा तिहाई से ज़्यादा में वसीयत जारी नहीं हो सकती।

मसअ्ला :— किसी ने कहा अगर मैं मरजाऊँ तो मेरा मकान फ़ुलाँ पर वक़्फ़ हैं यह वक़्फ़ नहीं बल्कि वसियत है यानी वह शख़्स अगर अपनी ज़िन्दगी में बातिल करना चाहे तो बातिल हो सकती है और मरने के बाद यह वसियत एक तिहाई में लाज़िम होगी वुरसा उस को रद नहीं कर सकते अगर्चे वारिस ही पर वक़्फ़ किया हो मसलन यह कहा कि मैंने अपने फ़ुलाँ लड़के और नसलन बाद नसलिन उस की औलाद पर वक़्फ़ किया और जब सिलसिलाए नस्ल मुन्क़तेअ़ हो जाये तो फ़ुक़हा व मसाकीन पर सर्फ़ किया जाये तो इस सूरत में दो तिहाई वुरसा लेंगे और एक तिहाई की आमदनी तन्हा मौक़ूफ़ अ़लैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया) लेगा उस के बाद उस की औलाद लेती रहेगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

(9)जाइदादे मौक़ूफ़ा को बैअ़ कर के समन को सर्फ़ कर डालने की शर्त न हो यूँही यह शर्त कि जिस को चाहूँगा हिबा कर दूँगा या जब मुझे ज़रूरत होगी उसे रहन रखदूँगा ग़र्ज़ ऐसी शर्त जिस

से वक़्फ़ का इब्ताल (ख़त्म होना) होता हो वक़्फ़ को बातिल कर देती है हाँ वक़्फ़ के इस्तिबदाल (बदले देने) की शर्त सहीह है यानी उस जायदाद को बैअ् कर के कोई दूसरी जाइदाद ख़रीद कर उस के क़ाइम मक़ाम कर दी जायेगी और उस का ज़िक्र आगे आता है।

मसअ्ला :– वक़्फ़ अगर मस्जिद है और उस में इस क़िस्म की शर्तें लगाईं मसलन उस को मस्जिद किया और मुझे इख़्तियार है कि उसे बैअ् कर लूँ या हिबा कर दूँ तो वक़्फ़ सहीह है और शर्त बातिल (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक वक़्फ़ में ख़ियारे शर्त नहीं हो सकता और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक हो सकता है मसलन यह कि मैंने वक़्फ़ किया और तीन दिन तक का मुझे इख़्तियार है कि तीन दिन गुज़र जाने पर वक़्फ़ सहीह हो जायेगा और मस्जिद ख़ियारे शर्त के साथ वक़्फ़ की है तो बिल इत्तिफ़ाक़ शर्त बातिल है और वक़्फ़ सहीह (आलमगीरी)(10)**ताबीद** यानी हमेशा के लिए होना मगर सहीह यह है कि वक़्फ़ मे हमेशगी का ज़िक्र करना शर्त नहीं यानी अगर वक़्फ़ मुअब्बद न कहा जब भी मुअब्बद ही है अगर मुद्दते ख़ास का ज़िक्र किया मसलन मैंने अपना मकान एक माह के लिए वक़्फ़ किया और जब महीना पूरा हो जाये तो वक़्फ़ बातिल हो जायेगा तो यह वक़्फ़ न हुआ और अभी से बातिल है(ख़ानिया)

मसअ्ला :– अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन मेरे मरने के बाद एक साल तक सदक़ए मौक़ूफ़ा है तो यह सदक़ा की वसियत है और हमेशा फ़क़ीरों पर उस की आमदनी सर्फ़ होती रहेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन एक साल तक फ़ुलाँ शख़्स पर सदक़ा मौक़ूफ़ा है और साल पूरा होने पर वक़्फ़ बातिल है तो एक साल तक उस की आमदनी उस शख़्स को दीजायेगी और एक साल के बाद मसाकीन पर सर्फ़ होगी और अगर सिर्फ़ इतना ही कहा कि एक साल तक फ़ुलाँ शख़्स पर सदक़–ए–मौक़ूफ़ा है तो एक साल तक उस की आमदनी उस शख़्स को दीजायेगी और साल पूरा होने पर वुरसा का हक़ है (ख़ानिया)(11)**वक़्फ़** बिलआख़िर ऐसी जिहत के लिए हो जिस में इन्क़िताअ् (कटाव)न हो मसलन किसी ने अपनी जायदाद अपनी औलाद पर वक़्फ़ की और ज़िक्र कर दिया कि जब मेरी औलाद का सिलसिला न रहे तो मसाकीन पर या नेक कामों में सर्फ़ की जाये तो वक़्फ़ सहीह है कि अब मुन्क़तअ् होने की कोई सूरत न रही।

मसअ्ला :– अगर फ़क़त इतना ही कहा कि मैंने उसे वक़्फ़ किया और मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया) का ज़िक्र न किया तो उरफ़न उस के यही मअ्ना हैं कि नेक कामों में सर्फ़ होगी और बलिहाज़ मअ्ना ऐसी जिहत होगी जिस के लिए इन्क़िताअ् (कटाव)नहीं लिहाज़ा यह वक़्फ़ सहीह है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जायदाद किसी ख़ास मस्जिद के नाम वक़्फ़ की तो चूँकि मस्जिद रहने वाली चीज़ उस के लिए इन्क़िताअ् नहीं लिहाज़ा वक़्फ़ सहीह है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ सहीह होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि जायदादे मौक़ूफ़ा के साथ हक़्क़े ग़ैर का तअ़ल्लुक़ न हो बल्कि हक़्क़े ग़ैर का तअ़ल्लुक़ हो जब भी सहीह है मसलन वह जायदाद अगर किसी के इजारा में है और वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ सहीह हो गया मुद्दते इजारा पूरी हो जाये या दोनों में किसी का इन्तिक़ाल हो जाये तो अब इजारा ख़त्म हो जायेगा और जायदाद मसरफ़े वक़्फ़ में सर्फ़ होगी।

वक़्फ़ के अह़काम

मसअ्ला :— वक़्फ़ का हुक्म यह है कि न ख़ुद वक़्फ़ करने वाला उस का मालिक है न दूसरे को उस का मालिक बना सकता है न उस को बैअ् कर सकता है न आ़रियत (उधार)दे सकता है न उस को रहन रख सकता है (दुर्रे मुख़्तार)मकाने मौक़ूफ़ को बैअ् कर दिया या रहन रख दिया और मुश्तरी या मुरतहिन ने उस में सुकूनत की बाद को मा'लूम हुआ कि यह वक़्फ़ है तो जब तक उस मकान में रहे उस का किराया देना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— वक़्फ़ को मुस्तह़क़ीन (यानी जिन पर वक़्फ़ किया गया) पर तक़सीम करना जाइज़ नहीं मसलन किसी शख़्स ने जायदाद अपनी औलाद पर वक़्फ़ की तो यह नहीं हो सकता कि यह जायदाद औलाद पर तक़सीम कर दी जाये कि हर एक अपने हिस़्सा की आमदनी से मुतमत्तेअ् (फ़ायदा ह़ासिल) हो बल्कि वक़्फ़ की आमदनी उन पर तक़सीम होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :— जिन लोगों पर ज़मीन वक़्फ़ है वह लोग अगर बाहम रज़ा मन्दी के साथ एक एक टुकड़ा ज़राअ़त के लिए ले लें फिर दूसरे साल बदल कर दूसरे दूसरे टुकड़े लें तो हो सकता है मगर ऐसी तक़सीम जो हमेशा के लिए हो कि हर साल वही खेत वह शख़्स ले दूसरे को न लेने दे यह नहीं हो सकता (रद्दुल मुह़तार)

किस चीज़ का वक़्फ़ स़ह़ीह़ है और किस का नहीं

जायदाद ग़ैर मन्क़ूला जैसे ज़मीन, मकान, दुकान उन का वक़्फ़ स़ह़ीह़ है और जो चीज़ें मन्क़ूल हों मगर ग़ैर मन्क़ूल की ताबेअ् हों उन का वक़्फ़ ग़ैर मन्क़ूल का ताबेअ् हो कर स़ह़ीह़ है मसलन खेत को वक़्फ़ किया तो हल, बैल और खेती के जुमला आलात (औज़ार)और खेती के ग़ुलाम यह सब कुछ तबअ़न वक़्फ़ हो सकते हैं या बाग़ वक़्फ़ किया तो बाग़ के जुमला सामान बैल और चरसा वग़ैरह को तबअ़न वक़्फ़ कर सकता है (ख़ानिया)

मसअ्ला :— खेत के साथ साथ हल बैल वग़ैरा भी वक़्फ़ किए तो उन की तअ़्दाद भी बयान कर देनी चाहिए कि इतने ग़ुलाम और इतने बैल और इतनी इतनी फ़ुलाँ चीज़ें और यह भी ज़िक्र कर देना चाहिए कि बैल और ग़ुलाम का नफ़्क़ा भी उसी जायदादे मौक़ूफ़ा (वक़्फ़ की हुई जायदाद)से दिया जायेगा और अगर यह शर्त़ न भी ज़िक्र करे जब भी उन के मस़ारिफ़ उसी से दिये जायेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :— ग़ुलाम या बैल अगर कमज़ोर हो गया और काम के क़ाबिल न रहा और वाक़िफ़ ने यह शर्त़ कर दी थी कि जब तक ज़िन्दा रहे वक़्फ़ से ख़ुराक मिलती रहे तो अब भी दी जाये और अगर वाक़िफ़ ने कह दिया हो की इस से काम लिया जाये और काम के मक़ाबिल खाने को दिया जाये तो अब वक़्फ़ से नहीं दिया जा सकता और ऐसी सूरत में कि वह काम का न रहा बेचकर उस के बदले में दूसरा बैल ख़रीदना जाइज़ है और अगर उन दामों में दूसरा न मिले तो वक़्फ़ की आमदनी में से कुछ शामिल कर के दूसरा ख़रीदा जाये यूँहीं दीगर आलाते ज़राअ़त (खेती के औज़ार)चरसा रसाहिल वग़ैरा ख़राब हो जायें तो उन्हें बेचकर दूसरे ख़रीद लिए जायें जो वक़्फ़ के लिए कार आमद हों और इस क़िस्म के तसर्रुफ़ात वक़्फ़ का मुतवल्ली करेगा (आलमगीरी, रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– घोड़े और असलहा का वक़्फ़ जाइज़ है और उस के अलावा दूसरी मन्कूलात जिनके वक़्फ़ का रिवाज़ है उन को मुस्तक़िलन वक़्फ़ करना जाइज़ है नहीं तो नहीं रहा तबअन (किसी चीज़ के साथ–क़ादरी)वक़्फ़ करना वह हम बयान कर चुके कि जाइज़ है बाज़ वह चीज़ें जिन के वक़्फ़ का रिवाज है यह हैं मुर्दा ले जाने की चारपाई, और जनाज़ा पोश, मय्यत के ग़ुस्ल देने का तख़्त, क़ुर्आन मजीद, किताबें, देग, दरी, क़ालीन, शामयाना, शादी और बरात के सामान, कि ऐसी चीज़ों को लोग वक़्फ़ कर देते हैं, कि अहले हाजत ज़रूरत के वक़्त इन चीज़ों को काम में लायें फिर मुतवल्ली के पास वापस कर जायें यूँही बाज़ मदारिस और यतीम ख़ानों में जाड़े के कपड़े और लिहाफ़ गद्दे वग़ैरा वक़्फ़ कर के दे दिये जाते हैं कि जाड़ों में तलबा यतीमों को इस्तिअमाल के लिए दे दिए जाते हैं और जाड़े निकल जाने के बाद वापस ले लिए जाते हैं(तबईईन,आलमगीरी,)

मसअला :– मस्जिद पर क़ुर्आन मजीद वक़्फ़ किया तो इस मस्जिद में जिस का जी चाहे उस में तिलावत कर सकता है दूसरी जगह लेजाने की इजाज़त नहीं कि इस तरह पर वक़्फ़ करने वाले की मनशा यही होती है और अगर वाक़िफ़ ने तसरीह कर दी है कि उसी मस्जिद में तिलावत की जाये जब तो बिल्कुल ज़ाहिर है क्योंकि उस की शर्त के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मदारिस में किताबें वक़्फ़ कर दी जाती हैं और आम तौर पर यही होता है कि जिस मदरसा में वक़्फ़ की जाती हैं उसी के असातिज़ा और तलबा के लिए होती हैं ऐसी सूरत में वह किताबें दूसरे मदरसा में नहीं ले जाई जा सकती और अगर इस तरह पर वक़्फ़ की हैं कि जिन को देखना हो वह कुतुब ख़ाना में आकर देखें तो वहीं देखी जा सकती हैं अपने घर पर देखने के लिए नहीं ला सकते (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बादशाहे इस्लाम ने कोई ज़मीन या गाँव मसालिह आम्मा(पब्लिक के फ़ायदे) पर वक़्फ़ किया मसलन मस्जिद, मदरसा, सराए, वग़ैरा पर तो वक़्फ़ जाइज़ है और सवाब पायेगा और ख़ास अपने नफ़्स या अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ नाजाइज़ है जब कि बैतुलमाल की ज़मीन हो कि उस मसलिहते ख़ास के लिए वक़्फ़ करने का उसे इख़्तियार नहीं हाँ अगर अपनी मिल्क मसलन ख़रीद कर वक़्फ़ करना चाहता है तो उस का उसे इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़मीन किसी ने आरियतन या इजारा पर ली थी उस में मकान बना कर वक़्फ़ कर दिया यह वक़्फ़ नाजाइज़ है और अगर ज़मीन मोहतकर है यानी इसी लिए इजारा पर ली है कि उस में मकान बनाये या पेड़ लगाये ऐसी ज़मीन पर मकान बनाकर वक़्फ़ कर दिया तो यह वक़्फ़ जाइज़ है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन में मकान बनाया और उसी काम के लिए मकान को वक़्फ़ कर दिया जिस के लिए ज़मीन वक़्फ़ थी तो यह वक़्फ़ भी दुरुस्त है और दूसरे काम के लिए वक़्फ़ किया तो ज़्यादा सहीह यह है कि यह वक़्फ़ सहीह नहीं (आलमगीरी)यह उस सूरत में है कि ज़मीन मोहतकर (इकटठ्ा की हुई) न हो वरना सहीह यह है कि वक़्फ़ सहीह है।

मसअला :– पेड़ लगाये और उन्हें मअ़ ज़मीन वक़्फ़ कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ है अगर तन्हा दरख़्त वक़्फ़ किए ज़मीन वक़्फ़ न की तो वक़्फ़ सहीह नहीं और ज़मीन मौक़ूफ़ा में दरख़्त लगाये तो उसके वक़्फ़ का वही हुक्म है कि ऐसी ज़मीन में मकान बना कर वक़्फ़ करने का है (आलमगीरी)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की और उस में ज़राअत तय्यार है या उस ज़मीन में दरख़्त हैं जिनमें फल मौजूद हैं तो ज़राअत और फल वक़्फ़ में दाख़िल नहीं जब तक यह न कहे कि मअ् ज़राअत और फल के मैनें ज़मीन वक़्फ़ की अल्बत्ता वक़्फ़ के बाद जो फल आयेंगे वह वक़्फ़ में दाख़िल होंगे और वक़्फ़ के मसरफ़ में सर्फ़ किए जायेंगे और ज़मीन वक़्फ़ की तो उस के दरख़्त भी वक़्फ़ में दाख़िल हैं अगर्चे उस की तसरीह न करे(ख़ानिया)यूँही ज़मीन के वक़्फ़ में मकान भी दाख़िल है अगर्चे मकान को ज़िक्र न किया हो (आलमगीरी)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की उस में नरकल, सैंठा, बेदा झाऊ वग़ैरा ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल काटी जाती हैं यह वक़्फ़ में दाख़िल नहीं यानी वक़्फ़ के वक़्त जो मौजूद हैं वह मालिक की हैं और जो आइन्दा पैदा होंगी वह वक़्फ़ की होंगी और ऐसी चीजें जो दो तीन साल पर काटी जाती हैं जैसे बांस वग़ैरा यह दाख़िल हैं यूँही बैगन और मिर्चों के दरख़्त वक़्फ़ में दाख़िल नहीं और फली हुई मिर्चें और बैगन दाख़िल नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की उस में गन्ने बोए हुए हैं यह वक़्फ़ में दाख़िल न होंगे और गुलाब, बेले चमेली के दरख़्त दाख़िल होंगे (ख़ानिया)

मिसअला :– हम्माम वक़्फ़ किया तो पानी गरम करने की देग और पानी रखने की टंकियाँ और तमाम वह सामान जो हम्माम में होते हैं सब वक़्फ़ में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मसअला :– खेत वक़्फ़ किया तो पानी और पानी आने की नाली जिस से आब पाशी की जाती है और वह रास्ता जिस से खेत में जाते हैं यह सब वक़्फ़ में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मुशाअ् की तअ्रीफ़ और उस का वक़्फ़ :–

मसअला :– मुशाअ् उस चीज़ को कहते हैं जिस के एक जुज़ ग़ैर मुतअय्यन(ग़ैर मख़सूस) का यह मालिक हो यानी दूसरा शख़्स भी उस में शरीक हो यानी दोनों हिस्सों में इम्तियाज़ न हो उस की दो क़िस्में हैं एक क़ाबिले क़िस्मत जो तक़सीम होने के बाद क़ाबिल इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा हासिल करने के लाइक़)बाक़ी रहे जैसे ज़मीन मकान दूसरी ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत कि तक़सीम के बाद उस क़ाबिल न रहे जैसे हम्माम चक्की, छोटी सी कोठरी कि तक़सीम कर देने से हर एक का हिस्सा बेकार सा हो जाता है मुशाअ् ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत का वक़्फ़ बिलइत्तिफ़ाक़ जाइज़ है और क़ाबिले क़िस्मत हो और तक़सीम से पहले वक़्फ़ करे तो सहीह यह है कि यह उसका वक़्फ़ जाइज़ है और मुताअख़्ख़िरीन ने उसी क़ौल को इख़्तियार किया (आलमगीरी)

मसअला :– मुशाअ् को मस्जिद या क़ब्रिस्तान बनाना बिल इत्तिफ़ाक़ नाजाइज़ है चाहे वह क़ाबिले तक़सीम हो या ग़ैर क़ाबिले तक़सीम क्योंकि मुश्तरक (शामिल चीज़) व मुशाअ् में मुहायात हो सकती है कि दोनों बारी बारी से उस चीज़ से इन्तिफ़ाअ् हासिल करें मसलन मकान में एक साल शरीक सुकूनत करे और एक साल दूसरा रहे या वक़्फ़ है तो वह शख़्स रहे जिस पर वक़्फ़ हुआ है या किराये पर दिया जाये और किराया मसरफ़े वक़्फ़ में सर्फ़ किया जाये मगर मस्जिद व मक़बरा ऐसी चीज़ें नहीं कि उन में मुहायात हो सके यह नहीं हो सकता है कि एक साल तक उस में नमाज़ हो और एक साल शरीक उस में सुकूनत करे या एक साल तक क़बरिस्तान में मुर्दे दफ़न हों और एक साल शरीक उस में ज़राअत करे इस ख़राबी की वजह से उन दोनों चीज़ों के लिए मुशाअ् का

वक़्फ़ ही दुरुस्त नहीं (फ़तहुलक़दीर जौहरा)

मसअ्ला :– ज़मीने मुश्तरक में उस ने अपना हिस्सा वक़्फ़ कर दिया तो उस का बटवारा शरीक से खुद यह वाकिफ़ करायेगा और वाकिफ़ का इन्तिकाल हो गया हो तो मुतवल्ली का काम है और अगर अपनी निस्फ़ ज़मीन वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ वग़ैरा वक़्फ़ में तक़सीम यूँ होगी कि वक़्फ़ की तरफ़ से काज़ी होगा और ग़ैर वक़्फ़ की तरफ़ से यह खुद या यूँ करे कि ग़ैर वक़्फ़ को फ़रोख़्त कर दे और मुश्तरी के मुक़ाबिला में वक़्फ़ की तक़सीम कराये (हिदाया)

मसअ्ला :–एक ज़मीन दो शख़्सों में मुश्तरक थी दोनों ने अपने हिस्से वक़्फ़ कर दिये तो बाहम तक़सीम कर के हर एक अपने वक़्फ़ का मुतवल्ली हो सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी कुल ज़मीन वक़्फ़ कर दी थी इस पर किसी ने निस्फ़ का दअ्वा किया और काज़ी ने मुद्दई को निस्फ़ ज़मीन दिलवादी तो बाक़ी निस्फ़ बदस्तुर वक़्फ़ रहेगी और वाकिफ़ इस शख़्स से ज़मीन तक़सीम करा लेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों में ज़मीन मुश्तरक थी और दोनों ने अपने, हिस्से वक़्फ़ कर दिये ख़्वाह दोनों ने एक ही मक़सद के लिए वक़्फ़ किए या दोनों के दो मक़सद मुख़्तलिफ़ हों मसलन एक ने मसाकीन पर सर्फ़ करने के लिए दूसरे ने मदरसा या मस्जिद के लिए और दोनों ने अलग अलग अपने वक़्फ़ का मुतवल्ली मुक़र्रर किया या एक ही शख़्स को दोनों ने मुतवल्ली बनाया या एक शख़्स ने अपनी कुल जायदाद वक़्फ़ की मगर निस्फ़ एक मक़सद के लिए और निस्फ़ दूसरे मक़सद के लिए यह सब सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी ज़मीन से हज़ार गज़ ज़मीन वक़्फ़ की पैमाइश करने पर मालूम हुआ कि कुल ज़मीन हज़ार ही गज़ है या उस से भी कम तो कुल वक़्फ़ है और हज़ार से ज़्यादा है तो हज़ार गज़ वक़्फ़ है बाक़ी ग़ैर वक़्फ़ और अगर इस ज़मीन में दरख़्त भी हो तो तक़सीम इस तरह होगी कि वक़्फ़ में भी दरख़्त आयें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़मीने मुशाअ् में अपना हिस्सा वक़्फ़ किया जिस की मिक़दार एक जरीब(बिघा)है मगर तक़सीम में उस ज़मीन का अच्छा टुकड़ा उस के हिस्से में आया इस वजह से एक जरीब से कम मिला या ख़राब टुकड़ा मिला इस वजह से एक जरीब से ज़्यादा मिला यह दोनों सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चन्द मकानात में उस के हिस्से हैं उस ने अपने कुल हिस्से वक़्फ़ कर दिए अब तक़सीम में यह चाहता है कि एक एक जुज़ न लिया जाये बल्कि सब हिस्सों के एवज़ में एक पूरा मकान वक़्फ़ के लिए लिया जाये ऐसा करना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुश्तरक ज़मीन वक़्फ़ की और तक़सीम यूँ हुई कि एक हिस्सा के साथ कुछ रुपया भी मिलता है अगर वक़्फ़ में यह हिस्सा मअ् रुपया के लिया जाये कि शरीक इतना रुपया भी देगा तो वक़्फ़ में यह हिस्सा लेना जाइज़ न होगा कि वक़्फ़ को बैअ् करना लाज़िम आता है और अगर वक़्फ़ में दूसरा हिस्सा लिया जाये और वाकिफ़ अपने शरीक को वह रुपया दे तो जाइज़ है और नतीजा यह हुआ कि वक़्फ़ के इलावा उस रुपया से कुछ ज़मीन ख़रीद ली और उस रुपया के मक़ाबिल जितना हिस्सा मिलेगा वह उस की मिल्क है वक़्फ़ नहीं (ख़ानिया फ़तहुल क़दीर)

मसारिफ़े वक़्फ़ का बयान

वक़्फ़ की आमदनी कहाँ ख़र्च हो :–

मसअ्ला :– वक़्फ़ की आमदनी का सब में बड़ा मसरफ़ यह है कि वह वक़्फ़ की इमारत पर सर्फ़ की जाये उस के लिए यह भी ज़रूर नहीं कि वाकिफ़ ने उस पर सर्फ़ करने की शर्त की हो यानी शराइते वक़्फ़ में उस को न भी ज़िक्र किया हो जब भी सर्फ़ करेंगे कि उस की मरम्मत न की तो वक़्फ़ ही जाता रहेगा इमारत पर सर्फ़ करने से यह मुराद है कि उस को ख़राब न होने दें उस में इज़ाफ़ा करना इमारत में दाख़िल नहीं मसलन मकान वक़्फ़ है या मस्जिद पर कोई जाइदाद वक़्फ़ है तो अव्वलन आमदनी को खुद मकान या जाइदाद पर सर्फ़ करेंगे और वाकिफ़ के ज़माना में जिस हालत में थी उस पर बाकी रखें अगर उसके ज़माना में सफ़ेदी या रंग किया जाता था तो अब भी माले वक़्फ़ से करें वरना नहीं यूहीं खेत वक़्फ़ है और उस में खाद की ज़रूरत है वरना खेत ख़राब हो जायेगा तो उस की दुरूस्ती मुसतहक़ीन से मुकद्दम है(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमारत के बाद आमदनी उस चीज़ पर सर्फ़ हो जो इमारत से करीब तर और बाएअ्तिबार मसालेह मुफ़ीद तर हो कि यह मअ्नवी इमारत है जैसे मस्जिद के लिए इमाम और मदरसा के लिए मुदर्रिस कि उन से मस्जिद व मदरसा की आबादी है उस को बक़द्र किफ़ायत वक़्फ़ की आमदनी से दिया जाये फिर चिराग़ बत्ती और फ़र्श और चटाई और दीगर ज़रुरियात में सर्फ़ करें जो अहम हो उसे मुकद्दम रखें और यह उस सूरत में है कि वक़्फ़ की आमदनी किसी ख़ास मसरफ़ के लिए मुअ़य्यन न हो और अगर मुअ़य्यन है मसलन एक शख़्स ने वक़्फ़ की आमदनी चिराग़ बत्ती के लिए मुअ़य्यन कर दी है या वुज़ू के पानी के लिए तअ़ईन (ख़ास) कर दी है तो इमारत के बाद उसी मद में सर्फ़ करें जिस के लिए मुअ़य्यन है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमारत में सर्फ़ करने की ज़रूरत थी और नाज़िर औक़ाफ़ ने वक़्फ़ की आमदनी इमारत वक़्फ़ में सर्फ़ न की बल्कि दीगर मुस्तहक़ीन को दे दी तो उस को तावान देना पड़ेगा यानी जितना मुस्तहक़ीन को दिया है उस के बदले में अपने पास से इमारते वक़्फ़ पर सर्फ़ करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–खुद वाकिफ़ ने यह शर्त ज़िक कर दी है कि वक़्फ़ की आमदनी को अव्वलन इमारत में सर्फ़ किया जाये और जो बचे मुसतहक़ीन या फुक़रा को दी जाये तो मुतवल्ली पर लाज़िम है कि हर साल आमदनी में से एक मिक़दार इमारत के लिए निकाल कर बाक़ी मुस्तहक़ीन को दे अगर्चे उस वक़्त तअ्मीर की ज़रूरत न हो कि हो सकता है दफ़अ्तन कोई हादसा आजाये और रक़म मौजूद न हो लिहाज़ा पेश्तर ही से उस का इन्तिज़ाम रखना चाहिए और अगर यह शर्त ज़िक्र न करता तो ज़रूरत से क़ब्ल उस के लिए महफ़ूज़ नहीं रखा जाता बल्कि जब ज़रूरत पड़ती उस वक़्त इमारत को सब पर मुकद्दम किया जाता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने इस तौर पर वक़्फ़ किया है कि उस की आमदनी एक या दो साल तक फ़ुलाँ को दी जाये उस के बाद फुक़रा पर सर्फ़ हो और यह शर्त भी ज़िक की है कि उस की आमदनी से मरम्मत वग़ैरा की जाये तो अगर इमारत में सर्फ़ करने की शदीद ज़रूरत हो कि न सर्फ़ (ख़र्च न)करने में इमारत को ज़रर पहुँच जाना ज़ाहिर है जब तो इमारत को मुकद्दम करेंगे

वरना मुकद्दम उस शख़्स को देना है (आलमगीरी)
मसअला :– इमारत पर सर्फ़ होने की वजह से एक या चन्द साल तक दीगर मुसतहकीन को न मिला तो इस ज़माना का हक ही साकित (खत्म)हो गया यह नहीं कि वक्फ के जिम्मे इतने ज़माने का हक बाकी है यानी बिलफर्ज आइन्दा साल वक्फ की आमदनी इतनी ज्यादा हुई कि सब को दे कर कुछ बच गई तो साले गुज़िश्ता के एवज़ में मुस्तहकीन उस का मुतालबा नहीं कर सकते(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– वक़्फ़ की आमदनी मौजूद है और कोई वक़्ती नेक काम में ज़रूरत है जिस के लिए जायदाद वक़्फ़ है मसलन मुसलमान कैदी को छुड़ाना है या गाज़ी की मदद करनी है और खुद वक़्फ़ की दुरूस्ती के लिए भी ख़र्च करने की ज़रूरत है अगर उसकी ताख़ीर में वक़्फ़ को शदीद नुकसान पहुँच जाने का अन्देशा है जब तो उसी में ख़र्च करना ज़रूर है और अगर मालूम है कि दूसरी आमदनी तक उस को मुअख़्ख़र रखने में वक़्फ़ को नुकसान नहीं पहुँचेगा तो उसे नेक काम में सर्फ़ कर दिया जाये (ख़ानिया)
मसअला :– अगर वक़्फ़ की इमारत को क़स्दन किसी ने नुकसान पहुँचाया तो जिस ने नुकसान पहुँचाया उसे तावान देना पड़ेगा (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– अपनी औलाद के रहने के लिए मकान वक़्फ़ किया तो जो उस में रहेगा वही मरम्मत भी करायेगा अगर मरम्मत की ज़रूरत है वह मरम्मत नहीं कराता या उस के पास कुछ है ही नहीं जिस से मरम्मत कराये तो मुतवल्ली या हाकिम इस मकान को किराये पर देदेगा और किराये से उस की मरम्मत करायेगा और मरम्मत के बाद उस को वापस देदेगा और खुद यह शख़्स किराये पर नहीं दे सकता और उस को मरम्मत कराने पर मजबूर नहीं कर सकते। (हिदाया)
मसअला :– मकान इस लिए वक़्फ़ किया है कि उस की आमदनी फ़ुलाँ शख़्स को दी जाये तो यह शख़्स उस में सुकूनत नहीं कर सकता और न इस मकान की मरम्मत उस के ज़िम्मे है बल्कि उस की आमदनी अव्वलन मरम्मत में सर्फ़ होगी इस से बचेगी तो उस शख़्स को मिलेगी और अगर खुद उस शख़्स मौकूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया)ने उस में सुकूनत की और तन्हा उसी पर वक़्फ़ है तो उस पर किराया वाजिब नहीं कि इस से किराया लेकर फिर इसी को देना बेफ़ाइदा है और अगर कोई दूसरा भी शरीक है तो किराया लिया जायेगा ताकि दूसरे को भी दिया जाये यूँही अगर उस मकान में मरम्मत की ज़रूरत है जब भी इस से किराया वुसूल किया जायेगा ताकि उस से मरम्मत की जाये (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– और ऐसे मकान का मौकूफ़ अलैहि खुद मुतवल्ली भी है और उस ने सुकूनत भी की और मकान में मरम्मत की ज़रूरत है तो क़ाज़ी उसे मजबूर करेगा कि जो किराया उन पर वाजिब है उस से मकान की मरम्मत कराये और क़ाज़ी के हुक्म देने पर भी मरम्मत नहीं कराई तो क़ाज़ी दूसरे को मुतवल्ली मुकर्रर करेगा कि वह तअ्मीर करायेगा।
मसअला :– जो शख़्स वक़्फ़ी मकान में रहता था उस ने अपना माल वक़्फ़ी इमारत में सर्फ़ किया है अगर ऐसी चीज़ों में सर्फ़ किया है जो मुस्तकिल वुजूद नहीं रखती मसलन सफ़ेदी कराई है या दीवारों में रंग या नक़्श व निगार कराये तो उसका कोई मुआविज़ा वग़ैरा उस को या उसके वुरसा

को नहीं मिल सकता और अगर वह मुस्तक़िल वुजूद रखती है और उस के जुदा करने से वक़्फ़ी इमारत को कुछ नुक़सान नहीं पहुँच सकता तो उस को या उस के वुरसा से कहा जायेगा तुम अपना अ़म्ला उठा लो न उठायें तो जबरन उठवा दिया जायेगा और अगर मौक़ूफ़ अ़लैहि से कुछ लेकर उन्होंने मुसालिहत कर ली तो यह भी जाइज़ है और अगर वह ऐसी चीज़ है जिस के जुदा करने से वक़्फ़ को नुक़सान पहुँचेगा मसलन उस की छत में कड़ियाँ डलवाई हैं तो यह या इसके वुरसा निकाल नहीं सकते बल्कि जिस पर वक़्फ़ है उस से क़ीमत दिलवाई जायेगी और क़ीमत देने से वह इन्कार करे तो मकान को किराये पर देकर किराये से क़ीमत अदा कर दी जाये फिर मौक़ूफ़ अ़लैहि को मकान वापस दे दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़रूरत के वक़्त मसलन वक़्फ़ की इमारत में सर्फ़ करना है और सर्फ़ न करेंगे तो नुक़सान होगा या खेत बोने का वक़्त है और वक़्फ़ के पास न रुपया है न बीज और खेत न बोयें तो आमदनी ही न होगी ऐसे औक़ात में वक़्फ़ की तरफ़ से क़र्ज़ लेना जाइज़ है मगर उसके लिए दो शर्तें हैं एक यह कि क़ाज़ी की इजाज़त से हो दोम यह कि वक़्फ़ की चीज़ को किराये पर देकर किराये से ज़रूरत को पूरा न कर सकते हों और अगर क़ाज़ी वहाँ मौजूद नहीं है दूरी पर है तो खुद भी क़र्ज़ ले सकता है ख़्वाह रुपया क़र्ज़ ले या ज़रूरत की कोई चीज़ उधार ले दोनों तरह जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वक़्फ़ की इमारत मुनहदिम होगई फिर उस की तअ्मीर हुई और पहले का कुछ सामान बचा हुआ है तो अगर यह ख़याल हो कि आइन्दा ज़रूरत के वक़्त उसी वक़्फ़ में काम आ सकता है जब तो महफ़ूज़ रखा जाये वरना फ़रोख़्त कर के क़ीमत को मरम्मत में सर्फ़ करें और अगर रख छोड़ने में ज़ाइअ् होने का अन्देशा है जब भी फ़रोख़्त कर डालें और समन महफ़ूज़ रखें यह चीज़ें खुद उन लोगों को नहीं दी जा सकतीं जिन पर वक़्फ़ है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ के काम करने के लिए किसी को अजीर (तन्ख़्वाहदार)रखा और वाजिबी उजरत से छटा हिस्सा ज़्यादा कर दिया मसलन छः आने की जगह सात आने दिए तो सारी उजरत मुतवल्ली को अपने पास से देनी पड़ेगी और अगर ख़फ़ीफ़ ज़्यादती है कि लोग धोका खाकर उतनी ज़्यादती कर दिया करते हैं तो उस का तावान नहीं बल्कि ऐसी सूरत में वक़्फ़ से उजरत दिलाई जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी जाइदाद मसालिह मस्जिद के लिए वक़्फ़ की है तो इमाम मुअज़्ज़िन जारूबकश, फ़र्राश, दरबान, चटाई, जानमाज़, क़िन्दील, तेल, रौशनी करने वाला, वुज़ू का पानी, लोटे, रस्सी, डोल, पानी भरने वाले की उजरत, इस क़िस्म के मसारिफ़े मसालेह में शुमार होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मस्जिद छोटी बड़ी होने से ज़रूरियात व मसालेह का इख़्तिलाफ़ होगा मस्जिद की आमदनी कसीर है कि ज़रूरियात से बच रहती है तो उमदा नफ़ीस जा नमाज़ का ख़रीदना भी जाइज़ है चटाई की जगह दरी या क़ालीन का फ़र्श बिछा सकते हैं(बहर)

मस्जिद व मदरसों के मुतअ़ल्लेक़ीन के वज़ाइफ़

मसअ्ला :– मदरसा पर जाइदाद वक़्फ़ की तो मुदर्रिस की तनख़्वाह, तलबा की ख़ुराक वज़ीफ़ा,किताब, लिबास, वग़ैरहा में जायदाद की आमदनी सर्फ़ की जा सकती है वक़्फ़ के निगराँ हिसाब का दफ़्तर, और मुहासिब की तनख़्वाह यह चीजें भी मसारिफ़ में दाख़िल हैं बल्कि वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक़ जितने काम करने वालों की ज़रूरत हो सब को वक़्फ़ से तनख़्वाह दी जायेगी।

मसअ्ला :– औक़ाफ़ से जो माहवार वज़ाइफ़ मुक़र्रर होते हैं यह मिन वजह(एक तरह की) उजरत है और मिन वजह सिला, उजरत तो यूँ है कि इमाम मुअज़्ज़िन की अगर इसनाए साल में वफ़ात हो जाये तो जितने दिन काम किया है उस की तनख़्वाह मिलेगी और महज़ सिला होता तो न मिलती और अगर पेशगी तनख़्वाह उन को दी जा चुकी है बाद में इन्तिक़ाल हो गया या मअ़ज़ूल कर दिए गये तो जो कुछ पहले दे चुके हैं वह वापस नहीं होगा और महज़ उजरत होती तो वापस होती।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मदरसा में तअ़तील के जो अय्याम हैं मसलन जुमा मंगल या जुमेरात जुमा, माहे रमज़ान और ईद बक़र ईद की तअ़तीलें (छुट्टियाँ)जो आम तौर पर मुसलमानों में राइज व मअ़मूल हैं उन तअ़तीलात की तनख़्वाह का मुदर्रिस मुस्तहक़ है और उन के अलावा अगर मदरसा में न आया या बिला वजह तअ़लीम न दी तो उस रोज़ की तनख़्वाह का मुस्तहक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तालिबे इल्म वज़ीफ़ा का उस वक़्त मुस्तहक़ है कि तअ़लीम में मशग़ूल हो और अगर दूसरा काम करने लगा या बेकार रहता है तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ नहीं अगर्चे उस की सुकूनत मदरसा ही में हो और अगर अपने पढ़ने के लिए किताब लिखने में मशग़ूल हो गया जिस का लिखना ज़रूरी था इस वजह से पढ़ने नहीं आया तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ है और अगर वहाँ से मुसाफ़ते सफ़र पर चला गया तो वापसी पर वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ नहीं और मुसाफ़त सफ़र से कम फ़ासिला की जगह पर गया है और पन्द्रह दिन वहाँ रह गया जब भी मुस्तहक़ नहीं और उस से कम ठहरा मगर जाना सैर व तफ़रीह के लिए था जब भी मुस्तहक़ नहीं और अगर ज़रूरत की वजह से गया मसलन खाने के लिए उस के पास कुछ नहीं था इस ग़र्ज़ से गया कि वहाँ से कुछ चन्दा वुसूल कर लाये तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुदर्रिस या तालिबे इल्म हज फ़र्ज़ के लिए गया तो उस ग़ैर हाज़िरी की वजह से मअ़ज़ूल किए जाने का मुस्तहक़ नहीं बल्कि अपना वज़ीफ़ा भी पायेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इमाम अपने अइज़्ज़ा(करीबी प्यारों)की मुलाक़ात को चला गया और एक हफ़्ता या कुछ कम व बेश इमामत न कर सका या किसी मुसीबत या इस्तिराहत की वजह से इमामत न कर सका तो हर्ज नहीं इन दिनों का वज़ीफ़ा लेने का मुस्तहक़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने अगर चन्द रोज़ के लिए किसी को अपना क़ाइम मक़ाम मुक़र्रर कर दिया है तो यह उस का क़ाइम मक़ाम है मगर वक़्फ़ की आमदनी से उस को कुछ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इमाम की जगह इस का तक़र्रुर नहीं है और जो कुछ इमाम ने उस के लिए मुक़र्रर किया है वह इमाम से लेगा और ख़ुद इमाम ने अगर साल के अक्सर हिस्से में काम किया है तो कुल वज़ीफ़ा पाने का मुस्तहक़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम व मुअज़्ज़िन का सालाना मुक़र्रर था और इसनाए साल में इन्तिकाल हो गया तो जितने दिनों काम किया है उतने दिनों की तनख़्वाह के मुस्तहक़ हैं उन के वुरसा को दी जायेगी अगर्चे औक़ाफ़ की आमदनी आने से पहले इन्तिक़ाल हो गया हो और मुदर्रिस का इन्तिक़ाल हो गया तो जितने दिनों काम किया है यह भी उतने दिनों की तनख़्वाह का मुस्तहक़ है और दूसरे लोग जिन को वक़्फ़ से वज़ीफ़ा मिलता है वह इसनाए साल में फ़ौत हो जायें और वक़्फ़ की आमदनी अभी नहीं आई है तो वज़ीफ़ा के मुस्तहक़ नहीं और फ़ुक़रा पर जाइदाद वक़्फ़ थी और जिन फ़क़ीरों को देना है उन के नाम लिख गये और रक़म भी बरआमद करली गई तो यह लोग जिनके नाम पर रक़म बरआमद हुई मुस्तहक़ हो गये लिहाज़ा देने से पहले उन में से किसी का इन्तिक़ाल हो गया तो उस के वारिस को दिया जाये यूंहीं मक्का मुअज़्ज़मा या मदीनए तय्यिबा को या किसी को किसी दूसरी जगह किसी मुअय्यन शख़्स के नाम जो रक़म भेजी गई वहाँ पहुँचने से पहले उस का इन्तिक़ाल हो गया तो उस के वुरसा उस रक़म के मुस्तहक़ हैं जो शख़्स उस रक़म को ले गया वह उन्हीं वुरसा को दे दूसरे लोगों को न दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम मुअज़्ज़िन में सालाना की कोई तख़सीस नहीं बल्कि शशमाही या माहवार तनख़्वाह हो(जैसा कि हिन्दुस्तान में उमूमन माहवार तनख़्वाह होती है सालाना या शशमाही इत्तिफ़ाक़न होती है)और दरमियान में इन्तिक़ाल हो जाये तो इतने दिनों की तनख़्वाह का मुस्तहक़ है।

वक़्फ़ तीन क़िस्म का होता है :–

मसअला :– वक़्फ़ तीन तरह होता है सिर्फ़ फ़ुक़रा के लिए वक़्फ़ हो मसलन उस जायदाद की आमदनी ख़ैरात की जाती रहे या या अग़निया (मालदारों) के लिए फिर फ़ुक़रा के लिए मसलन नसलन बाद नसलिन अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और यह ज़िक्र कर दिया कि अगर मेरी औलाद में कोई न रहे तो उस की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये या अग़निया व फ़ुक़रा दोनों के लिए जैसे कूँआ सराए, मुसाफ़िर ख़ाना, क़ब्रिस्तान, पानी पिलाने की सबील, पुल, मस्जिद कि इन चीज़ों में उरफ़न फ़ुक़रा की तख़सीस नहीं होती लिहाज़ा अगर अग़निया की तसरीह न करे जब भी उन चीज़ों से अग़निया फ़ायदा उठा सकते हैं और हस्पताल पर जायदाद वक़्फ़ की कि उसकी आमदनी से मरीज़ों को दवायें दी जायें तो उस दवा को अग़निया उस वक़्त इस्तिअ़्माल कर सकते हैं जब वाक़िफ़ ने तअ़्मीम (आम इजाज़त)कर दी हो कि जो बीमार आये उसे दवा दीजाये या अग़निया की तस्रीह कर दी हो कि अमीर व ग़रीब दोनों को दवाए दीजायें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सिर्फ़ अग़निया पर वक़्फ़ जाइज़ नहीं हाँ अगर अग़निया पर हो उन के बाद फ़ुक़रा पर जिन अग़निया पर वक़्फ़ किया जाये उन की तअ़्दाद मालूम हो तो जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– मुसाफ़िरों पर वक़्फ़ किया यानी वक़्फ़ की आमदनी मुसाफ़िरों पर सर्फ़ हो यह वक़्फ़ जाइज़ है और उस के मुस्तहक़ वही मुसाफ़िर हैं जो फ़क़ीर हो जो मुसाफ़िर मालदार हों वह हक़दार नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– फ़क़ीरों या मिस्कीनों पर वक़्फ़ किया तो यह वक़्फ़ मुतलक़न सहीह है चाहे मौक़ूफ़ अ़लैहि महसूर (गिने चुने)हों या ग़ैर महसूर और अगर ऐसा मसरफ़ ज़िक्र किया जिस में फ़क़ीर व

ग़नी दोनों पाये जाते हों मसलन क़राबत वाले पर वक़्फ़ किया तो अगर मुअय्यन हों वक़्फ़ सहीह है वरना नहीं अगर वह लफ़्ज़ इस्तिअ्माल के लिहाज़ से हाजत पर दलालत करता हो तो वक़्फ़ सहीह है मसलन (यतामा) पर या तलबा पर वक़्फ़ किया कि फ़कीर व ग़नी दोनों यतीम होते हैं और दोनों तालिबे इल्म होते हैं मगर उ़र्फ़ में यह दोनों लफ़्ज़ हाजतमन्दों पर बोले जाते हैं तो उन से भी वक़्फ़ सहीह है और वक़्फ़ की आमदनी सिर्फ़ हाजतमन्द यतीम और तलबा को दी जायेगी मालदार को नहीं यूँहीं अपाहिज और अन्धों पर वक़्फ़ भी सहीह है और सिर्फ़ मोहताजों को दिया जायेगा यूँहीं बेवाओं पर भी वक़्फ़ सहीह है अगर्चे यह लफ़्ज़ फ़कीर व ग़नी दोनों को शामिल है मगर इस्तिमाल उस से उ़मूमन एहतियाज समझ में आती है यूँही फ़िक़्ह व हदीस के शुग्ल रखने वालों पर भी वक़्फ़ सहीह है कि यह लोग इल्मी शुग्ल की वजह से कसब रोज़ी कमाना) में नहीं होते और उ़मूमन साहिबे हाजत होते हैं। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ में नया वज़ीफ़ा मुक़र्रर करने का क़ाज़ी को भी इख़्तियार नहीं यानी ऐसा वज़ीफ़ा जो वाक़िफ़ के शराइत में नहीं है तो शराइत के ख़िलाफ़ मुक़र्रर करना बदरज–ए–ऊला नाजाइज़ होगा और जिस के लिए मुक़र्रर किया गया उस को लेना भी नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ाज़ी अगर किसी शख़्स के लिए तअ्लीक़ी (शर्त के साथ) वज़ीफ़ा जारी करे तो हो सकता है मसलन यह कहा कि अगर फ़ुलाँ मरजाये या कोई जगह ख़ाली हुई तो मैंने उसकी जगह तुझ को मुक़र्रर कर दिया तो मरने पर उस का तक़र्रुर उस की जगह पर हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर उमूरे ख़ैर के लिए वक़्फ़ किया और यह कहा कि आमदनी से पानी की सबील लगाई जाये या लड़कियों और यतामा (यतीमों) की शादी का सामान कर दिया जाये या कपड़े ख़रीद कर फ़क़ीरों को दिये जायें या हर साल आमदनी सदक़ा करदी जाये या ज़मीन वक़्फ़ की कि उस की आमदनी जिहाद में सर्फ़ की जाये या मुजाहिदीन का सामान कर दिया जाये या मुर्दों के कफ़न दफ़न में सर्फ़ की जाये यह सब सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक वक़्फ़ की आमदनी कम है जिस मक़सद से जाइदाद वक़्फ़ की है वह मक़सद पूरा नहीं होता मसलन जाइदाद वक़्फ़ की कि उस के किराये से इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह दी जाये मगर जितना किराया आता है उस से इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह नहीं दी जासकती कि इतनी कम तनख़्वाह पर कोई रहता ही नहीं तो दूसरे वक़्फ़ की आमदनी उस पर सर्फ़ की जासकती है जब कि दूसरा वक़्फ़ भी उसी शख़्स का हो और उसी चीज़ पर वक़्फ़ हो मसलन एक मस्जिद के मुतअ़ल्लिक़ उस शख़्स ने दो वक़्फ़ किए एक की आमदनी इमारत के लिए और दूसरे की इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह के लिए और उस की आमदनी कम है तो पहले वक़्फ़ की फ़ाज़िल आमदनी इमाम व मुअज़्ज़िन पर सर्फ़ की जा सकती है और अगर वाक़िफ़ दोनों वक़्फ़ों के दो हों मसलन दो शख़्सों ने एक मस्जिद पर वक़्फ़ किया या वाक़िफ़ एक ही हो मगर जिहते वक़्फ़ मुख़्तलिफ़ हों मसलन एक ही शख़्स ने मस्जिद व मदरसा बनाया और दोनों पर अलग अलग वक़्फ़ किया तो एक की आमदनी दूसरे पर सर्फ़ नहीं कर सकते (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो मकान वक़्फ़ किए एक अपनी औलाद के रहने के लिए और दूसरा इस लिए कि इस का किराया मेरी औलाद पर सर्फ़ होगा तो एक को दूसरे पर सर्फ़ नहीं कर सकते(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ से इमाम की जो कुछ तनख़्वाह मुक़र्रर है अगर वह नाकाफ़ी है तो क़ाज़ी उस में इज़ाफ़ा कर सकता है और अगर इतनी तनख़्वाह पर दूसरा इमाम मिल रहा है मगर यह इमाम आलिम परहेज़गार है उस से बेहतर है जब भी इज़ाफ़ा जाइज़ है और अगर एक इमाम की तनख़्वाह में इज़ाफ़ा हुआ उस के बाद दूसरा इमाम मुक़र्रर हुआ तो अगर इमामे अव्वल की तनख़्वाह का इज़ाफ़ा उस की ज़ाती बुज़ुर्गी की वजह से था जो दूसरे में नहीं तो दूसरे के लिए इज़ाफ़ा जाइज़ नहीं और अगर वह इज़ाफ़ा किसी बुज़ुर्गी व फ़ज़ीलत की वजह से न था बल्कि ज़रूरत व हाजत की वजह से था तो दूसरे के लिए भी तन्ख़्वाह में वही इज़ाफ़ा होगा यही हुक्म दूसरे वज़ीफ़ा पाने वालों का भी है कि ज़रूरत की वजह से उन की तनख़्वाहों में इज़ाफ़ा किया जा सकता है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

औलाद पर या अपनी ज़ात पर वक़्फ़ का बयान

मसअला :– यूँ कहा कि इस जाइदाद को मैंने अपने ऊपर वक़्फ़ किया मेरे बाद फ़ुलाँ पर उस के बाद फ़ुक़रा पर यह वक़्फ़ जाइज़ है यूँहीं अपनी औलाद या नस्ल पर भी वक़्फ़ करना जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया उन के बाद मसाकीन व फ़ुक़रा पर तो जो औलाद आमदनी के वक़्त मौजूद है अगर्चे वक़्फ़ के वक़्त मौजूद न थी उसे हिस्सा मिलेगा और जो वक़्फ़ के वक़्त मौजूद थी और अब मरचुकी है उसे हिस्सा नहीं मिलेगा (आलमगीरी)

मसअला :– औलाद नहीं है और औलाद पर यूँ वक़्फ़ किया कि जो मेरी औलाद पैदा हो वह आमदनी की मुस्तहक़ है यह वक़्फ़ सहीह है और उस सूरत में जब तक औलाद पैदा न हो वक़्फ़ की जो कुछ आमदनी होगी मसाकीन पर सर्फ़ होगी और जब औलाद पैदा होगी तो अब जो कुछ आमदनी होगी उस को मिलेगी (ख़ानिया)

मसअला :– औलाद पर वक़्फ़ किया तो लड़के और लड़कियाँ और ख़ुन्सा सब उस में दाख़िल हैं और लड़कों पर वक़्फ़ किया लड़कियाँ और ख़ुन्सा दाख़िल नहीं लड़कियों पर वक़्फ़ किया तो लड़के और ख़ुन्सा दाख़िल नहीं और यूँ कहा कि लड़के और लड़कियों पर वक़्फ़ किया तो ख़ुनसा दाख़िल है कि वह हक़ीक़तन लड़का है या लड़की अगर्चे ज़ाहिर में कोई जानिबे मुतअय्यन (मख़्सूस)न हो।

मसअला :– अपनी उस औलाद पर वक़्फ़ किया जो मौजूद है और नसलन बाद नस्ल उस की औलाद पर तो वाक़िफ़ की जो औलाद वक़्फ़ करने के बाद पैदा होगी यह और उसकी औलाद हक़दार नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– औलाद पर वक़्फ़ किया तो उस औलाद को हिस्सा मिलेगा जो मअ्रुफ़ुन्नसब हो और अगर उसका नसब सिर्फ़ वाक़िफ़ के इक़रार से साबित होता हो तो आमदनी की मुस्तहक़ नहीं इस की सूरत यह है कि एक शख़्स ने जाइदाद औलाद पर वक़्फ़ की और वक़्फ़ की आमदनी आने के बाद छः महीने से कम में उस की कनीज़ से बच्चा पैदा हुआ उस ने कहा यह मेरा बच्चा है तो नसब साबित हो जायेगा मगर उस आमदनी से उस को कुछ नहीं मिलेगा और मनकूहा या उम्मे वलद से छः महीने से कम में बच्च पैदा हुआ तो अपने हिस्से का मुस्तहक़ है और आमदनी से छः महीने या ज़्यादा में पैदा हो तो इस आमदनी से उस को हिस्सा नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी नाबालिग़ औलाद पर वक़्फ़ किया तो वह मुराद हैं जो वक़्फ़ के वक़्त बच्चे हों

अगर्चे आमदनी के वक़्त जवान हों या अंधी या कानी औलाद पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ के दिन जो अन्धे और काने हैं वह मुराद हैं अगर वक़्फ़ के दिन अंधा न था आमदनी के दिन अंधा हो गया तो मुस्तहक़ नहीं और अगर यूँ वक़्फ़ किया कि उस की आमदनी की मुस्तहक़ मेरी वह औलाद है जो यहाँ सकूनत रखे तो आमदनी के वक़्त यहाँ जिस की सुकूनत होगी वह मुस्तहक़ है वक़्फ़ के दिन अगर्चे यहाँ सुकूनत न थी (आलमगीरी फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और शर्त कर दी कि जो यहाँ से चला जाये उस का हिस्सा साकित तो जाने के बाद वापस आजाये तो भी हिस्सा नहीं मिलेगा हाँ अगर वाक़िफ़ ने यह भी शर्त की हो कि वापस होने पर हिस्सा मिलेगा तो अब मिलेगा यूँहीं अगर यह शर्त की है कि मेरी औलाद में जो लड़की बेवा हो जाये उस को दिया जाये तो जब तक बेवा होने पर निकाह न करेगी मिलेगा और निकाह करने पर नहीं मिलेगा अगर्चे निकाह के बाद उस के शौहर ने तलाक़ दे दी हो मगर जब कि वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी हो कि फिर बे शौहर वाली हो जाये तो दिया जाये तो अब दिया जायेगा (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– औलादे ज़ुकूर (पुरूष)और ज़ुकूर की औलाद पर वक़्फ़ किया तो इसी के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी और अगर औलादे ज़ुकूर की औलादे ज़ुकूर पर नसलन बाद नस्ल वक़्फ़ किया तो लड़कियों को उसमें से कुछ न मिलेगा बल्कि इस नस्ल में जितने लड़के होंगे वही हक़दार होंगे और ज़ुकूर का सिलसिला ख़त्म होने पर फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद में जो हाजतमन्द हों उन पर वक़्फ़ किया तो आमदनी के वक़्त जो ऐसे हों वह मुस्तहक़ होंगे अगर्चे वह पहले मालदार थे और जो पहले हाजतमन्द थे और अब मालदार होंगे तो मुस्तहक़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मोहताज औलाद पर वक़्फ़ किया था और आमदनी चन्द साल तक तक़सीम नहीं हुई यहाँ तक कि मालदार मोहताज हो गये और मोहताज़ मालदार तो तक़सीम के वक़्त जो मोहताज हों उन को दिया जाये (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– अपनी औलाद में जो आ़लिम हो उस पर वक़्फ़ किया तो ग़ैर आ़लिम को नहीं मिलेगा और फ़र्ज़ करो छोटा बच्चा छोड़ कर मर गया जो बाद में आ़लिम हो गया तो जब तक आ़लिम नहीं हुआ है उसे नहीं मिलेगा और न उस ज़माने की आमदनी का हिस्सा उस के लिए जमअ् रखा जायेगा बल्कि अब से हिस्सा पाने का मुस्तहक़ होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर औलाद पर वक़्फ़ किया मगर नसलन बाद नसलिन न कहा तो सिर्फ़ सुलबी को मिलेगा और सुलबी औलाद ख़त्म होने पर उन की औलाद मुस्तहक़ नहीं होगी बल्कि मसाकीन का हक़ है और इस सूरत में अगर वक़्फ़ के वक़्त उस शख़्स की सुल्बी औलाद ही न हो और पोता मौजूद है तो पोता ही सुलबी औलाद की जगह है कि जब तक यह ज़िन्दा है हक़दार है और नवासा सुल्बी औलाद की जगह नहीं और वक़्फ़ के बाद सुल्बी औलाद पैदा होगई तो अब से पोता नहीं पायेगा बल्कि सुल्बी औलाद मुस्तहक़ है और फ़र्ज़ करो पोता भी न हो मगर पर पोता और पर पोता का लड़का हो तो यह दोनों हक़दार हैं(ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– औलाद और औलाद की औलाद पर वक़्फ़ किया तो सिर्फ़ दो ही पुश्त तक की औलाद हक़दार है पोते की औलाद मुस्तहक़ नहीं और उस में भी बेटी की औलाद यानी नवासे नवासियों का हक़ नहीं और अगर यूँ कहा कि औलाद फिर औलाद की औलाद फिर उन की औलाद यानी तीन पुश्तें ज़िक्र करदीं तो यह ऐसा ही है जैसे नसलन बाद नसलिन और बतनन बाद बतनिन कहता कि जब तक सिलसिलाऔलाद में कोई बाक़ी रहेगा हक़दार है और नस्ल मुन्क़तअ् (ख़त्म)हो जाये तो फ़ुक़रा को मिलेगा (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– बेटों (बहु वचन)पर वक़्फ़ किया और दो या ज़्यादा हों तो सब बराबर बराबर तक़सीम कर लें और एक ही बेटा हो तो आमदनी में निस्फ़ उसे देंगे और निस्फ़ फ़ुक़रा को और अगर बेटे की औलाद और उस की औलाद की औलाद पर नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ किया तो बेटे की तमाम औलाद ज़ुकूर व अनास (लड़का व लड़की)पर बराबर तक़सीम होगा और अगर वक़्फ़ में मर्द को औरत से दूना कहा हो तो बराबर नहीं देंगे बल्कि उस के मुवाफ़िक़ दें जैसा वक़्फ़ में मज़कूर (बयान)है पोते और परपोते दोनों को बराबर दिया जायेगा हाँ अगर वाक़िफ़ ने वक़्फ़ में यह ज़िक्र कर दिया हो कि बतने अअ्ला (क़रीबी बेटा)को दिया जाये वह न हों तो असफ़ल (क़रीबी बेटा नहीं)को तो पोते के होते हुए पर पोते को नहीं देंगे बल्कि अगर एक ही पोता हो तो कुल का यही हक़दार है उस के मरने के बाद तमाम पोते की औलाद को मिलेगा उस पोते की औलाद को भी और जो पोते उस से पहले मर चुके हैं उन की औलादों को भी और अगर यह कह दिया हो कि बतन अअ्ला में जो मरजायें उस का हिस्सा उसकी औलाद को दिया जाये तो जो पोता मौजूद है उसे मिलेगा और जो मर गया है उस का हिस्सा उस की औलाद को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आमदनी आगई है मगर अभी तक़सीम नहीं हुई है कि एक हक़दार मर गया तो उस का हिस्सा साक़ित नहीं होगा बल्कि उस के वुरसा को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने कहा मेरे मरने के बाद मेरी यह ज़मीन मसाकीन पर सदक़ा है और यह ज़मीन एक तिहाई के अन्दर है तो मरने के बाद उसकी आमदनी औलाद को नहीं दी जा सकती अगर्चे फ़क़ीर व मोहताज हो और अगर सेहत में वक़्फ़ करे और मा बाद मौत की तरफ़ मुज़ाफ़ नकरे फिर मरजाये और उस की औलाद में एक या चन्द मिसकीन हों तो उन को देना ब निस्बत दूसरे मसाकीन के ज़्यादा बेहतर है मगर हर एक को निसाब से कम दिया जाये (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ)

मसअ्ला :– सेहत में फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया और वाक़िफ़ के वुरसा फ़क़ीर हों तो उन को देना ज़्यादा बेहतर है मगर इस बात का लिहाज ज़रूरी है कि कुल उन्हें को न दिया जाये बल्कि कुछ उन को दिया जाये और कुछ ग़ैरों को और अगर कुल दिया जाये तो हमेशा न दिया जाये कि कहीं लोग यह न समझने लगें कि उन्हीं पर वक़्फ़ है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– सेहत में जो वक़्फ़ फ़ुक़रा पर किया गया उस का मसरफ़ औलाद के बाद सब से बेहतर वाक़िफ़ के क़राबत(क़रीब)वाले हैं फिर उस के आज़ाद करदा ग़ुलाम फिर उस के पड़ोस वाले

(1)उर्दू में एक को औलाद बोलते है और यह लफ़्ज़ हमारे यहाँ के मुहावरे में ऐसी जगह बोला जाता है जहाँ अरबी में वलद बोलते है वरना अरबी में औलाद के लफ़्ज़ को जुमुअ के साथ ख़ुसूसीयत नहीं–12 मिन्हु हफ़िज़ रब्बुहु

फिर उस के शहर के वह लोग जो वाक़िफ़ के पास उठने बैठने वाले उस के दोस्त अहबाब थे। (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और उन के बाद फ़ुक़रा पर और उस की चन्द औलादें हैं उन में से कोई मरजायें तो वक़्फ़ की कुल आमदनी बाक़ी औलाद पर तक़सीम होगी और जब सब मरजायेंगे उस वक़्त फ़ुक़रा को मिलेगी और अगर वक़्फ़ में औलाद का नाम ज़िक्र कर दिया हो कि मैंने अपनी औलाद फ़ुलाँ फ़ुलाँ पर वक़्फ़ किया और उन के बाद फ़ुक़रा पर तो इस सूरत में जो मरेगा उस का हिस्सा फ़ुक़रा को दिया जायेगा अब बाक़ियों पर कुल तक़सीम नहीं होगा (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी औलाद पर मकान वक़्फ़ किया है कि यह लोग उस में सुकूनत रखें तो उस में सुकूनत ही कर सकते हैं किराये पर नहीं दे सकते अगर्चे औलाद में सिर्फ़ एक ही शख़्स है और मकान उस की ज़रूरत से ज़्यादा है और अगर उस की औलाद में बहुत से अशख़ास (लोग)हों कि सब उस में सुकूनत नहीं कर सकते जब भी किराया पर नहीं दे सकते बल्कि बाहमी रज़ा मन्दी से नम्बरवार हर एक उस में सुकूनत कर सकता है और अगर मकान मौक़ूफ़ बहुत बड़ा है जिस में बहुत से कमरे और हुजरे हैं तो मर्दों की औरतें और औरतों के शौहर भी रह सकतें हैं कि मर्द अपनी औरत और नौकर चाकर के साथ अलाहिदा कमरे में रहे और दूसरे लोग दूसरे कमरों में और अगर इतने कमरे और हुजरे न हों कि हर एक अलाहिदा सुकूनत करे तो सिर्फ़ वही लोग रह सकते हैं जिन पर वक़्फ़ है यानी औलादे ज़ुकूर(लड़कों)की बीवियाँ और औलाद अनास(लड़कियों)के ख़ाविन्द नहीं रह सकते (फ़तहुलक़दीर रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मकान मौक़ूफ़ तमाम औलाद के लिए नाकाफ़ी है बाज़ उस में रहते हैं और बाज़ नहीं तो न रहने वाले साकिनान(रहने वाला)से किराया नहीं ले सकते न यह कह सकते हैं कि उतने दिन तुम रह चुके हो और अब हम रहेंगे बल्कि अगर चाहें तो उन्हीं के साथ रह लें(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औलाद की सुकूनत के लिए मकान वक़्फ़ किया है उन में से एक ने सारे मकान पर कब्ज़ा कर रखा है दूसरे को घुसने नहीं देता तो इस सूरत में साकिन पर किराया देना लाज़िम है कि यह ग़ासिब है और ग़ासिब को ज़मान देना पड़ता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़राबत वालों पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और मर्द व औरत दोनों बराबर के हक़दार हैं मर्द को औरत से ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया जायेगा और क़राबत वालों में वाक़िफ़ की औलाद बेटे पोते वग़ैरा या उस के उसूल बाप, दादा, वग़ैरा का शुमार न होगा उन को हिस्सा नहीं मिलेगा (ख़ानिया)

मसअला :– क़राबत वालों पर वक़्फ़ किया और वाक़िफ़ के चचा भी हैं और मामूँ भी चचाओं को मिलेगा मामूँ को नहीं और एक चचा और दो मामूँ हों तो आधा चचा को और आधे में दोनों मामूओं को यह जब कि लफ़्ज़े जमअ़ (क़राबत वालों)ज़िक्र किया हो और अगर लफ़्ज़ वाहिद क़राबत वाला कहा तो फ़क़त चचा को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी क़राबत के मोहताजों व फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह और क़राबत वालों में उन्हीं को मिलेगा जो मोहताज व फ़क़ीर हों (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मकान वक़्फ़ किया और शर्त कर दी कि मेरी फलाँ बेवा जब तक निकाह न करे उस में सुकूनत करे वाक़िफ़ के मरने के बाद उस की बेवा ने निकाह कर लिया तो सुकूनत का हक़ जाता रहा और निकाह के बाद फिर बेवा हो गई या शौहर ने तलाक़ देदी जब भी सुकूनत का हक़ लौटेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुतवल्ली को वक़्फ़ नामा मिला जिस में यह लिखा है उस मुहल्ले के मोहताजों और दीगर मुसलमान फ़क़ीरों पर सर्फ़ क्रिया जाये तो इस मुहल्ला के हर मिस्कीन को एक एक हिस्सा दिया जाये और दूसरे मिस्कीनों का एक हिस्सा और मुहल्ले वाला कोई मिस्कीन मरजाये तो उस का हिस्सा साकित और वह हिस्सा बाक़ियों पर तक़सीम हो जायेगा यह उसी वक़्त तक है कि वक़्फ़ नामा जब लिखा गया उस वक़्त मुहल्ला में जो मसाकीन थे वह जब तक ज़िन्दा रहे और वह सब के सब न रहे तो जैसे इस मुहल्ले के मिस्कीन हैं वैसे ही दूसरे मसाकीन यानी अब जो महल्ला में दूसरे मसाकीन होंगे वह एक एक हिस्सा के हक़दार नहीं बल्कि जितना दीगर मसाकीन को मिलेगा उतना ही उन को भी मिलेगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– अपने पड़ोस के फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया तो पड़ोसी से मुराद वह लोग हैं जो उस मुहल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं अगर्चे उन का मकान वाक़िफ़ के मकान से मुत्तसिल न हो और एक शख़्स उस मुहल्ला में रहता है मगर जिस मकान में रहता है उस का मालिक दूसरा शख़्स है जो यहाँ नहीं रहता तो मालिक मकान पड़ोसियों में शुमार न होगा बल्कि वह जिसकी यहाँ सुकूनत है वक़्फ़ के वक़्त जो लोग मुहल्ला में थे वह मकान बेच कर चले गये तो पड़ोसी न रहे बल्कि यह हैं जो अब यहाँ रहते हैं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– पड़ोसियों पर वक़्फ़ किया था और ख़ुद वाक़िफ़ दूसरे शहर को चला गया अगर वहाँ मकान बनाकर मुक़ीम हो गया तो वहाँ के पड़ोस वाले मुस्तहक़ हैं पहली जगह जहाँ था वहाँ के लोग अब मुस्तहक़ न रहे और अगर वहाँ मकान नहीं बनाया है तो पहली जगह वाले बदस्तूर मुस्तहक़ हैं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपने शहर के सादात के लिए जायेदाद वक़्फ़ की एक सय्यद साहिब वहाँ से दूसरे शहर को चले गये अगर यहाँ का मकान बेचा नहीं और दूसरे शहर में मकान नहीं बनाया तो यहीं के साकिन हैं और वज़ीफ़ा के मुस्तहक़ हैं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– जिन लोगों पर जाइदाद वक़्फ़ की उन सब ने इन्कार कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ और आमदनी फ़ुक़रा पर तक़सीम होगी और बाज़ ने इन्कार किया और वाक़िफ़ ने मौक़ूफ़ अ़लैहि (जिस पर वक़्फ़ की)को जिस लफ़्ज़ से ज़िक्र किया है वह लफ़्ज़ बाक़ियों पर बोला जाता है तो कुल आमदनी उन बाक़ी लोगों को दी जायेगी और अगर वह लफ़्ज़ नहीं बोला जाता तो जिसने इन्कार कर दिया है उस का हिस्सा फ़क़ीर को दिया जाये मसलन यह कहा कि फ़ुलाँ की औलाद पर वक़्फ़ किया और बाज़ ने इन्कार कर दिया तो सब आमदनी बाक़ियों को मिलेगी और अगर कहा ज़ैद व अ़म्र पर वक़्फ़ किया और ज़ैद ने इन्कार किया तो उस का हिस्सा अ़म्र को नहीं मिलेगा बल्कि फ़क़ीर को दिया जाये और अगर किसी शख़्स की औलाद पर वक़्फ़ किया था और सब ने इन्कार कर दिया और आमदनी फ़क़ीरों को देदी गई फिर नई आमदनी हुई तो उस को क़बूल नहीं

कर सकते इन मौजूद लोगों ने इन्कार कर दिया था मगर उस शख़्स के कोई और लड़का पैदा हुआ उस ने क़बूल कर लिया तो सारी आमदनी उसी को मिलेगी (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– एक शख़्स पर अपनी जाइदाद व नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ की उस शख़्स ने कहा न मैं अपने लिए क़बूल करता हूँ न अपनी नस्ल के लिए तो अपने हक़ में इन्कार सहीह है और औलाद के हक़ में सहीह नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौक़ूफ़ अ़लैहि ने पहले रद कर दिया तो अब क़बूल कर के वक़्फ़ को वापस नहीं ले सकता और जब एक साल उस ने क़बूल कर लिया तो फिर रद नहीं कर सकता और अगर यह कहा कि एक साल का क़बूल नहीं करता हूँ और उस के बाद का क़बूल करता हूँ तो उस साल की आमदनी दीगर मुस्तहक़ीन को मिलेगी फिर उस को मिलेगी (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ही मुतवल्ली भी है वह आमदनी को अपने हाथ से अपनी क़राबत वालों पर सर्फ़ करता है किसी को कम किसी को ज़्यादा जो उस के ख़याल में आता है उस के मुवाफ़िक़ देता है अब वह फ़ौत हुआ उस ने दूसरे को मुतवल्ली मुक़र्रर किया यह बयान नहीं किया कि किसको ज़्यादा देता था तो यह मुतवल्ली दोम उन्हीं लोगों को दे और ज़्यादती की रक़म का मसरफ़ मालूम नहीं लिहाज़ा उसे फ़ुक़रा पर सर्फ़ करे (ख़ानिया)

मस्जिद का बयान

मसअ्ला :– मस्जिद होने के लिए यह ज़रूर है कि बनाने वाला कोई ऐसा फ़ेअ्ल(काम)करे या ऐसी बात कहे जिस से मस्जिद होना साबित होता हो महज़ मस्जिद की सी इमारत बना देना मस्जिद होने के लिए काफ़ी नहीं।

मसअ्ला :– मस्जिद बनाई और जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देदी मस्जिद होगई अगर्चे जमाअ़त में दो ही शख़्स हों मगर यह जमाअ़त अ़लल एअ्लान यानी अज़ान व इक़ामत के साथ हो और अगर तन्हा एक शख़्स ने अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज़ पढ़ी इस तरह नमाज़ पढ़ना जमाअ़त के क़ाइम मक़ाम है और मस्जिद हो जायेगी और अगर ख़ुद इस बानी(मस्जिद बनाने वाले) ने तन्हा इस तरह नमाज़ पढ़ी तो यह मस्जिदियत के लिए काफ़ी नहीं कि मस्जिदियत के लिए नमाज़ की शर्त तो इस लिए है कि आ़म्मए मुस्लेमीन का क़ब्ज़ा हो जाये और उस का क़ब्ज़ा तो पहले ही से है आ़म्म–ए–मुस्लेमीन(आम मुसलमानों)के क़ाइम मक़ाम यह ख़ुद नहीं हो सकता(ख़ानिया फ़तहुल क़दीर,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह कहा कि मैंने इस को मस्जिद कर दिया तो इस कहने से भी मस्जिद हो जायेगी

मसअ्ला :– मकान में मस्जिद बनाई और लोगों को उस में आने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देदी और मस्जिद का रास्ता अ़लाहिदा कर दिया है तो मस्जिद हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए यह ज़रूर है कि अपनी इमलाक(मिलकियत)से उस को बिलकुल जुदा कर दे उस की मिल्क उस में बाक़ी न रहे लिहाज़ा नीचे अपनी दुकानें हैं या रहने का मकान और ऊपर मस्जिद बनवाई तो यह मस्जिद नहीं या ऊपर अपनी दुकानें या रहने का मकान है और नीचे मस्जिद बनवाई तो यह मस्जिद नहीं बल्कि उस की मिल्क है और उस के बाद उस के वुरसा की

और अगर नीचे का मकान मस्जिद के काम के लिए हो अपने लिए न हो तो मस्जिद हो गई (हिदाया वग़ैराहुमा)यूँहीं मस्जिद के नीचे किराये की दुकानें बनाई गईं या ऊपर मकान बनाया गया जिन की आमदनी मस्जिद में सर्फ़ होगी तो हर्ज नहीं या मस्जिद के नीचे ज़रूरते मस्जिद के लिए तहख़ाना बनाया कि उस में पानी वग़ैरा रखा जायेगा या मस्जिद का सामान उस में रहेगा तो हर्ज नहीं (आलमगीरी)मगर यह उस वक़्त है कि मस्जिद पूरी होने से पहले दुकानें या मकान बना लिया हो और मस्जिद हो जाने के बाद न उस के नीचे दुकान बनाई जा सकती न ऊपर मकान (दुर्रे मुख़्तार)यानी मसलन एक मस्जिद को मुन्हदिम कर के फिर उसकी तअ्मीर कराना चाहें और पहले उस के नीचे दुकानें न थीं और अब इस जदीद तअ्मीर में दुकान बनवाना चाहें तो नहीं बना सकते कि यह तो पहले ही से मस्जिद है अब दुकान बनाने के यह मअ्ना होंगे कि मस्जिद को दुकान बना लिया।

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए इमारत ज़रूरी नहीं यानी ख़ाली ज़मीन अगर कोई शख़्स मस्जिद कर दे तो मस्जिद है मसलन ज़मीन के मालिक ने लोगों से कह दिया कि उस में हमेशा नमाज़ पढ़ा करो तो मस्जिद हो गई और अगर हमेशा का लफ़्ज़ नहीं बोला मगर उस की नियत यही है जब भी मस्जिद है और अगर न लफ़्ज़ है और न नियत मसलन नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी और नियत कुछ नहीं या महीना भर, साल भर, एक दिन के लिए नमाज़ पढ़ने को कहा तो वह ज़मीन मस्जिद नहीं बल्कि उस की मिल्क है उस के मरने के बाद उस के वुरसा की मिल्क है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान मस्जिद के नाम वक़्फ़ था मुतवल्ली ने उसे मस्जिद बना दिया और लोगों ने चन्द साल तक उस में नमाज़ भी पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया अब उसे किराये का मकान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि मुतवल्ली के मस्जिद करने से वह मस्जिद नहीं हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने अपने मकान को मस्जिद कर दिया अगर वह मकान मरीज़ के तिहाई माल के अन्दर है तो मस्जिद बनाना सहीह है मस्जिद हो गया और तिहाई से ज़ाइद है और वुरसा ने इजाज़त दे दी जब भी मस्जिद है और वुरसा ने इजाज़त नहीं दी तो कुल का कुल मीरास है और मस्जिद नहीं हो सकता कि उस में वुरसा भी हक़दार हैं और मस्जिद को हुक़ूक़ुलइबाद से जुदा होना ज़रूरी है यूँहीं एक शख़्स ने ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद बनाई बाइअ् (बेचने वाले) के एलावा कोई दूसरा शख़्स भी उस में हक़दार निकला तो मस्जिद नहीं रही और अगर यह वसियत की कि मेरे मरने के बाद मेरा तिहाई मकान मस्जिद बना दिया जाये तो वसीयत सहीह है मकान तकसीम कर के एक तिहाई को मस्जिद कर देंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अहले मुहल्ला यह चाहते हैं कि मस्जिद को तोड़ कर पहले से उमदा व मुस्तहकम बनायें तो बना सकते हैं बशर्ते कि अपने माल से बनायें मस्जिद के रुपये से तअ्मीर न करें और दूसरे लोग ऐसा करना चाहते हों तो नहीं कर सकते और अहले मुहल्ला को यह भी इख़्तियार है कि मस्जिद को वसीअ् करें उस में हौज़ और कुआँ और ज़रूरत की चीज़ें बनायें वुज़ू और पीने के लिए मटकों में पानी रखवाएें झाड़, हान्डी, फ़ानूस वग़ैरा लगायें बानी मस्जिद के वुरसा को मनअ् करने का हक़ नहीं जब कि वह अपने माल से ऐसा करना चाहते हों और अगर बानी मस्जिद अपने पास

से करना चाहता है और अहले महल्ला अपनी तरफ़ से तो बानी मस्जिद ब निस्बत अहले महल्ला के ज़्यादा हक़दार है हौज़ और कुआँ बनवाने में यह शर्त है कि उन की वजह से मस्जिद को किसी क़िस्म का नुक़सान न पहुँचे (रद्दुल मुहतार)और यह भी ज़रूर है कि पहले जितनी मस्जिद थी उस के एलावा दूसरी ज़मीन में बनाये जायें मस्जिद में नहीं बनाये जा सकते।

मसअ्ला :— इमाम मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करने में बानी मस्जिद या उस की औलाद का हक़ ब निस्बत अहले महल्ला के ज़्यादा है मगर जब कि अहले महल्ला ने जिस को मुक़र्रर किया वह बानी मस्जिद के मुक़र्रर करदा से औला है तो अहले महल्ला ही का मुक़र्रर कर्दा इमाम होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— अहले महल्ला को यह भी इख़्तियार है कि मस्जिद का दरवाज़ा दूसरी जानिब मुन्तक़िल कर दें और अगर इस बाब में रायें मुख़्तलिफ़ हों तो जिस तरफ़ कसरत(ज़्यादा राय) हो और अच्छे लोग हों उन की बात पर अ़मल किया जाये (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :— मस्जिद की छत पर इमाम के लिए बाला ख़ाना बनाना चाहता है अगर क़ब्ले तमाम मस्जिदियत हो तो बना सकता है और मस्जिद हो जाने के बाद नहीं बना सकता अगर्चे कहता हो कि मस्जिद होने के पहले से मेरी नियत बनाने की थी बल्कि अगर दीवारे मस्जिद पर हुजरा बनाना चाहता हो तो उस की भी इजाज़त नहीं यह हुक्म ख़ुद वाक़िफ़ और बानी—ए—मस्जिद का है लिहाज़ा जब उसे इजाज़त नहीं तो दूसरे बदरजा औला नहीं बना सकते अगर इस क़िस्म की कोई नाजाइज़ इमारत छत या दीवार पर बना दी गई हो तो उसे गिरा देना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मस्जिद का कोई हिस्सा किराये पर देना कि उस की आमदनी मस्जिद पर सर्फ़ होगी हराम है अगर्चे मस्जिद को ज़रूरत भी हो यूँही मस्जिद को मसकन(ठहरने की जगह) बनाना भी नाजाइज़ है यूँही मस्जिद के किसी जुज़ को हुजरे में शामिल कर लेना भी नाजाइज़ है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मुसल्लियों (ना माज़ियों) की कसरत की वजह से मस्जिद तंग हो गई और मस्जिद के पहलू में किसी शख़्स की ज़मीन है तो उसे ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा करें और अगर वह न देता हो तो वाजिबी क़ीमत देकर जबरन उस से ले सकते हैं यूँहीं अगर पहलू—ए—मस्जिद में कोई ज़मीन या मकान है जो उसी मस्जिद के नाम वक़्फ़ है या किसी दूसरे काम के लिए वक़्फ़ है तो उस को मस्जिद में शामिल कर के इज़ाफ़ा करना जाइज़ है अल्लबत्ता इस की ज़रूरत है कि क़ाज़ी से इजाज़त हासिल कर लें यूँहीं अगर मस्जिद की बराबर वसीअ् रास्ता हो उस में से अगर जुज़ मस्जिद में शामिल कर लिया जाये जाइज़ है जब कि रास्ता तंग न हो जाये और उस की वजह से लोगों का हर्ज न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मस्जिद तंग हो गई एक शख़्स कहता है मस्जिद मुझे देदो उसे मैं अपने मकान में शामिल कर लूँ और उस के एवज़ में वसीअ् और बेहतर ज़मीन तुम्हें देता हूँ तो मस्जिद को बदलना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मस्जिद बनाई और शर्त कर दी कि मुझे इख़्तियार है कि उसे मस्जिद रखूँ या न रखूँ तो शर्त बातिल है और वह मस्जिद हो गई यानी मस्जिदियत के इबताल (ख़त्म करने)का उसे हक़

नहीं यूँही मस्जिद को अपने या अहले महल्ला के लिए ख़ास कर देतो ख़ास न होगी दूसरे महल्ला वाले भी उस में नमाज़ पढ़ सकते हैं उसे रोकने का कुछ इख़्तियार नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के आस पास की जगह वीरान हो गई वहाँ लोग रहे नहीं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ें यानी मस्जिद बिल्कुल बेकार होगई जब भी वह बदस्तूर मस्जिद है किसी को यह हक़ हासिल नहीं कि उसे तोड़ फोड़ कर उस के ईंट पत्थर वग़ैरा अपने काम में लाये या उसे मकान बनाले यानी वह क़ियामत तक मस्जिद है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मस्जिद की चटाई जानमाज़ वग़ैरा अगर बेकार हों और उस मस्जिद के लिए कारआमद न हों तो जिस ने दिया है वह जो चाहे करे उसे इख़्तियार है और मस्जिद वीरान होगई कि वहाँ लोग रहे नहीं तो उस का सामान दूसरी मस्जिद को मुन्तक़िल कर दिया जाये बल्कि ऐसी मस्जिद मुन्हदिम हो जाये और अंदेशा हो कि उस का अ़मला लोग उठा ले जायेंगे और अपने सर्फ़ (ख़र्च)में लायेंगे तो उसे भी दूसरी मस्जिद की तरफ़ मुन्तक़िल कर देना जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जाड़े के मौसम में मस्जिद में प्याल डलवाया था जाड़े निकल जाने के बाद बेकार हो गया तो जिसने डलवाया उसे इख़्तियार है जो चाहे करे और उस ने मस्जिद से निकलवाकर बाहर डलवा दिया तो जो चाहे ले जा सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाज़ लोग मस्जिद में जो प्याल बिछाते हैं उसे सक़ाया (पानी गर्म करने की जगह)की आग जलाने के काम में लाते हैं यह नाजाइज़ है यूँहीं सक़ाया की आग घर ले जाना या उस से चिलम भरना सक़ाया का पानी लेजाना यह सब नाजाइज़ है हाँ जिस ने पानी भरवाया और गर्म कराया है अगर वह उस की इजाज़त दे दे तो ले जा सकते हैं जब कि उस ने अपने पास से सर्फ़ किया है और मस्जिद का पैसा सर्फ़ किया हो तो उसकी इजाज़त भी नहीं दे सकता।

मसअ्ला :– मस्जिद की अशया जैसे लोटा, चटाई, वग़ैरा को किसी दूसरी ग़र्ज़ में इस्तिअ्माल नहीं कर सकते मसलन लोटे में पानी भर कर अपने घर नहीं ले जा सकते अगर्चे यह इरादा हो कि फिर वापस कर जाऊँगा उस की चटाई अपने घर या किसी दूसरी जगह बिछाना नाजाइज़ है यूँहीं मस्जिद के डोल रस्सी से अपने घर के लिए पानी भरना या किसी छोटी से छोटी चीज़ को बे मोक़अ् और बे महल इस्तिअ्माल करना नाजाइज़ है।

मसअ्ला :– तेल या मोम बत्ती मस्जिद में जलाने के लिए दी और बच रही तो दूसरे दिन काम में लायें और अगर ख़ास दिन के लिए दी है मसलन रमज़ान या शबे क़द्र के लिए तो बची हुई मालिक को वापस दी जाये इमाम मुअज़्ज़िन को बग़ैर इजाज़त लेना जाइज़ नहीं हाँ अगर वहाँ का उर्फ़ हो कि बची हुई इमाम व मुअज़्ज़िन की है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपने तिहाई माल की वसियत की कि नेक कामों में सर्फ़ किया जाये तो उस माल से मस्जिद में चिराग़ जलाया जा सकता है मगर उतने ही चिराग़ इस माल से जलाये जा सकते हैं जितने की ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा महज़ तज़ईन (सजावट) के लिए इस रक़म से नहीं जलाये सकते। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी जाइदाद इस तरह वक़्फ़ की है कि उस की आमदनी मस्जिद की इमारत व मरम्मत में लगाई जाये और जो बच रहे फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये और वक़्फ़ की आमदनी बची हुई मौजूद है और मस्जिद को उस वक़्त तअ्मीर की हाजत भी नहीं है अगर यह गुमान हो कि जब मस्जिद में तअ्मीर व मरम्मत की ज़रूरत होगी उस वक़्त तक ज़रूरत के लाइक़ उस की आमदनी जमअ् हो जायेगी तो उस वक़्त जो कुछ जमअ् है फ़ुक़रा पर सर्फ़ कर दिया जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद मुन्हदिम हो गई और उस के औक़ाफ़ की आमदनी इतनी मौजूद है कि उस से फिर मस्जिद बनाई जा सकती है तो इस आमदनी को तअ्मीर में सर्फ़ करना जाइज़ है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद के औक़ाफ़ की आमदनी से मुतवल्ली ने कोई मकान ख़रीदा और यह मकान मुअज़्ज़िन या इमाम को रहने के लिए दे दिया अगर उन को मालूम है तो उस में रहना मकरूह व ममनूअ् है यूँहीं मस्जिद पर जो मकान इस लिए वक़्फ़ है कि उन का किराया मस्जिद में सर्फ़ होगा यह मकान भी इमाम व मुअज़्ज़िन को रहने के लिए नहीं दे सकता और दे दिया तो उन क रहना मनअ् है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अगर मस्जिद के लिए चटाई, जा नमाज़, तेल, वग़ैरा ख़रीदा अगर वाक़िफ़ ने मुतवल्ली को यह सब इख़्तियार दिए हों या कह दिया हो कि मस्जिद की मसलिहत के लिए जो चाहो ख़रीदो या मालूम न हो कि मुतवल्ली को ऐसी इजाज़त दी है मगर इस से पहला मुतवल्ली यह चीज़ें ख़रीदता था तो इस का ख़रीदना जाइज़ है और अगर मालूम है कि सिर्फ़ इमारत के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तियार दिया है तो ख़रीदना नाजाइज़ है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद बनाई और कुछ सामान लकड़ियाँ ईंटें वग़ैरा बच गईं तो यह चीज़ें इमारत ही में सर्फ़ की जायें उन को फ़रोख़्त कर के तेल, चटाई में सर्फ़ नहीं कर सकते (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए चन्दा किया और उस में से कुछ रक़म अपने सर्फ़ में लाया अगर्चे यही ख़याल है कि उस का मुआवज़ा अपने पास से देदेगा जब भी ख़र्च करना नाजाइज़ है फिर अगर मालूम है कि किस ने वह रुपया दिया था तो उसे तावान दे या उस से इजाज़त लेकर मस्जिद में तावान सर्फ़ करे और मालूम न हो किसने दिया था तो क़ाज़ी के हुक्म से मस्जिद में तावान सर्फ़ करे और ख़ुद बग़ैर इज़्ने क़ाज़ी मस्जिद में उस तावान को सर्फ़ कर दिया तो उम्मीद है कि इस के वबाल से बच जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद या मदरसा पर कोई जाइदाद वक़्फ़ की और हुनूज़ वह मस्जिद या मदरसा मौजूद भी नहीं मगर उस के लिए जगह तजवीज़ कर ली है तो वक़्फ़ सहीह है और जब तक उस की तअ्मीर न हो वक़्फ़ की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये और जब बन जाये तो फिर उस पर सर्फ़ हो (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए मकान या कोई चीज़ हिबा की तो हिबा सहीह है और मुतवल्ली का क़ब्ज़ा दिलादेने से हिबा तमाम हो जायेगा और अगर कहा यह सौ रुपये मस्जिद के लिए वक़्फ़ किए तो यह भी हिबा है बग़ैर क़ब्ज़ा हिबा तमाम नहीं होगा यूँही दरख़्त मस्जिद को दिया तो इस में भी क़ब्ज़ा ज़रूरी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुअज़्ज़िन व जारूब कश वग़ैरा को मुतवल्ली उसी तनख़्वाह पर नौकर रख सकता है

जो वाजिबी तौर पर होनी चाहिए और अगर इतनी ज़्यादा(तन्ख़्वाह)मुक़र्रर की जो दूसरे लोग न देते तो माले वक़्फ़ से इस तनख़्वाह का अदा करना जाइज़ नहीं और देगा तो तावान देना पड़ेगा बल्कि अगर मुअज़्ज़िन वग़ैरा को मालूम है कि माले वक़्फ़ से यह तन्ख़्वाह देता है तो लेना भी जाइज़ नहीं। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– मुतवल्ली मस्जिद बे पढ़ा शख़्स है उस ने हिसाब किताब के लिए एक शख़्स को नौकर रखा तो माले वक़्फ़ से उस को तन्ख़्वाह देना जाइज़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद की आमदनी से दुकान या मकान ख़रीदना कि उसकी आमदनी मस्जिद में सर्फ़ होगी और ज़रूरत होगी तो बैअ् (बेच)कर दिया जायेगा यह जाइज़ है जब कि मुतवल्ली के लिए उस की इजाज़त हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए औक़ाफ़ हैं मगर कोई मुतवल्ली नहीं अहले महल्ला में से एक शख़्स उस की देख भाल और काम करने के लिए खड़ा हो गया और उस वक़्फ़ की आमदनी को ज़रूरियाते मस्जिद में सर्फ़ किया तो दियानतन उस पर तावान नहीं (आलमगीरी)और ऐसी सूरत का हुक्म यह है कि क़ाज़ी के पास दर ख़्वास्त दें वह मुतवल्ली मुक़र्रर कर देगा मगर चूँकि आजकल यहाँ इस्लामी सलतनत नहीं और न क़ाज़ी है इस मजबूरी की वजह से अगर ख़ुद अहले महल्ला किसी को मुन्तख़ब कर लें कि वह ज़रूरियाते मस्जिद को अन्जाम दे तो जाइज़ है क्योंकि ऐसा न करने में वक़्फ़ के ज़ाइअ् होने का अन्देशा है।

मसअ्ला :– मस्जिद का मुतवल्ली मौजूद हो तो अहले महल्ला को औक़ाफ़े मस्जिद में तसर्रुफ़ करना मसलन दुकानात वग़ैरा को किराये पर देना जाइज़ नहीं मगर उन्होंने ऐसा कर लिया और मस्जिद के मसालेह के लिहाज़ से यही बेहतर था तो हाकिम उन के तसर्रुफ़ को नाफ़िज़ कर देगा(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के औक़ाफ़ बेचकर उस की इमारत पर सर्फ़ कर देना जाइज़ है और वक़्फ़ की आमदनी से कोई मकान ख़रीदा था तो उसे बेच सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के नाम एक ज़मीन वक़्फ़ थी और वह अब काश्त के क़ाबिल न रही यानी उस से आमदनी नहीं होती किसी ने उस में तालाब खुदवालिया कि आम्मए मुस्लिमीन इस से फ़ायदा उठायें उस का यह फ़ेअ्ल नाजाइज़ है और उस तालाब में नहाना और धोना और उस के पानी से फ़ायदा उठाना नाजाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमानों पर कोई हादसा आ पड़ा जिस में रुपया ख़र्च करने की ज़रूरत है और उस वक़्त रुपया की कोई सबील नहीं है मगर औक़ाफ़ मस्जिद की आमदनी जमअ् है और मस्जिद को उस वक़्त हाजत भी नहीं तो बतौर क़र्ज़ मस्जिद से रक़म ली जा सकती है। (आलमगीरी)

क़ब्रिस्तान वग़ैरा का बयान

मसअ्ला :– क़बरों के लिए ज़मीन वक़्फ़ की तो वक़्फ़ सहीह है और असह यह है कि वक़्फ़ करने से ही वाक़िफ़ की मिल्क से ख़ारिज हो गई अगर्चे न अभी मुर्दा दफ़न किया हो और न अपने क़ब्ज़ा से निकालकर दूसरे को क़ब्ज़ा दिलाया हो।

मसअ्ला :– ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ की और उस में बड़े बड़े दरख़्त हैं तो दरख़्त वक़्फ़ में दाख़िल नहीं वाक़िफ़ या उस के वुरसा की मिल्क है यूँहीं उस ज़मीन में इमारत है तो यह भी वक़्फ़

में दाखिल नहीं। (खानिया)

मसअला :— गाँव वालों ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक़्फ़ की और मुर्दे भी उस में दफ़न किए उसी गाँव के किसी शख़्स ने उस ज़मीन में इसलिए मकान बनाया कि तख़्ते वग़ैरा कब्रिस्तान के ज़रूरियात उस में रखे जायेंगे और वहाँ हिफ़ाज़त के लिए किसी को मुक़र्रर कर दिया अगर यह सब काम तन्हा उसी ने दूसरों के बग़ैर मरज़ी किए या बाज़ दूसरे भी राज़ी थे तो अगर कब्रिस्तान में वुसअत है तो कोई हर्ज नहीं यानी जब कि यह मकान कब्रिस्तान पर न बनाया हो और मकान बनने के बाद अगर इस ज़मीन की मुर्दा दफ़न करने के लिए ज़रूरत पड़ गई तो इमारत उठवा दीजाये (खानिया)

मसअला :— वक़्फ़ी कब्रिरस्तान में जिस तरह ग़रीब लोग अपने मुर्दे दफ़न कर सकते हैं मालदार भी दफ़न कर सकते हैं उस में फ़ुक़रा की तख़सीस नहीं। (तबईन)

मसअला :— कुफ़्फ़ार का कब्रिस्तान है उसे मुसलमान अपना कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं अगर उन के निशानात मिट चुके हैं हड्डियाँ भी गल गई हैं तो हर्ज नहीं और अगर हड्डियाँ बाक़ी हैं तो खोद कर फेंक दें और अब उसे कब्रिस्तान बना सकते हैं (आलमगीरी)

मसअला :— मुसलमानों का कब्रिस्तान है जिस में क़ब्र के निशान भी मिट चुके हैं हड्डियों का भी पता नहीं जब भी उस को खेत बनाना या उस में मकान बनाना नाजाइज़ है और अब भी वह कब्रिस्तान ही है कब्रिस्तान के तमाम आदाब बजा लाये जायें (आलमगीरी)

मसअला :— कब्रिस्तान में किसी ने अपने लिए क़ब्र खुदवा रखी है अगर कब्रिस्तान में जगह मौजूद है तो दूसरे को उस क़ब्र में दफ़न करना न चाहिए और जगह मौजूद न हो तो दूसरे लोग अपना मुर्दा उस में दफ़न कर सकते हैं बाज़ लोग मस्जिद में जगह घेरने के लिए पहले से रुमाल रख देते हैं या मुसल्ला बिछा देते हैं अगर मस्जिद में जगह हो तो दूसरे का रुमाल या जानमाज़ हटा कर बैठना न चाहिए अगर जगह न हो तो बैठ सकता है (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ)

मसअला :— ज़मीने ममलूक (ऐसी ज़मीन जिस का मालिक हो) में बग़ैर इजाज़ते मालिक किसी ने मुर्दा दफ़न कर दिया तो मालिके ज़मीन को इख़्तियार है कि मुर्दा को निकलवादे या ज़मीन बराबर कर के खेती करे। (खानिया)

मसअला :— कब्रिस्तान में किसी ने दरख़्त लगाये तो कब्रिस्तान के क़रार पायेंगे यानी क़ाज़ी के हुक्म से बेचकर उसी कब्रिस्तान की दुरुस्ती में सर्फ़ किया जाये (आलमगीरी)

मसअला :— मस्जिद में किसी ने दरख़्त लगाये तो दरख़्त मस्जिद का है लगाने वाले का नहीं और ज़मीने मौक़ूफ़ा (वक़्फ़ की ज़मीन) में किसी ने दरख़्त लगाये अगर यह शख़्स उस ज़मीन की निगरानी के लिए मुक़र्रर है या वाक़िफ़ ने दरख़्त लगाया या वक़्फ़ का माल उस पर सर्फ़ किया या अपना ही माल सर्फ़ किया मगर कह दिया कि वक़्फ़ के लिए यह दरख़्त लगाया तो इन सूरतों में वक़्फ़ का है वरना लगाने वाले का दरख़्त काट डाले जड़ें बाक़ी रह गईं इन जड़ों से फिर दरख़्त निकल आया तो यह उसी की मिल्क है जिस की मिल्क में पहला था। (खानिया, फ़तहुल क़दीर, आलमगीरी)

मसअला :— वक़्फ़ी ज़मीन किराये पर ली और उस में दरख़्त भी लगादिए तो दरख़्त उसी के हैं उस के

बाद उस के वुरसा के और इजारा फ़स्ख़ होने पर उस को अपना दरख़्त निकाल लेना होगा। (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद में अनार या अमरुद वग़ैरा फलदार दरख़्त हैं मुसल्लियों को उस के फल खाना जाइज़ नहीं बल्कि जिस ने बोया है वह भी नहीं खा सकता कि दरख़्त उसका नहीं बल्कि मस्जिद का है फिर बेचकर मस्जिद पर सर्फ़ किया जाये (ख़ानिया)

मसअला :– मुसाफ़िर ख़ाना में फलदार दरख़्त हैं अगर ऐसे दरख़्त हों जिन के फलों की क़ीमत नहीं होती तो मुसाफ़िर खा सकते हैं और क़ीमत वाले फल हों तो एहतियात यह है कि न खायें (आ़लमगीरी)यह सब उस सूरत में है कि मा़लूम न हो कि दरख़्त लगाने वाले की क्या नियत थी या मा़लूम हो कि मस्जिद या मुसाफ़िर ख़ाना के लिए लगाया है और अगर मा़लूम हो कि आ़म मुसलमानों के खाने के लिए लगाया है तो जिसका जी चाहे खाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वक़्फ़ी मकान में वक़्फ़ी दरख़्त हो तो दरख़्त बेचकर मकान की मरम्मत में लगाना जाइज़ नहीं बल्कि मकान की मरम्मत ख़ुद उस मकान के किराये से होगी(रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– वक़्फ़ी मकान में फलदार दरख़्त हों तो किराया दार को उस के फल खाना जाइज़ नहीं जब कि वक़्फ़ के लिए दरख़्त लगाये हों या दरख़्त लगाने वाले की नियत मा़लूम न हो (बहर्रराइक़)

मसअला :– वक़्फ़ी दरख़्त का कुछ हिस्सा ख़ुश्क हो गया कुछ बाक़ी है तो ख़ुश्क को उस मसरफ़ में ख़र्च करे जहाँ उस की आ़मदनी ख़र्च होती है (बहर)

मसअला :– सड़क और गुज़रगाह पर दरख़्त इस लिए लगाये गये कि राहगीर इस से फ़ाइदा उठायें तो यह लोग उन के फल खा सकते हैं और अमीर और ग़रीब दोनों खा सकते हैं यूँहीं जंगल और रास्ते में जो पानी रखा हो या सबील का पानी है हर एक पी सकता है जनाज़ा की चारपाई अमीर व ग़रीब दोनों काम में ला सकते हैं और क़ुर्आन मजीद में हर शख़्स तिलावत कर सकता है(ख़ानिया)

मसअला :– कुँए के पानी की रोक टोक नहीं ख़ुद भी पी सकते हैं जानवर को भी पिला सकते हैं पानी पीने के लिए सबील लगाई है तो इस से वुज़ू नहीं कर सकते अगर्चे कितना ही ज़्यादा हो और वुज़ू के लिए वक़्फ़ हो तो उसे पी नहीं सकते (आ़लमगीरी)

मसअला :– एक मकान क़ब्रिस्तान पर वक़्फ़ है या मकान मुनहदिम होकर खन्डहर हो गया और किसी काम का न रहा फिर किसी शख़्स ने अपने माल से इस जगह में मकान अपना बनाया तो सिर्फ़ इमारत उस की है ज़मीन का मालिक नहीं (रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– ह़ाजियों के ठहरने के लिए मकान वक़्फ़ किया है तो दूसरे लोग उस में नहीं ठहर सकते और ह़ज का मौसम ख़त्म होने के बा़द किराये पर दिया जाये और उस की आमदनी मरम्मत में ख़र्च की जाये इस से बच जाये तो मसाकीन पर सर्फ़ कर दी जाये (आ़लमगीरी)

मसअला :– ज़मीन ख़रीद कर रास्ते के लिए वक़्फ़ कर दी कि लोग चलेंगे या सड़क बनवा दी यह वक़्फ़ सही़ह है उस के वुरसा दअ़्वा नहीं कर सकते यूँहीं पुल बना कर वक़्फ़ किया तो यह पुल की इमारत वक़्फ़ है (ख़ानिया)

वक़्फ़ में शराइत का बयान

वाकिफ़ (वक़्फ़ करने वाले) को इख़्तियार है जिस किस्म की चाहे वक़्फ़ में शर्त लगाये और जो शर्त लगायेगा उस का एअ्तिबार होगा हाँ ऐसी शर्त लगाई जो ख़िलाफ़े शरअ् है तो यह शर्त बातिल है और इसका एअ्तिबार नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्द जगहों में वाकिफ़ की शर्त का एअ्तिबार नहीं बल्कि उस के ख़िलाफ़ अमल किया जायेगा मसलन उस ने यह शर्त लिख दी कि जाइदाद अगर्चे बेकार हो जाये उस का तबादिला न किया जाये तो अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़) न रहे तबादिला किया जायेगा और शर्त का लिहाज़ नहीं किया जायेगा या यह शर्त है कि मुतवल्ली को क़ाज़ी मअ्ज़ूल नहीं कर सकता या वक़्फ़ में क़ाज़ी वग़ैरा कोई मुदाख़लत न करे कोई उस की निगरानी न करे यह शर्त भी बातिल है कि ना अहल को क़ाज़ी ज़रूर मअ्ज़ूल कर देगा वक़्फ़ की क़ाज़ी की तरफ़ से निगरानी ज़रूर होगी या यह शर्त है कि वक़्फ़ की ज़मीन या मकान एक साल से ज़्यादा के लिए किसी को किराया पर न दिया जाये और एक साल के लिए किराये पर कोई लेता नहीं ज़्यादा दिनों के लिए लोग माँगते हैं या एक साल के लिए दिया जाये तो किराये की शरह कम मिलती है और ज़्यादा दिनों के लिए दिया जाये तो ज़्यादा शरह से मिलेगा तो क़ाज़ी को जाइज़ है वाक़िफ़ की शर्त की पाबन्दी न करे मगर मुतवल्ली शर्त के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता या यह शर्त की कि उस की आमदनी फ़ुलाँ मस्जिद के साइल को दी जाये तो मुतवल्ली दूसरे मस्जिद के साइल को या बेरुने मस्जिद जो साइल हैं उन को या ग़ैर साइल को भी दे सकता है या यह शर्त की कि हर रोज़ फ़क़ीरों को इस क़द्र रोटी गोश्त दिया जाये तो रोटी गोश्त की जगह कीमत भी दे सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान वक़्फ़ किया यूँ कि फ़ुलाँ शख़्स को उसकी आमदनी दीजाये और यह शर्त की कि मरम्मत ख़ुद मौक़ूफ़ अ़लैहि के ज़िम्मे है तो वक़्फ़ सहीह है और शर्त सहीह नहीं कि मरम्मत उसके ज़िम्मे नहीं बल्कि आमदनी से की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि जब तक मैं ज़िन्दा रहूँ कुल आमदनी या उसके इतने जुज़ का मैं मुस्तहक़ हूँ और मेरे बाद फ़ुक़रा को मिले या यह शर्त कि आमदनी से मेरा क़र्ज़ अदा किया जाये फिर फ़ुक़रा को या यह कि मेरी ज़िन्दगी तक मैं लूँगा फिर क़र्ज़ अदा होगा फिर फ़ुक़रा को यह सब सूरतें जाइज़ हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :–फ़क़त इतना ही कहा कि अल्लाह के लिए यह सदक़ा मौक़ूफ़ा है इस शर्त पर कि जब तक मैं ज़िन्दा हूँ आमदनी मैं लूँगा तो वक़्फ़ सहीह है कि अगर्चे उस में ताबीद(हमेशगी की शर्त) नहीं है न फ़ुक़रा का ज़िक्र है मगर लफ़्ज़ सदक़ा से ताबीद और बाद में फ़ुक़रा ही के लिए होना समझा जाता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने अपने लिए शर्त की कि उसकी आमदनी मैं ख़ुद भी खाऊँगा और दोस्त अहबाब मेहमानों को भी खिलाऊँगा इस से जो बचे फ़ुक़रा के लिए है और इसी तरह अपनी औलाद के लिए नसलन बाद नसलिन यही शर्त लगाई तो वक़्फ़ व शर्त दोनों जाइज़ (आलमगीरी)

मसअला :– यह शर्त की है कि अपने ऊपर और अपनी औलाद व ख़ुद्दाम पर ख़र्च करूँगा और वक़्फ़ का गल्ला आया उसे बेचडाला और समन पर क़ब्ज़ा भी कर लिया मगर ख़र्च करने से पहले मर गया तो यह रक़म तरका है वारिसों का हक़ है फ़ुक़रा और वक़्फ़ वालों का हक़ नहीं।(फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– वक़्फ़ में यह शर्त की कि फुलाँ वारिस को वक़्फ़ की आमदनी से बक़द्र किफ़ायत दिया जाये तो जब तक यह तन्हा है तन्हा के लाइक़ मसारिफ़ दिये जायें और जब बाल बच्चों वाला हो जाये तो इतना दिया जाये कि सब के लिए काफ़ी हो कि इन सब के मसारिफ़ उसी के साथ शुमार होंगे(आलमगीरी)

वक़्फ़ में तबादले की शर्त

मसअला :– वाक़िफ़ जायदादे मौक़ूफ़ा के तबादिले की शर्त लगा सकता है कि मैं या फुलाँ शख़्स जब मुनासिब जानेंगे उस को दूसरी जाइदाद से बदल देंगे इस सूरत में यह दूसरी जाइदाद उस मौक़ूफ़ा के क़ाइम मक़ाम होगी और तमाम वह शराइत जो वक़्फ़ नामा में थे वह सब इस में जारी होंगे अगर्चे वक़्फ़ नामा में यह न हो कि बदलने के बाद दूसरी पहली के क़ाइम मक़ाम होगी और उस के तमाम शराइत उस में जारी होंगे (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– तबादिले की शर्त वक़्फ़ नामा में थी इस बिना पर तबादिला कर लिया तो अब दोबारा इस जायदाद के बदलने का हक़ नहीं है हाँ अगर शर्त के ऐसे अल्फ़ाज़ हों जिन से उमूम समझा जाता है मसलन मैं जब कभी चाहूँगा तबादिला कर लिया करूँगा तो एक बार के तबादिले से हक़ साक़ित नहीं होगा (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त की कि मैं जब चाहूँगा उसे बेच डालूँगा या जितने दामों में चाहूँगा बेच डालूँगा या बेचकर उस समन से ग़ुलाम ख़रीदूँगा तो इस सब सूरतों में वक़्फ़ ही बातिल है (ख़ानिया)

मसअला :– यह शर्त है कि मुतवल्ली को इख़्तियार है जब चाहे इस जायदाद को बेच डाले और उस के दामों से दूसरी ज़मीन ख़रीद ले तो यह शर्त जाइज़ है और एक दफ़अ़ तबादिला का हक़ हासिल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वक़्फ़ में सिर्फ़ तबादिला मज़कूर है यह नहीं कि मकान या ज़मीन से तबादिला करूँगा तो इख़्तियार है मकान से तबादिला करे या ज़मीन से और अगर मकान का लफ़्ज़ है तो ज़मीन से तबादिला नहीं कर सकता और ज़मीन है तो मकान से नहीं हो सकता और अगर यह ज़िक्र न हो कि फुलाँ जगह की जाइदाद से तबादिला करूँगा तो जहाँ की जायदाद से चाहे तबादिला कर सकता है और मुअ़य्यन कर दिया है तो वहीं की जाइदाद से तबादिला हो सकता है दूसरी जगह की जाइदाद से नहीं। (आलमगीरी, ख़ानिया फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– वक़्फ़ी मकान को दूसरे मकान से बदलना उस वक़्त जाइज़ है कि दोनों मकान एक ही महल्ला में हों या वह महल्ला इस से बेहतर हो अक्स हो यानी यह उस से बेहतर है तो नाजाइज़ है([illegible])

मसअला :– यह शर्त थी कि मैं तबादिला करूँगा और ख़ुद न किया बल्कि वकील से कराया तो भी जाइज़ है और मरते वक़्त वसियत कर गया तो वसी तबादिला कर सकता है और अगर यह शर्त थी कि मैं और फुलाँ शख़्स मिल कर ताबादिला करेंगे तो तन्हा वह शख़्स तबादिला नहीं कर सकता और यह तन्हा कर सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– अगर वक़्फ़ नामा में यह हो कि जो कोई इस वक़्फ़ का मुतवल्ली हो वह तबादिला कर सकता है तो हर एक मुतवल्ली को यह इख़्तियार हासिल रहेगा और अगर वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी कि फुलाँ शख़्स को उस के तबादिले का इख़्तियार है तो वाक़िफ़ की ज़िन्दगी तक उस को इख़्तियार है बाद में नहीं हाँ अगर यह मज़कूर है कि मेरी वफ़ात के बाद भी उसे इख़्तियार है तो बाद में भी रहेगा (ख़ानिया)

मसअला :– मुतवल्ली को तबादिले का इख़्तियार उसी वक़्त हासिल होगा कि मुतवल्ली के लिए तबादिले की तसरीह हो और अगर मुतवल्ली के लिए तबादिले की शर्त मज़कूर है और ख़ुद वाक़िफ़ ने अपने लिए ज़िक्र नहीं की जब भी वाक़िफ़ तबादिला कर सकता है (फ़तहुलक़दीर)

मसअला :– समन से बैअ़ की इजाज़त हो और इतनी कम क़ीमत पर बैअ़ (बेची) की कि और लोग ऐसी चीज़ इतनी क़ीमत पर नहीं बेचते तो बैअ़ बातिल है और अगर वाजिबी क़ीमत पर बैअ़ हुई या कुछ ख़फ़ीफ़ कमी है तो बैअ़ जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन बेचडाली और समन पर क़ब्ज़ा कर लिया उस के बाद मर गया और समन की निस्बत बयान नहीं किया कि क्या हुआ तो यह समन उस पर दैन है उस के तरके से वुसूल करेंगे यूँहीं अगर मालूम है कि उसने हलाक कर दिया जब भी दैन है और अगर उस ने ख़ुद नहीं हलाक किया है बल्कि उस के पास से ज़ाइअ़ हो गया तो तावान नहीं और अब वक़्फ़ बातिल हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ को बैअ़ किया (बेच दिया) था मगर किसी वजह से बैअ़ जाती रही तो दो बारा फिर बैअ़ कर सकता है और अगर फिर उसी ने उसे ख़रीद लिया तो दोबारा बैअ़ नहीं कर सकता मगर जब कि उ़मूम के साथ तबादिले का इख़्तियार हो तो दो बारा भी कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन बैअ़ कर डाली और समन से दूसरी ज़मीन ख़रीदी मगर जो ज़मीन बैअ़ की थी उस में कोई ऐ़ब ज़ाहिर हुआ जिस की वजह से क़ाज़ी ने वापस करने का हुक्म दिया तो यह बदस्तूर वक़्फ़ है और जो दूसरी ज़मीन ख़रीदी थी वह वक़्फ़ नहीं उसे जो चाहे करे और अगर क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म नहीं दिया था बल्कि उस ने ख़ुद मरज़ी से वापस कर ली तो यह वक़्फ़ नहीं है बल्कि उस की मिल्क है और वक़्फ़ी ज़मीन वही है जो उसे बेचकर ख़रीदी थी (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन को किसी ने ग़सब कर लिया और ग़ासिब ही के हाथ में ज़मीन थी कि दरिया बुर्द (दरिया में ग़र्क़) हो गई और ग़ासिब से तावान लिया गया तो इस रुपये से दूसरी ज़मीन ख़रीदी जायेगी और ज़मीन वक़्फ़ क़रार पायेगी और उस वक़्फ़ में तमाम वह शराइत मलहूज़(मान्य) होंगे जो पहली में थे (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ को किसी ने ग़सब कर लिया है और उस के पास गवाह नहीं कि वक़्फ़ का साबित करे और ग़ासिब उस के मुआवज़ा में रुपया देने को तैयार है तो रुपया लेकर दसूरी ज़मीन ख़रीद कर वक़्फ़ के क़ाइम मक़ाम कर दें (रद्दुल मुहतार)

वक़्फ़ में तबादिले का ज़िक्र न हो तो तबादिले की क्या शर्तें हैं

मसअला :– वाक़िफ़ ने वक़्फ़ में इस्तिबदाल को ज़िक्र नहीं किया या अदमे इस्तिबदाल(न बदलने)को ज़िक्र कर दिया है मगर वक़्फ़ बिल्कुल क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़) न रहा यानी इतनी भी आमदनी नहीं होती जो वक़्फ़ के मसारिफ़ के लिए काफ़ी हो तो ऐसे वक़्फ़ का तबादिला जाइज़ है मगर उस के लिए चन्द शर्तें हैं (1) ग़बने फ़ाहिश के साथ बैअ् न हो (2)तबादिला करने वाला क़ाज़ी आलिमे बा अमल हो जिस के तसर्रुफ़ात की निस्बत लोगों को इत्मीनान हो सके(3)तबादिला ग़ैर मन्क़ूल से हो रुपये अशरफ़ी से न हो (4)ऐसे से तबादिला न करे जिसकी शहादत उस के हक़ में ना मक़बूल हों(5)ऐसे शख़्स से तबादिला न करे जिस का उस पर दैन हो (6) दोनों जाइदादें एक ही महल्ला में हों या वह ऐसे महल्ला में हो कि इस महल्ला से बेहतर है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़)है यानी उस की अमदनी ऐसी है कि मसारिफ़ से बच रहती है और उस के बदले में ऐसी ज़मीन मिलती है जिस का नफ़अ् ज़्यादा है तो जब तक वाक़िफ़ ने तबादिले की शर्त न की हो तबादिला न करें (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ नामा में पहले यह लिखा कि मैंने इसे वक़्फ़ किया इस को न बैअ् (बेचना)किया जाये न हिबा (देना)किया जाये वग़ैरा वग़ैरा फिर आख़िर में यह लिखा कि मुतवल्ली को यह इख़्तियार है कि उसे बेचकर दूसरी ज़मीन ख़रीद कर उस की जगह पर वक़्फ़ कर दे तो अगर्चे पहले लिख चुका है कि बैअ् न की जाये मगर उस की बैअ् जाइज़ है कि आख़िर कलाम अव्वल कलाम का नासिख़ (ख़त्म करने वाला) या मोज़ेह (वज़ाहत करने वाला)है और अगर अक्स किया यानी पहले तो यह लिखा कि मुतवल्ली को बैअ् व इस्तिब्दाल का इख़्तियार है मगर आख़िर में लिख दिया कि बैअ् न की जाये तो अब बदलना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी है जब तक मैं ज़िन्दा हूँ मुतवल्ली को उस के तबादिले का इख़्तियार है तो वाक़िफ़ के इन्तिक़ाल के बाद तबादिला नहीं हो सकता (बहरुर्राइक़)

मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त की कि उस की आमदनी सर्फ़ करने का मुझे इख़्तियार है मैं जहाँ चाहूँगा सर्फ़ करूँगा तो शर्त जाइज़ है और उसे इख़्तियार है कि मसाकीन को दे या उस से हज कराये या किसी मालदार शख़्स को दे डाले (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ में यह शर्त है कि अगर मैं चाहूँगा इसे बेचकर दूसरी ज़मीन ख़रीदूँगा यह लफ़्ज़ नहीं है कि ख़रीद कर उस की जगह पर कर दूँगा इस शर्त के साथ भी वक़्फ़ सहीह है अगर ज़मीन बेचेगा तो ज़रे समन उस के क़ाइम मक़ाम होगा फिर जब दूसरी ज़मीन ख़रीदेगा तो वह पहली के क़ाइम मक़ाम हो जायेगी (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी जायदाद औलाद पर वक़्फ़ की और यह शर्त कर दी कि जो कोई मज़हब इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुन्तक़िल हो जायेगा वह वक़्फ़ से ख़ारिज होगा तो इस शर्त की पाबन्दी होगी और फ़र्ज़ करो एक ने दूसरे पर दअ्वा किया कि उस ने मज़हबे हन्फ़ी

से खुरूज किया और मुद्दआ अलैहि इन्कार करता है तो मुद्दआ को गवाहों से साबित करना होगा और गवाहों से साबित न कर सके तो मुद्दआ अलैहि का कौल मोअतबर है और अगर यह शर्त है जो मजहबे अहले सुन्नत से खारिज हो वह वक्फ से खारिज और उन में कोई राफिज़ी, खारजी, वहाबी वगैरा हो गया तो वक्फ से निकल गया यूँही अगर खुल्लम खुल्ला मुर्तद हो गया जब भी खारिज है अगर तौबा कर के फिर मजहबे अहले सुन्नत को कबूल किया तो अब भी वक्फ से महरूम ही रहेगा हाँ अगर वाकिफ ने यह शर्त कर दी हो कि अगर ताइब होकर मजहबे अहले सुन्नत को कबूल करे तो वक्फ की आमदनी का मुस्तहक हो जायेगा तो अब उसे मिलेगा (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औलाद पर जाइदाद वक्फ की और शर्त यह की कि जिस को चाहूँगा वक्फ से ख़ारिज करूँगा तो बमूजिब शर्त (शर्त के मुताबिक)ख़ारिज कर सकता है ख़ारिज करने के बाद फिर दाख़िल करना चाहे तो दाख़िल नहीं कर सकता यूँहीं यह शर्त की कि जिस को चाहूँगा हिस्सा ज्यादा दूँगा तो शर्त के मुवाफ़िक बाज़ को बाज से ज्यादा दे सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ नामा में दो शर्तें मुतआरिज(टकरायें)हों तो आख़िर वाली शर्त पर अमल होगा(रद्दुलमुहतार)

तौलियत (मुतवल्ली बनाने) का बयान

मसअला :– जो शख़्स औकाफ़ की तौलियत की दरख़्वास्त करे ऐसे को मुतवल्ली नहीं बनाना चाहिए और मुतवल्ली ऐसे को मुकर्रर करना चाहिए जो अमानत दार हो और वक्फ के काम करने पर कादिर हो ख़्वाह खुद ही काम करे या अपने नाइब से कराये और मुतवल्ली होने के लिए आकिल बालिग़ होना शर्त है (फतहुलकदीर रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वाकिफ़ ने वसियत की कि मेरे बाद मेरा लड़का मुतवल्ली होगा और वाकिफ के मरने के वक्त लड़का नाबालिग़ है तो जब तक नाबालिग है दूसरे शख़्स को मुतवल्ली किया जाये और बालिग होने पर लड़के को तौलियत दी जायेगी और अगर अपनी तमाम औलादों के लिए तौलियत की वसियत की है और उन में कोई नाबालिग़ भी है तो नाबालिग के काइम मकाम बालिगों में से किसी को या किसी दूसरे को काज़ी मुकर्रर कर दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को भी मुतवल्ली कर सकते हैं और नाबीना को भी और महदूद फिलकजाफ (जिस पर कजफ की हद लगी हो)ने तौबा कर ली हो तो उसे भी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वाकिफ़ ने यह शर्त की है वक़्फ़ का मुतवल्ली मेरी औलाद में से उस को किया जाये जो सब में होशियार, नेकोकार हो तो शर्त का लिहाज रखते हुऐ मुतवल्ली मुकर्रर किया जाये उस के ख़िलाफ मुतवल्ली करना सहीह नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सूरते मज़कूरा में उस की औलाद में जो सब में बेहतर था वह फासिक हो गया तो मुतवल्ली वह होगा जो उस के बाद सब में बेहतर है यूँहीं अगर उस अफजल ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो जो उस के बाद बेहतर है वह मुतवल्ली होगा और अगर सब ही अच्छे हों तो जो बड़ा है वह होगा अगर्चे वह औरत हो अगर उस की औलाद में सब ना अहल हों तो किसी अजनबी काज़ी मुतवल्ली मुकर्रर करेगा उस वक्त तक के लिए कि उन में का कोई अहल हो जाये (बहरुर्राइक)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में सब से बेहतर को काज़ी ने मुतवल्ली कर दिया उस के बाद दूसरा इस से भी बेहतर हुआ तो अब यह मुतवल्ली होगा और अगर उसकी औलादें नेकी में यकसाँ हैं तो वक़्फ़ का काम जो सब से अच्छा कर सके उस को मुतवल्ली किया जाये और अगर एक ज़्यादा परहेज़ गार है दूसरा कम मगर यह दूसरा वक़्फ़ के काम को पहले की बनिस्बत ज़्यादा जानता हो तो उसी को मुतवल्ली किया जाये जबकि उस की तरफ़ से ख़ियानत का अंदेशा न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली कर रखा है तो उस में भी उन सिफ़ात का होना ज़रूरी है जो दूसरे मुतवल्ली में ज़रूरी हैं यानी जिन वुजूह से मुतवल्ली को मअ्ज़ूल कर दिया जाता है अगर वह वुजूह खुद उस में पाई जायें तो उसे भी मअ्ज़ूल कर देना ज़रूरी होगा इस बात का ख़याल हरगिज़ नहीं किया जायेगा कि यह तो खुद ही वाक़िफ़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुतवल्ली अगर अमीन न हो ख़ियानत करता हो या काम करने से आजिज़ है या अलानिया (खुल्लम खुल्ला) शराब पीता, जुआ खेलता या कोई दूसरा फ़िस्क़ अलानिया करता हो या उसे कीमिया बनाने की धत हो तो उस को मअ्ज़ूल कर देना वाजिब है कि अगर काज़ी ने उस को मअ्ज़ूल न किया तो काज़ी भी गुनहगार है और जिस में यह सिफ़ात पाये जाते हों उस को मुतवल्ली बनाना भी गुनाह है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली किया है और वक़्फ़ नामा में यह शर्त लिख दी है कि मुझे उस की तौलियत से जुदा नहीं किया जा सकता या मुझे काज़ी या बादशाहे इस्लाम भी मअ्ज़ूल नहीं कर सकते इस शर्त की पाबन्दी नहीं की जा सकती अगर ख़ियानत वग़ैरा वह उमूर ज़ाहिर हुए जिन से मुतवल्ली मअ्ज़ूल कर दिया जाता है तो यह भी मअ्ज़ूल कर दिया जायेगा यूँहीं वाक़िफ़ ने दूसरे को मुतवल्ली किया है और यह शर्त कर दी है कि उसे मैं मअ्ज़ूल नहीं कर सकता तो यह शर्त भी बातिल है यूँहीं एक शख़्स ने दूसरे को वसी किया है और शर्त कर दी है कि वसी यही रहेगा अगर्चे ख़ियानत करे तो इस वसी को ख़ियानत ज़ाहिर होने पर मअ्ज़ूल कर दिया जायेगा दुर्रे मुख़्तार (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने जिस को मुतवल्ली किया है वह जब तक ख़ियानत न करे काज़ी मअ्ज़ूल नहीं कर सकता और बिला वजह मअ्ज़ूल कर के काज़ी ने दूसरे को उसकी जगह मुतवल्ली कर दिया तो दूसरा मुतवल्ली नहीं होगा कि वह पहला बदस्तूर मुतवल्ली है और काज़ी ने मुतवल्ली मुक़र्रर किया हो तो बग़ैर ख़ियानत भी उसे मअ्ज़ूल किया जा सकता है काज़ी ने मुतवल्ली को मअ्ज़ूल कर दिया फिर काज़ी का इन्तिक़ाल हो गया या मअ्ज़ूल कर दिया गया उसकी जगह पर दूसरा काज़ी हुआ अब मुतवल्ली उस के पास दरख़्वास्त करता है कि मुझे बिला कुसूर जुदा कर दिया गया है तो काज़ी सानी (दूसरा काज़ी) फ़क़त उसके कहने पर अमल कर के मुतवल्ली न कर दे बल्कि उस से कह दे कि तुम साबित कर दो कि इस काम के अहल हो और काम को अच्छी तरह अन्जाम दे सकते हो अगर वह ऐसा साबित कर दे तो दूसरा काज़ी उसे फिर मुतवल्ली बना सकता है वाक़िफ़ को इख़्तियार है मुतवल्ली को मुतलक़न जुदा कर सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ को इख़्तियार है कि मुतवल्ली को मअ्ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे या खुद अपने आप मुतवल्ली बन जाये (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– वाकिफ़ ने किसी को मुतवल्ली नहीं किया है और क़ाज़ी ने मुकर्रर किया तो वाकिफ़ अब उस को जुदा नहीं कर सकता और मुतवल्ली मौजूद है ख़्वाह वाकिफ़ ने उसे मुकर्रर किया या क़ाज़ी ने तो बिला वजह क़ाज़ी भी दूसरा मुतवल्ली नहीं मुक़र्रर कर सकता (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़नामा में तौलियत(मुतवल्ली बनाने) के मुतअल्लिक़ कुछ मज़कूर(बयान)नहीं तो तौलियत का हक़ वाकिफ़ को है खुद भी मुतवल्ली हो सकता है और दूसरे को भी कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– एक वक़्फ़ के मुतअल्लिक़ दो वक़्फ़ नामे मिले एक में एक शख़्स को मुतवल्ली बनाना लिखा है और दूसरे में दूसरे शख़्स को अगर दोनों की तारीखें भी आगे पीछे हैं जब भी यह दोनों उस वक़्फ़ के मुतवल्ली हैं शिरकत में काम करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वाकिफ़ ने किसी को मुतवल्ली नहीं किया और मरते वक़्त किसी को वसी किया तो यही शख़्स वसी भी है और औक़ाफ़ का निगराँ भी और अगर ख़ास वक़्फ़ के मुतअल्लिक़ उसे वसी किया है तो अलावा वक़्फ़ के दूसरी चीज़ों में भी वह वसी है (आलमगीरी)

मसअला :– दो ज़मीनें वक़्फ़ कीं और हर एक का मुतवल्ली अलाहिदा अलाहिदा दो शख़्सों को किया तो अलग अलग मुतवल्ली हैं आपस में शरीक नहीं और एक शख़्स को मुतवल्ली किया उस के बाद दूसरे को वसी किया तो यह भी तौलियत में मुतवल्ली का शरीक है हाँ अगर वाकिफ़ ने यह कहा हो कि उस को मैंने अपने औक़ाफ़ का मुतवल्ली किया है और उस को अपने तरकात और दीगर उमूर का वसी किया है तो हर एक अपने अपने काम में मुन्फ़रिद होगा (ख़ुलासतुल फ़तावा)

मसअला :– वाकिफ़ ने अपनी ज़िन्दगी में किसी को औक़ाफ़ के काम सुपुर्द कर दिये हैं तो उस की ज़िन्दगी ही तक मुतवल्ली रहेगा मरने के बाद मुतवल्ली नहीं हाँ अगर यह कह दिया है कि मेरी ज़िन्दगी में और मरने के बाद के लिए भी मैंने तुझ को मुतवल्ली किया तो वाकिफ़ के मरने पर उसकी विलायत ख़त्म नहीं होगी। क़ाज़ी ने किसी को मुतवल्ली बनाया उस के बाद क़ाज़ी मर गया या मअ़ज़ूल हो गया तो उस की वजह से मुतवल्ली पर कुछ असर नहीं पड़ेगा वह बदस्तूर मुतवल्ली रहेगा (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों को मुतवल्ली किया तो उन में तन्हा एक शख़्स वक़्फ़ में कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जितने काम होंगे वह दोनों की मजमूई राए से अन्जाम पायेंगे और एक ने कोई काम कर लिया और दूसरे ने उस को जाइज़ कर दिया एक ने दूसरे को वकील कर दिया और उस ने इस काम को अन्जाम दिया तो जाइज़ है कि दोनों की शिरकत होगई (आलमगीरी)

मसअला :– एक वक़्फ़ के दो वसी थे उन में एक ने मरते वक़्त एक जमाअ़त को वसी किया तो यह जमाअ़त उस वसी के क़ाइम मक़ाम होगी और अगर उस ने मरते वक़्त दूसरे वसी को वसी किया तो अब तन्हा यही पूरे वक़्फ़ पर मुतसर्रिफ़ होगा (ख़ानिया)

मसअला :– वाकिफ़ ने एक को वसी कर दिया है और यह शर्त कर दी है कि वसी को वसी करने का इख़्तियार नहीं तो यह शर्त सहीह है इस वसी के बाद क़ाज़ी अपनी राए से किसी को मुतवल्ली मुकर्रर करेगा (आलमगीरी)

मसअला :– वाकिफ़ ने यह शर्त की कि उस का मुतवल्ली अ़ब्दुल्ला होगा और अ़ब्दुल्लाह के बाद

ज़ैद होगा मगर अब्दुल्ला ने अपने बाद के लिए अलावा ज़ैद के दूसरे को मुन्तख़ब किया तो ज़ैद ही मुतवल्ली होगा वह न होगा जिस को अब्दुल्ला ने मुन्तख़ब किया यूँही अगर वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि मेरी औलाद में जो ज़्यादा होशियार हो वह मुतवल्ली होगा अगर किसी मुतवल्ली ने अपने बाद अपने दामाद को मुतवल्ली किया जो वाकिफ़ की औलाद में नहीं तो यह मुतवल्ली नहीं होगा बल्कि वाकिफ़ की औलाद में जो मुस्तहक़ है वह होगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दो शख़्सों को वाकिफ़ ने मुतवल्ली किया है उन में एक ने क़बूल किया और दूसरे ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो क़ाज़ी अपनी राए से उस इन्कार करने वाले की जगह किसी को मुक़र्रर करेगा और यह भी हो सकता है कि जिस ने क़बूल किया क़ाज़ी उसी को तमाम व कमाल इख़्तियारात(पूरे इख़्तियारात) देदे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स को वसियत की कि इतनी जाइदाद ख़रीद कर फुलाँ काम के लिए वक़्फ़ कर देना तो यही शख़्स उस वक़्फ़ का मुतवल्ली भी होगा और अगर एक शख़्स को वक़्फ़ का मुतवल्ली बनाया फिर एक दूसरा वक़्फ़ किया जिस के लिए किसी को मुतवल्ली नहीं किया है तो पहला मुतवल्ली उस दूसरे वक़्फ़ का मुतवल्ली नहीं मगर जब कि उस शख़्स को वसी भी कर दिया हो तो दूसरे वक़्फ़ का भी मुतवल्ली है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने अपनी औलाद में से दो के लिए तौलियत रखी है और उस की औलाद में एक मर्द है और एक औरत तो यही दोनों मुतवल्ली होंगे और अगर वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि मेरी औलाद में से दो मर्द मुतवल्ली होंगे तो औरत नहीं हो सकती (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मुतवल्ली मर गया और वाकिफ़ ज़िन्दा है तो दूसरा मुतवल्ली ख़ुद वाकिफ़ ही मुक़र्रर करेगा और वाकिफ़ भी मरचुका है तो उस का वसी मुक़र्रर करेगा और वसी भी न हो तो अब क़ाज़ी का काम है यह अपनी राय से मुक़र्रर करे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाकिफ़ के ख़ानदान वाले मौजूद हों और अहलियत भी रखते हों तो उन्हीं को मुतवल्ली किया जाये और अगर यह लोग ना अहल थे और दूसरे को मुतवल्ली कर दिया गया उस के बाद उन में कोई तौलियत के लाइक़ हो गया तो उसकी तरफ़ तौलियत मुन्तक़िल हो जायेगी और अगर ख़ानदान वाले इस ख़िदमत को मुफ़्त नहीं करना चाहते हैं और ग़ैर शख़्स मुफ़्त करने को तय्यार है तो क़ाज़ी वह करे जो वक़्फ़ के लिए बेहतर हो। (आलमगीरी) यह उस सूरत में है कि वाकिफ़ ने अपने ख़ान्दान के लिए तौलियत मख़्सूस न की हो और अगर मख़्सूस कर दी तो दूसरे को मुतवल्ली नहीं बना सकते मगर उस सूरत में कि ख़ान्दान वालों में कोई अमीन न मिलता हो।

मसअ्ला :– मुतवल्ली को यह भी इख़्तियार है कि मरते वक़्त दूसरे के लिए तौलियत की वसियत कर जाये और यह दूसरा उस के बाद मुतवल्ली होगा मगर मुतवल्ली को जो वज़ीफ़ा मिलता था वह उसे नहीं मिलेगा उस के लिए यह ज़रूर है कि क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त करे क़ाज़ी उस के काम के लिहाज़ से वज़ीफ़ा मुक़र्रर करेगा यह ज़रूर नहीं कि पहले मुतवल्ली को जो कुछ मिलता था वही उस को भी मिले हाँ अगर वाकिफ़ ने हर मुतवल्ली के लिए एक रक़म मख़्सूस कर रखी है तो अब क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त देने की ज़रूरत नहीं बल्कि मुतवल्ली साबिक़ (पिछले मुतवल्ली)की वसियत ही की बिना पर यह मुतवल्ली होगा और वाकिफ़ की शर्त की बिना पर हक़्क़े तौलियत पायेगा और क़ाज़ी ने किसी को मुतवल्ली बनाया तो उस को हक़्क़े तौलियत इस क़द्र नहीं मिलेगा

जो वाकिफ़ के मुक़र्रर करदा मुतवल्ली को मिलता (फ़त्हुल क़दीर)
मसअला :– मुतवल्ली अपनी हयात व सेहत में दूसरे को अपना क़ाइम मक़ाम करना चाहता है यह जाइज़ नहीं मगर जब कि उमूमन तमाम इख़्तियारात उसे सुपुर्द हों तो यह कर सकता है (आलमगीरी)
मसअला :– चन्द अशख़ासे मालूम पर एक जाइदाद वक़्फ़ है तो ख़ुद यह लोग अपनी राय से किसी को मुतवल्ली मुक़र्रर कर सकते हैं क़ाज़ी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है (आलमगीरी)
मसअला :– मुतवल्ली मस्जिद का इन्तिक़ाल हो गया अहले मुहल्ला ने अपनी राय से बग़ैर इजाज़त क़ाज़ी किसी को मुतवल्ली मुक़र्रर किया तो असह यह है कि यह शख़्स मुतवल्ली नहीं कि मुतवल्ली मुक़र्रर करना क़ाज़ी का काम है मगर इस मुतवल्ली ने वक़्फ़ की आमदनी अगर इमारत में सर्फ़ की है तो ज़ामिन नहीं जब कि वक़्फ़ी जाइदाद को किराये पर दिया हो और किराया वसूल कर के ख़र्च किया हो और फ़त्हुल क़दीर में फ़रमाया बहर हाल तावान देना पड़ेगा कि मुफ़्ता बेही(जिस पर फ़तवा है) यह है कि वक़्फ़ को ग़सब कर के उस से जो कुछ उजरत हासिल करेगा उस का तावान देना पड़ता है ज़ाहिर यह है कि यह हुक्म सलतनते इस्लाम के लिए है जहाँ क़ाज़ी होते हैं और इन उमूर को अन्जाम देते हैं और चूँकि इस वक़्त हिन्दुस्तान में न तो क़ाज़ी है न इस्लामी सलतनत ऐसी हालत में अगर अहले महल्ला का मुतवल्ली मुक़र्रर करना सहीह न हो तो औक़ाफ़ बग़ैर मुतवल्ली रह कर ज़ाइअ़ (बर्बाद) हो जायेंगे लिहाज़ा यहाँ की ज़रूरतों का ख़याल करते हुए दूसरे क़ौल पर जिस को ग़ैर असह कहा जाता है फ़तवा देना चाहिए यानी अहले महल्ला का मुतवल्ली मुक़र्रर करना जाइज़ है और जिसे यह लोग मुक़र्रर करेंगे वह जाइज़ मुतवल्ली होगा और उस के तसर्रुफ़ात मसलन किराया वग़ैरा पर देना फिर उन को ज़रूरत में सर्फ़ करना सब जाइज़ है वल्लाहु तआ़ला अअ़्लमु।
मसअला :– एक वक़्फ़ के मुतवल्ली हो गये इस तरह कि एक शहर के क़ाज़ी ने एक को मुतवल्ली मुक़र्रर किया और दूसरे शहर के क़ाज़ी ने दूसरे शख़्स को मुतवल्ली किया तो ऐसे दो मुतवल्लियों को यह ज़रूर नहीं कि इजमाअ़ व इत्तिफ़ाके राय से तसर्रुफ़ करें हर एक मुतवल्ली तन्हा भी तसर्रुफ़ कर सकता है और एक क़ाज़ी के मुक़र्रर करदा मुतवल्ली को दूसरा क़ाज़ी मअ़्ज़ूल भी कर सकता है जब कि इसी में मस्लिहत हो (ख़ानिया)
मसअला :– वक़्फ़ के किसी जुज़ को बैअ़् या रहन कर देना ख़ियानत है ऐसे मुतवल्ली को मअ़्ज़ूल कर दिया जायेगा मगर वह ख़ुद अपने को मअ़्ज़ूल नहीं कर सकता बल्कि वाक़िफ़ या क़ाज़ी उसे मअ़्ज़ूल करेगा (आलमगीरी)
मसअला :– क़ाज़ी के हुक्म से मुतवल्ली वक़्फ़ के माल को अपने माल में मिला सकता है और इस सूरत में उस पर तावान नहीं (बहर)
मसअला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ की कोई चीज़ किराये पर दी उस के बाद वह मुतवल्ली मअ़्ज़ूल हो गया और दूसरा उसकी जगह मुक़र्रर हुआ तो किराया दूसरा शख़्स वुसूल करेगा पहले को अब हक़ न रहा और अगर मुतवल्ली ने वक़्फ़ के माल से कोई मकान ख़रीदा फिर उसे बैअ़् कर डाला तो यह मुतवल्ली मुश्तरी (ख़रीदार) से इस बैअ़् का इक़ाला (बैअ़् को रद) कर सकता है जब कि

वाजिबी कीमत से ज़्यादा पर न बेचा हो और अगर उस को मअ्ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर किया गया तो यह दूसरा भी उस का इक़ाला कर सकता है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन में दरख़्त हैं और उन के ख़राब होने का अन्देशा है कि यह पुराने हो गये तो मुतवल्ली को चाहिए कि नए पौधे नसब करता रहे ताकि बाग़ बाक़ी रहे (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने मुतवल्ली के लिए हक़्के तौलियत जो कुछ मुक़र्रर किया है अगर बलिहाज़े ख़िदमत वह कम मिक़दार है तो क़ाज़ी उजरते मिस्ल तक इज़ाफ़ा कर सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– देहातों में नज़राना व रुसूम वग़ैरा लगान के अलावा कुछ और मुक़र्रर होते हैं उन में जो चीज़ें उर्फ़ के लिहाज़ से मुतवल्ली के लिए हों मसलन जब कारिन्दा गाँव में जाते हैं तो उन को कुछ मिलता है और मालिक के इल्म में यह बात होती है मगर इस पर बाज़ पुर्स नहीं करता तो ऐसी रक़में वग़ैरा मुतवल्ली को मिलेंगी और अगर वह चीज़ें बतौर रिश्वत दी गई हैं ताकि देने वालों के साथ रिआयत करे मसलन अंडे मुर्ग़ी वग़ैरा तो इस का लेना नाजाइज़ और लिया हो तो वापस करे और अगर वह आमदनी इस क़िस्म की है कि उस को मिलाकर या वक़्फ़ के मुहासिल पूरे होते हैं मसलन वक़्फ़ की ज़मीन ज़्यादा हैसियत की है और काश्तकार लगान के नाम से ज़्यादा देना नहीं चाहता मगर नज़राना वग़ैरा किसी और नाम से वह रक़म पूरी कर देता है तो ऐसी आमदनी को वक़्फ़ की आमदनी क़रार देना चाहिए और मुहासिल वक़्फ़ में उसे शुमार किया जाये (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अपनी औलाद या अपने बाप दादा के हाथ वक़्फ़ की कोई चीज़ बैअ् की या उन को नौकर रखा या उजरत पर उन से काम कराया यह सब नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने अगर मुतवल्ली के लिए यह इजाज़त देदी है कि ख़ुद भी वक़्फ़ की आमदनी से खा सकता है और अपने दोस्त अहबाब को भी खिला सकता है तो मुतवल्ली इस शर्त के बमूजिब अहबाब को खिला सकता है वरना नहीं (ख़ुलासा)

मसअ्ला :– क़ाज़ी ने मुतवल्ली के लिए मसलन फ़ीसदी दस रुपये मुक़र्रर किए हैं तो आमदनी से दस फ़ीसदी लेगा यह नहीं कि जुमला मसारिफ़ के बाद फ़ीसदी दस रुपये ले (ख़ुलासा)

मसअ्ला :– मुतवल्ली को इख़्तियार है कि ज़मीने वक़्फ़ को आबाद करने के लिए गाँव आबाद कराये रिआया बसाये इस लिए कि जब तक मज़ारेईन (खेती करने वाले)नहीं होंगे ज़मीन नहीं उठेगी और आमदनी नहीं होगी लिहाज़ा अगर ज़रूरत हो तो गाँव आबाद कर सकता है यूँहीं अगर वक़्फ़ी ज़मीन शहर से मुत्तसिल(मिली)हो और देखता है कि मकानात बनवाने में आमदनी ज़्यादा होगी और खेत रखने में आमदनी कम है तो मकानात बनवा कर किराये पर दे सकता है और अगर मकानात में भी उतना ही नफ़अ् हो जितना खेत रखने में तो मकान बनवाने की इजाज़त नहीं(फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– [illegible]र ज़मीन (ऐसी ज़मीन जो खेती के लाइक़ न हो)को दुरुस्त कराने के लिए वक़्फ़ रुपया ख़र्च कर[illegible]ा है मुसाफ़िर ख़ाना की कोई आमदनी नहीं है और उस में मुलाज़िम रखने की ज़रूरत है ताकि [illegible]फ़ाई रखे और उस के कमरों को खोले बन्द करे तो उस के किसी हिस्से को किराये पर देकर उस की आमदनी से मुलाज़िम की तनख़्वाह दे सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी इमारत झुक गई है जिस से पड़ोस वालों को अपनी इमारत के ख़राब होने का

डर है वह लोग मुतवल्ली से दुरुस्त कराने को कहते हैं मगर मुतवल्ली दुरुस्त नहीं करता इन्कार करता है और वक़्फ़ का रुपया मौजूद है तो मुतवल्ली को दुरुस्त कराने पर मजबूर कर सकते हैं और अगर वक़्फ़ का रुपया नहीं है तो क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त करें क़ाज़ी हुक्म देगा कि क़र्ज़ लेकर उसे ठीक कराये (ख़ानिया)

मसअला :— वक़्फ़ी ज़मीन में मुतवल्ली ने मकान बनाया चाहे वक़्फ़ के रुपये से बनाया या अपने रुपये से बनाया मगर वक़्फ़ के लिए बनाया या कुछ नियत नहीं की इन सूरतों में वह वक़्फ़ का मकान है और अगर अपने रुपये से बनाया और अपने ही लिए बनाया और इस पर गवाह भी कर लिया तो ख़ुद उस का है और दूसरा शख़्स बनाता और कुछ नियत न करता जब भी उसी का होता (आलमगीरी)

मसअला :— मुतवल्ली ने वक़्फ़ की मरम्मत वग़ैरा में अपना ज़ाती रुपया सर्फ़ करदिया और यहशर्त करली थी कि वापस ले लूँगा तो वापस ले सकता है और अगर वक़्फ़ का रुपया अपने काम में सर्फ़ कर दिया फिर उतना ही अपने पास से वक़्फ़ में ख़र्च कर दिया तो तावान से बरी है (आलमगीरीफ़त्हुल क़दीर) मगर ऐसा करना जाइज़ नहीं और अगर वक़्फ़ के रुपये अपने रुपये में मिला दिये तो कुल तावान दे।

मसअला :— मुतवल्ली या मालिक ने किरायेदार को इमारत की इजाज़त देदी उस ने इजाज़त से तअ्मीर कराई तो जो कुछ ख़र्च होगा किरायेदार मुतवल्ली या मालिक से लेगा जब कि उस इमारत का बेशतर नफ़अ् मालिक को पहुँचा हो और इस नई तअ्मीर से मकान को नुक़सान न पहुँचे(आलमगीरी)

मसअला :— वक़्फ़ ख़राब हो रहा है मुतवल्ली यह चाहता है कि उसका एक जुज़ बैअ् कर के उस से बाक़ी की मरम्मत कराये तो उस को इख़्तियार नहीं और अगर वक़्फ़ी मकान का एक ऐसा हिस्सा बेच दिया जो मुन्हदिम न था और मुश्तरी (ख़रीदार)उसे मुनहदिम करायेगा या दरख़्त ताज़ा बेचदिया तो यह बैअ् बातिल है फिर अगर मुश्तरी ने मकान गिरवा दिया या दरख़्त कटवा दिया तो क़ाज़ी ऐसे मुतवल्ली को मअ्ज़ूल करे कि ख़ाइन है और उस मकान या दरख़्त का तावान ले और इख़्तियार है कि बाइअ् (बेचने वाले) से तावान ले या मुश्तरी से अगर बाइअ् से तावान लेगा बैअ् नाफ़िज़ हो जायेगी और मुश्तरी (ख़रीदार) से लेगा तो बातिल रहेगी (आलमगीरी)

मसअला :— वक़्फ़ के फलदार दरख़्तों को बेचना जाइज़ नहीं और काटने के बाद बेच सकता है और न फलने वाले दरख़्त हों तो उन्हें काटने से पहले भी बेच सकते हैं और बेदा झाऊ, नरकल वग़ैरा जो काटने से फिर निकल आते हैं उन्हें तो बेचना ही चाहिए कि यह ख़ुद वक़्फ़ की आमदनी में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मसअला :— वाक़िफ़ ने मुतवल्ली के लिए हक़्क़े तौलियत रखा है तो तौलियत की ख़िदमत अन्जाम देने पर वह मिलता रहेगा और मुतवल्ली को वही काम करने होंगे जो मुतवल्ली किया करते हैं मसलन जाइदाद को इजारा पर देना वक़्फ़ में कुछ काम कराने की ज़रूरत है तो उसे कराना महासिल(आमदनी) वुसूल करना मुस्तहक़ीन पर तक़सीम करना वग़ैरा मुतवल्ली को यह ज़रूरी होगा

कि उमूरे तौलियत में बिल्कुल कोताही न करे और जो काम आदतन मुतवल्ली के ज़िम्मे नहीं होते बल्कि मज़दूरों से मुतवल्ली काम लिया करते हैं ऐसे काम का मुतालबा मुतवल्ली से नहीं किया जासकता कि उस ने खुद क्यों नहीं किया बल्कि अगर औरत मुतवल्ली है तो वही काम करेगी जो औरतें किया करती हैं मर्दों के काम का बार उस पर नहीं डाला जासकता (आलमगीरी)

मसअला :– मुतवल्ली ने अगर मज़दूरों के साथ वह काम किया जो मजदूर करते हैं और उस के फ़राइज़ से यह काम न था तो उस की उजरत मुतवल्ली नहीं ले सकता (बहरुर्राइक़)

मसअला :– मुतवल्ली पर अहले वक़्फ़ ने दअ्वा किया कि यह कुछ काम नहीं करता और वाकिफ़ ने हक़्के तौलियत उस के लिए जो कुछ रखा है वह काम के मुक़ाबिला में है लिहाज़ा उस को नहीं मिलना चाहिए तो हाकिम मुतवल्ली पर ऐसे काम का बार नहीं डालेगा जो मुतवल्ली न करते हों(बहरुर्राइक़)

मसअला :– मुतवल्ली अगर अंधा, बहरा गूँगा हो गया मगर इस क़ाबिल है कि लोगों से काम ले सकता है तो हक़्के तौलियत मिलेगा वरना नहीं मुतवल्ली पर किसी ने तअ्न किया कि मसलन ख़ाइन है तो फ़क़त लोगों के कह देने से उस का हक़्के तौलियत बातिल नहीं होगा और न उसे तौलियत से जुदा किया जायेगा बल्कि वाक़ेअ् में ख़ियानत साबित हो जाये तो बर तरफ़ किया जायेगा और हक़ भी बन्द हो जायेगा और अगर फिर उस की हालत दुरुस्त व क़ाबिले इतमीनान हो जाये तो फिर उसे मुतवल्ली कर दिया जाये और हक़्के तौलियत भी दिया जाये (आलमगीरी)

मसअला :– अगर क़ाज़ी उस को मुनासिब जानता है कि मुतवल्ली के साथ एक दूसरा शख़्स शामिल कर दे कि दोनों मिलकर काम करें तो शामिल कर सकता है और हक़्के तौलियत में से कुछ उसे भी देना चाहे तो दे सकता है और अगर हक़्के तौलियत कम है कि दूसरे को उस में से देने में पहले के लिए बहुत कमी होजायेगी तो दूसरे को वक़्फ़ की आमदनी से भी दे सकता है (आलमगीरी)और दूसरे शख़्स को इस वजह से शामिल किया कि मुतवल्ली की निस्बत कुछ ख़ियानत का शुबह था तो तन्हा मुतवल्ली को तसर्रुफ़ करने का हक़ न रहा और अगर यह वजह नहीं तो मुतवल्ली तन्हा तसर्रुफ़ कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वाकिफ़ ने मुतवल्ली के लिए अज्रे मिस्ल से ज़्यादा मुक़र्रर किया तो हर्ज नहीं क़ाज़ी वग़ैरा कोई दूसरा शख़्स अज्रे मिस्ल से ज़्यादा नहीं मुक़र्रर कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– वाकिफ़ ने काम करने वाले के लिए कुछ माल मुक़र्रर किया तो उसे यह जाइज़ नहीं कि खुद काम न करे और दूसरे को अपनी जगह मुक़र्रर कर के वह रक़म भी उस के लिए कर दे हाँ अगर वाकिफ़ ने उसे ऐसा इख़्तियार दिया है तो हो सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– मुतवल्ली वक़्फ़ के काम के लिए मुलाज़िम नौकर रख सकता है और उन की तनख़्वाह दे सकता है और उन को मौक़ूफ़ कर के उन की जगह दूसरे रखा सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– मुतवल्ली को जुनून मुतबक़ हो गया यानी एक साल जुनून को गुज़र गया तो तौलियत से अ़लाहिदा कर दिया जाये और अगर यह शख़्स अच्छा हो गया और काम के लाइक़ हो गया तो उसे तौलियत पर मामूर किया जा सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– वाकिफ़ ने एक शख़्स को मुतवल्ली किया और यह शर्त कर दी कि अगर्चे क़ाज़ी उसे

मअ्ज़ूल कर दे मगर जो वज़ीफ़ा मैंने उस के लिए मुक़र्रर किया है मअ्ज़ूली के बाद भी उसे दिया जाये या उसके बाद उसकी औलाद के लिए नसलन बादे नसलिन जारी रहे यह शर्त सहीह है और उसी के मुवाफ़िक़ अमल होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ करने के बाद मर गया क़ाज़ी ने यह औक़ाफ़ एक शख़्स को सुपुर्द कर दिए और आमदनी का दसवाँ हिस्सा उस कारिन्दा के लिए मुक़र्रर किया और औक़ाफ़ में एक पनचक्की है जो बिलमुक़तअ् एक शख़्स के किराये में है उस के लिए कारिन्दे की ज़रूरत नहीं वह वक़्फ़ वाले ख़ुद ही उसका किराया वुसूल कर लेते हैं तो चक्की की आमदनी का दसवाँ हिस्सा कारिन्दे को नहीं मिलेगा(ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने मुद्दतों तक काम ही नहीं किया और क़ाज़ी को इत्तिलाअ् भी नहीं दी कि उसे मअ्ज़ूल कर के दूसरे को मुतवल्ली करता फिर भी वह मुतवल्ली है बग़ैर मअ्ज़ूल किए मअ्ज़ूल न होगा (आलमगीरी)

औक़ाफ़ के इजारा का बयान

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ी मकान या ज़मीन को इजारा पर दिया फिर मर गया तो इजारा बदस्तूर बाक़ी रहेगा यूहीं वाक़िफ़ ने किराये पर दिया हो फिर मर गया जब भी यही हुक्म है जो मुतवल्ली है वक़्फ़ की आमदनी भी ख़ुद उसी पर सर्फ़ होगी उस ने वक़्फ़ को इजारा पर दिया और मुद्दते इजारा पूरी होने से पहले फ़ौत हो गया जब भी इजारा नहीं टूटेगा यूँहीं अगर क़ाज़ी ने मकानात मौक़ूफ़ा को किराये पर देदिया है उसके बाद मअ्ज़ूल हो गया तो इजारा बाक़ी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किराया दार से पेशगी किराया लेकर मुस्तहक़्क़ीन पर तक़सीम कर दिया गया फिर मुद्दते इजारा पूरी होने से पहले उन्में से कोई मर गया तो तक़सीम तोड़ी नहीं जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ का माल काश्तकार ने खालिया मुतवल्ली ने उस से कुछ कम पर सुलह कीअगर काश्तकार ग़नी है तो सुलह नाजाइज़ है और फ़क़ीर है तो जाइज़ है जब कि वह वक़्फ़ फ़ुक़रा पर हो और अगर वक़्फ़ के मुस्तहक़ मख़सूस लोग हों तो अगर्चे काश्तकार फ़क़ीर हो कम पर मुसालिहत जाइज़ नहीं यूँहीं इस सूरत में वक़्फ़ी ज़मीन या मकान को कम किराये पर फ़क़ीर को भी देना नाजाइज़ है और फ़क़ीर पर वक़्फ़ हो तो जाइज़ है (ख़ानिया, बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान को तीन साल के लिए सौ रुपया साल किराया पर दिया और तीन शख़्स इस वक़्फ़ की आमदनी के हक़दार हैं एक साल गुज़रने पर उन में का एक फ़ौत हो गया फिर एक साल और गुज़रने पर दूसरा शख़्स मर गया और तीसरा बाक़ी है तो पहले साल की रक़म पहले के वुरसा और दूसरे और तीसरे शख़्स के दरमियान बराबर तीन हिस्सा पर तक़सीम होगी और दूसरे साल की रक़म दूसरे के वुरसा और तीसरे में निस्फ़न निस्फ़ तक़सीम होगी पहली मय्यत के वुरसा उस में से नहीं पायेंगे और तीसरे साल की रक़म सिर्फ़ इस तीसरे को मिलेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ के इजारा की मुद्दत तवील नहीं होनी चाहिये तीन साल से ज़्यादा के लिए किराये पर देना जाइज़ नहीं(फ़त्हुल क़दीर)और अगर वाक़िफ़ ने किराये की कोई मुद्दत बयान कर दी है तो उसकी पाबन्दी की जाये और न बयान की हो तो मकानात को एक साल तक के लिए और

ज़मीन को तीन साल तक के लिए किराये पर दिया जाये मगर जब कि मसलिहत उस के ख़िलाफ़ को मुक़तज़ी हो तो जो तक़ाज़ाए मसलिहत हो वह किया जाये और यह ज़माना और मवाज़ेअ् (जगह) के एअ्तिबार से मुख़्तलिफ़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी है कि एक साल से ज़्यादा के लिए किराये पर न दिया जाये मगर वहाँ एक साल के लिए किराये पर कोई लेता ही नहीं ज़्यादा मुद्दत के लिए लोग माँगते हैं तो मुतवल्ली शर्ते वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ कर के एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं देसकता बल्कि यह मुआमला क़ाज़ी के पास पेश करे और क़ाज़ी से इजाज़त हासिल कर के एक साल से ज़्यादा के लिए दे और अगर वक़्फ़ नामा में यूँ हो कि एक साल से ज़्यादा के लिए न दिया जायेगा मगर जब कि उस में नफ़अ् हो तो ख़ुद वाक़िफ़ भी दे सकता है क़ाज़ी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ को अज्रे मिस्ल के साथ किराया पर दिया जाये यानी इस हैसियत के मकान का जो किराया वहाँ हो या उस हैसियत के खेत का जो लगान उस जगह हो उस से कम पर देना जाइज़ नहीं बल्कि जिस शख़्स को औक़ाफ़ की आमदनी मिलती है वह ख़ुद भी अगर चाहे कि किराया या लगान कम लेकर दे दूँ तो नहीं दे सकता (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी दुकान वाजिबी किराये पर किरायेदार को दी उस के बाद दूसरा शख़्स आता है और ज़्यादा किराया देता है तो पहले इजारे को फ़स्ख़ नहीं किया जा सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन साल के लिए ज़मीन इजारा पर दी एक साल पूरा होने पर किराये का नर्ख़ कम हो गया तो इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा यूँही अगर एक साल के बाद ज़्यादा लोग उस के ख़्वाहिशमन्द हुए और किराये का नर्ख़ बढ़ गया जब भी इजारा फ़स्ख़ नहीं हो सकता (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने चन्द साल के लिए इजारा पर ज़मीन दी थी और मुतवल्ली फ़ौत हो गया फिर मुस्ताजिर भी मर गया और उस के वुरसा ने काश्त की ग़ल्ला उन लोगों(यानी मुस्ताजिर के वुरसा)को मिलेगा और उन से ज़मीन का लगान नहीं लिया जायेगा कि मुस्ताजिर की मौत से इजारा फ़स्ख़ होगया बल्कि ज़मीन में उन की ज़राअ़त से जो नुक़सान हुआ है वह लिया जायेगा और यह मुसालिह वक़्फ़ (वक़्फ़ को अच्छा करने)में सर्फ़ होगा जिन पर वक़्फ़ है उन को नहीं दिया जायेगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अज्रे मिस्ल से कम किराये पर इजारा दिया तो लेने वाले को अज्रे मिस्ल देना होगा और उजरत का ज़िक्र न किया जब भी यही हुक्म है यूँही यतीम की जाइदाद को कम किराया पर देदिया तो वाजिबी किराया देना होगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स मसलन आठ रुपये किराया देने को कहता है और दूसरा दस मगर यह दस देने वाला नादिहन्द(न देने वाला) है तो उसे न दिया जाये आठ वाले को दिया जाये (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन को मुतवल्ली ख़ुद अपने इजारा में नहीं ले सकता कि ख़ुद मकाने मौक़ूफ़ में रहे और किराया दे या खेत बोये और लगान दे अल्बत्ता क़ाज़ी उस को इजारा पर दे तो हो सकता है(ख़ानिया)और अज्रे मिस्ल से ज़्यादा किराया पर ले तो हो सकता है यूँहीं अपने बाप या बेटे को भी किराया पर नहीं दे सकता मगर जब कि ब निस्बत दूसरों के उन से ज़्यादा किराया ले(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन किराये पर लेकर किसी ने उस में मकान बनाया और अब ज़मीन का किराया पहले से ज़्यादा हो गया तो अगर मालिक मकान ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार है तो ज़मीन उसी के किराये में रहने दें वरना उस से कहें अपना अमला उठा ले और ज़मीन को ख़ाली कर दे (आलमगीरी)और अगर इजारा की मुद्दत पूरी हो चुकी है तो इख़्तियार है चाहे उसी को ज़्यादा किराया लेकर दें या दूसरे को (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान मौकूफ़ को आरियत देना बग़ैर किराया किसी को रहने के लिए दे देना नाजाइज़ है और रहने वाले को किराया देना पड़ेगा यूँहीं जो शख़्स मुतवल्ली की बग़ैर इजाज़त रहने लगा उसे भी जो किराया होना चाहिए देना होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मकान मौकूफ़ (वक़्फ़ का मकान) को मुतवल्ली ने बैअ् कर दिया फिर यह मुतवल्ली मअ्ज़ूल हो गया और दूसरा उस की जगह मुतवल्ली हुआ उस ने मुश्तरी(ख़रीदार) पर दअ्वा किया और क़ाज़ी ने बैअ् बातिल होने का हुक्म दिया तो मुश्तरी (ख़रीदार) को इतने दिनों का किराया भी देना होगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– रुपया अशरफ़ी यानी समन के अलावा मसलन असबाब के बदले में इजारा किया तो जाइज़ है और उस वक़्त उस सामान को बेचकर वक़्फ़ की आमदनी में दाख़िल करे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन को ख़ुद मुतवल्ली भी वक़्फ़ की तरफ़ से काश्त कर सकता है और उस सूरत में मज़दूरों की उजरत वग़ैरा वक़्फ़ से अदा करेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान किराये पर दिया और शिकस्त रीख़्त(टूट फूट) वग़ैरा किरायादार के ज़िम्मा रखी तो इजारा बातिल है हाँ अगर मरम्मत के लिए कोई रक़म मुअय्यन कर दी कि इतने रुपये मरम्मत में सर्फ़ करना तो जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़क़ीरों पर एक मकान वक़्फ़ है कि उस की आमदनी फ़ुक़रा को दी जायेगी उस मकान को एक फ़क़ीर ने किराये पर लिया तो किराया चूँकि फ़क़ीर ही को दिया जाता है लिहाज़ा जितना उस को देना है उतना किराया छोड़ देना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :–जिस शख़्स पर मकान वक़्फ़ है वह ख़ुद इस मकान को किराये पर नहीं दे सकता जब कि यह मुतवल्ली न हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मकान या खेत को कम पर देदिया तो यह कमी मुस्ताजिर से पूरी कराई जायेगी मुतवल्ली से वुसूल न करेंगे मगर मुतवल्ली से सहव (भूल)और ग़फ़लत की बिना पर ऐसा हुआ तो दर गुज़र करेंगे और क़स्दन ऐसा किया तो ख़ियानत है मअ्ज़ूल कर दिया जायेगा बल्कि ख़ुद वाक़िफ़ ने क़स्दन कम पर दिया है तो उस के हाथ से भी वक़्फ़ को निकाल लेंगे(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन अगर उश्री है तो काश्तकार पर है और ख़िराजी है तो ख़िराज वक़्फ़ की आमदनी से दिया जायेगा।

मसअ्ला :– वक़्फ़ पर कुछ ख़र्च करने की ज़रूरत पेश आई और आमदनी का रुपया मौजूद नहीं है तो क़ाज़ी से इजाज़त लेकर क़र्ज़ लिया जा सकता है बतौर ख़ुद मुतवल्ली को क़र्ज़ लेने का इख़्तियार नहीं यूँहीं ख़िराज का रुपया देना है तो उस के लिए भी बइजाज़त क़ाज़ी क़र्ज़ लिया जायेगा यानी जब कि उस साल आमदनी न हुई और अगर आमदनी हुई मगर मुतवल्ली ने

मुस्तहक़्क़ीन पर तक़सीम कर दी ख़िराज के लिए नहीं रखी तो ख़िराज की क़द्र मुतवल्ली को तावान देना होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ की तरफ़ से ज़राअ़त करने के लिए तुख़्म वग़ैरा की ज़रूरत है और रूपया ख़र्च के लिए मौजूद नहीं है तो क़ाज़ी से इजाज़त लेकर उस के लिए भी क़र्ज़ ले सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान के मुत्तसिल दूसरा मकान है बीच में एक दीवार है जो दूसरे मकान वाले की है वह दीवार गिर गई फिर मालिक मकान ने दीवार उठवाई मगर वक़्फ़ की हद में उठाई तो मुतवल्ली उस दीवार को तुड़वा देगा और मुतवल्ली यह चाहे कि उसे क़ीमत देकर दीवार वक़्फ़ की करले यह जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वक़्फ़ की ज़मीन में दरख़्त थे जो बेच डाले गये और हुनूज़ (अभी) काटे नहीं गये कि ख़रीदार को वही ज़मीन इजारा में दी गई और दरख़्त जड़ समीत बेचे गए थे तो ज़मीन का इजारा जाइज़ है और अगर ज़मीन के ऊपर ऊपर से बेचे गये तो इजारा जाइज़ नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– गाँव वक़्फ़ है और वहाँ के काश्तकार बटाई पर खेत बोया करते हैं उस गाँव में क़ाज़ी की तरफ़ से कोई हाकिम आया जिसने किसी को लगान पर खेत देदिया फ़स्ल तैयार होने पर मुतवल्ली आया और हस्बे दस्तूर बटाई कराना चाहता है लगान के रूपये नहीं लेता तो जो मुतवल्ली चाहता है वही होगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन किसी ने ग़सब कर ली और ग़ासिब ने अपनी तरफ़ से कुछ इज़ाफ़ा किया है अगर यह ज़्यादती माले मुतक़व्विम(क़ाइम रहने वाला माल) न हो मसलन ज़मीन को जोत कर ठीक किया है या उस में नहर खुदवाई है या खेत में खाद डलवाई है जो मिट्टी में मिल गई तो ग़ासिब से ज़मीन वापस ली जायेगी और उन चीज़ों का कुछ मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा और अगर वह ज़्यादत माले मुतक़व्विम है मसलन मकान बनाया है या पेड़ लगाये हैं तो अगर मकान या दरख़्त के निकालने से ज़मीन ख़राब न हो तो ग़ासिब से कहा जायेगा अपना अ़मला उठा ले या पेड़ उखाड़ ले और ज़मीन ख़ाली कर के वापस कर दे और अगर मकान या दरख़्त जुदा करने में ज़मीन ख़राब हो जायेगी तो उखड़े हुए दरख़्त या निकाले हुए अ़मला की क़ीमत ग़ासिब को दी जायेगी और ग़ासिब को यह भी इख़्तियार है कि ज़मीन के ऊपर से दरख़्त को इस तरह काट ले कि ज़मीन को नुक़सान न पहुँचे (ख़ानिया)

दअ्वा और शहादत का बयान

मसअ्ला :– मकान या ज़मीन बैअ् (बेचदी)कर दी अब कहता है उस को मैंने वक़्फ़ कर दिया था इस बयान पर अगर गवाह नहीं पेश करता है और मुद्दआ अ़लैहि से हल्फ़ लेना चाहता है तो उसकी बात नहीं मानेंगे और हल्फ़ न देंगे और गवाह से वक़्फ़ होना साबित कर दे तो गवाह मक़बूल हैं और बैअ् बातिल (आलमगीरी)और मुश्तरी से उतने दिनों का किराया लिया जायेगा जब तक उस का क़बज़ा था और मुश्तरी समन के वुसूल करने के लिए इस जाइदाद को अपने क़ब्ज़ा में नहीं रख सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक़ बिदूने दअ्वा (दवअ् न होने पर)के भी शहादत क़बूल कर ली

जाती है उसी वजह से बावुजूद मुद्दई के कलाम मुतनाकिज़(टकराव) होने के वक़्फ़ में शहादत कबूल हो जाती है कि तनाकुज़ (कलाम में टकराव) से दअ्वा जाता रहा और शहादत बग़ैर दअ्वा हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अस्ल वक़्फ़ में अगर्चे बग़ैर दअ्वा भी शहादत कबूल होती है मगर किसी शख़्स का किसी वक़्फ़ के मुतअल्लिक हक साबित होने के लिए दअ्वा शर्त है बग़ैर दअ्वा गवाही कोई चीज़ नहीं मसलन एक शख़्स किसी वक़्फ़ की आमदनी का हकादार है और गवाहों से हकदार होना साबित भी हो तो जब तक वह खुद दअ्वा न करे उस का हक फ़ुकरा को देंगे खुद उस को नहीं देंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ज़मीन की निस्बत पहले यह कहा था कि यह फ़ुलाँ पर वक़्फ़ है अब दअ्वा करता कि मुझ पर वक़्फ़ है तो चूँकि उस के क़ौल में तनाकुज़ है लिहाज़ा दअ्वा बातिल व ना मसमूअ् है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी जायदाद की निस्बत यह दअ्वा कि वक़्फ़ है सुना नहीं जायेगा बल्कि अगर दअ्वा में यह भी हो कि मैं उस की आमदनी का मुस्तहक हूँ जब भी मसमूअ् नहीं। जब तक कि दअ्वा में यह न हो कि मैं उस का मुतवल्ली हूँ। दअ्वा मसमूअ् न होने के यह मअ्ना हैं फ़क्त उस के दअ्वा के बिना पर काबिज़ पर हल्फ़ नहीं देंगे हाँ अगर गवाह गवाही दें तो गवाही मकबूल होगी।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुश्तरी (ख़रीदार)ने बाइअ् (बेचने वाले)पर दअ्वा किया कि जो ज़मीन तूने मेरे हाथ बैअ् की है यह वक़्फ़ है तुझ को इस के बेचने का हक न था यह दअ्वा मसमूअ् नहीं बल्कि यह दअ्वा मुतवल्ली की जानिब से होना चाहिए और मुतवल्ली न हो तो काज़ी अपनी तरफ़ से किसी को मुतवल्ली करेगा जो मुकदमा की पैरवी करेगा और वक़्फ़ साबित होने पर बैअ् बातिल हो जायेगी और मुश्तरी को समन वापस मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काज़ी ने किसी जायदाद के मुतअल्लिक वक़्फ़ का फ़ैसला दिया तो सिर्फ़ मुद्दई के मुक़ाबिल यह फ़ैसला नहीं बल्कि सब के मुक़ाबिल है यानी फ़ैसले दो किस्म के होते हैं बाज़ फ़ैसले सिर्फ़ मुद्दई व मुद्दआ अलैहि के दरमियान में हैं दूसरों से उस को तअल्लुक नहीं मसलन एक शख़्स ने दूसरे की किसी चीज़ पर दअ्वा किया कि यह मेरी है और काज़ी ने फ़ैसला दे दिया तो यह फ़ैसला सब के मुक़ाबिल में नहीं है बल्कि तीसरा शख़्स फिर दअ्वा कर सकता है और चौथा फिर कर सकता है व अला हाज़लक़ियास और बाज़ फ़ैसले सब के मुक़ाबिल में होते हैं कि अब दूसरा दअ्वा ही नहीं हो सकता मसलन एक शख़्स पर किसी ने दअ्वा किया कि यह मेरा गुलाम है उस ने जवाब दिया कि मैं आज़ाद हूँ और क़ाज़ी ने हुर्रियत का हुक्म दिया तो अब कोई भी उस की अब्दियत (गुलामी)का दअ्वा नहीं कर सकता या किसी औरत को काज़ी ने एक शख़्स की मनकूहा होने का हुक्म दिया तो दूसरा अपनी मनकूहा होने का दअ्वा नहीं कर सकता यूँहीं किसी बच्चे का एक शख़्स से नसब साबित हो गया तो दूसरा उस के नसब का दअ्वा नहीं कर सकता इसी तरह से किसी जाइदाद पर एक शख़्स ने अपनी मिल्क का दअ्वा किया जिस के कब्ज़े में है उस ने जवाब दिया यह वक़्फ़ है और वक़्फ़ होना साबित कर दिया काज़ी ने वक़्फ़ होने का हुक्म दिया तो अब मिल्क का दूसरा दअ्वा उस पर हरगिज़ नहीं हो सकता बल्कि यह फ़ैसला तमाम जहान के

मुक़ाबिल में है मगर वाक़िफ़ अगर हीला बाज आदमी हो कि इस वक़्फ़ के हीले से दूसरे की इमलाक पर क़ब्ज़ा करता हो मसलन दूसरे की जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया और तीसरे से अः ने ऊपर दअ़्वा करा दिया और जवाब यह दिया कि वक़्फ़ है और वक़्फ़ के गवाह भी पेश कर दिए और क़ाज़ी ने वक़्फ़ का हुक्म दे दिया अगर ऐसे हीला बाज़ के वक़्फ़ की क़ज़ा (फ़ैसला) वैसी ही होतो बेचारे अस्ल मालिक अपनी जाइदाद से हाथ धो बैठा करें और कुछ न कर सकें लिहाज़ा इस सूरत में यह फ़ैसला सब के मुक़ाबिल में नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ के सुबूत के लिए गवाही दी तो गवाह को यह बयान करना ज़रूर नहीं है कि किसने वक़्फ़ किया बल्कि अगर इस से ला इल्मी भी ज़ाहिर करे जब भी शहादत मोअ्तबर हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ में शहादत अलश्शहादत मोअ्तबर है और वक़्फ़ होना मशहूर हो तो अगर्चे उस के सामने वाक़िफ़ ने वक़्फ़ नहीं किया है महज़ शोहरत की बिना पर उस को शहादत देना जाइज़ है बल्कि अगर क़ाज़ी के सामने तस्रीह कर दे कि मेरी शहादत समई (सुनकर) है जब भी गवाही ना मोअ्तबर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ़्वा किया कि यह ज़मीन मुझ पर वक़्फ़ है ज़मीन जिस के क़बज़ा में है वह कहता है यह मेरी मिल्क है गवाहों ने वाक़िफ़ का वक़्फ़ करना बयान किया और यह कि जिस वक़्त उस ने वक़्फ़ की थी उसी के क़बज़ा में थी तो फ़क़त इतनी ही बात से वक़्फ़ साबित नहीं होगा बल्कि गवाहों को यह बयान करना भी ज़रूर है कि वाक़िफ़ उस ज़मीन का मालिक भी था (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पुराना वक़्फ़ है जिस के मसारिफ़ व शराइत का पता नहीं चलता उस में भी समई शहादत मोअ्तबर है और ज़माना–ए–गुज़िश्ता का अगर अमल दर आमद हो सके या क़ाज़ी के दफ़्तर में शराइत व मसारिफ़ का ज़िक्र है तो उसी के मुवाफ़िक़ अमल किया जाये(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स के कब्ज़े में जाइदाद है उस पर किसी ने वक़्फ़ होने का दअ़्वा किया और सुबूत में एक दस्तावेज़ पेश करता है तो फ़क़त दस्तावेज़ की बिना पर वक़्फ़ होना नहीं क़रार पायेगा अगर्चे उस दस्तावेज़ पर गुज़िश्ता क़ाज़ियों की तहरीरें भी हों यूँहीं किसी मकान के दरवाज़ा पर वक़्फ़ का कतबा कुन्दा होने से भी क़ाज़ी वक़्फ़ का हुक्म नहीं देगा यानी बग़ैर शहादत फ़क़त तहरीर क़ाबिले एअ्तिबार नहीं मगर जब कि दस्तावेज़ की नक़्ल क़ाज़ी के दफ़्तर में हो तो ज़रूर क़ाबिले क़बूल है ख़ुसूसन जब कि गुज़िश्ता क़ाज़ियों के दस्तख़त उस पर हों (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी जाइदाद का वक़्फ़ होना मअ्रूफ़ व मशहूर है मगर यह नहीं मअ्लूम कि (कहाँ ख़र्च हो) उस का मसरफ़ क्या है तो शोहरत की बिना पर वक़्फ़ क़रार पायेगा और फ़ुक़रा पर ख़र्च किया जायेगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गवाह ने यह गवाही दी कि यह जाइदाद मुझ पर या मेरी औलाद या मेरे बाप दादा पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल नहीं यूँही अगर यह गवाही दी कि मुझ पर और फ़ुलाँ अजनबी पर वक़्फ़

है जब भी मक़बूल नहीं न उसके हक़ में वक़्फ़ साबित होगा न उस दूसरे के हक़ में और अगर दो गवाह एक की गवाही यह है कि ज़ैद पर वक़्फ़ है और दूसरा गवाही देता है कि अम्र पर वक़्फ़ है तो नफ़्से वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक चूँकि दोनों मुत्तफ़िक़ हैं वक़्फ़ साबित हो जायेगा मगर मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ हो) में चूँकि इख़्तिलाफ़ है लिहाज़ा यह जायदाद फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगी न ज़ैद पर होगी न अम्र पर(ख़ानिया)

मसअला :– एक गवाह ने बयान किया कि यह सारी ज़मीन वक़्फ़ है दूसरा कहता है आधी तो आधी ही का वक़्फ़ होना साबित हुआ (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों ने शहादत दी कि पड़ोस के फ़क़ीरों पर वक़्फ़ की और ख़ुद यह दोनों उस के पड़ोस के फ़क़ीर हों जब भी गवाही मक़बूल है या गवाही दी कि फ़ुलाँ मस्जिद के मोहताजों पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल है अगर्चे यह दोनों उस मस्जिद के मोहताजों से हों यूँही अहले मदरसा वक़्फ़े मदरसा के लिए शहादत दें तो गवाही मक़बूल है (ख़ानिया)यूँहीं मुतवल्ली और एक दूसरा शख़्स दोनों गवाही दें कि यह मकान फ़ुलाँ मस्जिद पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक मकान एक शख़्स के क़ब्ज़ा में है दूसरे शख़्स ने गवाहों से साबित किया कि उस पर वक़्फ़ है और मुतवल्ली मस्जिद ने गवाहों से यह साबित किया कि मस्जिद पर वक़्फ़ है अगर दोनों ने वक़्फ़ की तारीख़ें ज़िक्र कीं तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है उस के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा वरना दोनों में निस्फ़ निस्फ़ कर दिया जायेगा (बहर्रुराइक़)

मसअला :– गवाहों ने यह गवाही दी कि फ़ुलाँ ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की और वाक़िफ़ ने उस के हुदूद नहीं बयान किए मगर कहते हैं कि हम उस ज़मीन को पहचानते हैं तो गवाही मक़बूल नहीं कि हो सकता है उस शख़्स की इस ज़मीन के एलावा कोई दूसरी ज़मीन भी हो और अगर गवाह कहते हों कि हमारे इल्म में उस की दूसरी ज़मीन नहीं जब भी क़बूल नहीं कि हो सकता है ज़मीन हो और उन के इल्म में न हो (ख़ानिया)यह उस सूरत में है जब कि वाक़िफ़ ने मुतलक़न ज़मीन का वक़्फ़ करना ज़िक्र किया और अगर ऐसे लफ़्ज़ से ज़िक्र किया कि गवाहों को मालूम हो गया कि फ़ुलाँ ज़मीन है जिस के यह हुदूद हैं क़ाज़ी के सामने हुदूद बयान भी करें तो गवाही मक़बूल होगी।(आलमगीरी)

मसअला :– गवाह कहते हैं वाक़िफ़ ने हुदूद बयान कर दिये थे मगर हम भूल गये तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर गवाहों ने दो हदें बयान कीं जब भी क़बूल नहीं। और तीन हदें बयान कर दीं तो गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअला :– गवाहों ने कहा कि फ़ुलाँ ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की जिसके हुदूद भी वाक़िफ़ ने बयान कर दिये मगर हम नहीं जानते यह ज़मीन कहाँ है तो गवाही मक़बूल है वक़्फ़ साबित होजायेगा। मगर मुद्दई को गवाहों से साबित करना होगा कि वह ज़मीन यह है (ख़ानिया)

मसअला :– गवाहों में इख़्तिलाफ़ हुआ कि एक कहता है मरने के बाद के लिए वक़्फ़ किया दूसरा कहता है वक़्फ़ सहीह तमाम है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर एक ने कहा सेहत में वक़्फ़ किया दूसरा कहता है मर्ज़ुलमौत में वक़्फ़ किया है तो यह इख़्तिलाफ़ सुबूते वक़्फ़ के मनाफ़ी नहीं(ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स फ़ौत हुआ उस ने दो लड़के छोड़े और एक के हाथ में बाप की जाइदाद है वह कहता है मेरे बाप ने यह जाइदाद मुझ पर वक़्फ़ कर दी है इस का दूसरा भाई कहता है वालिद ने हम दोनों पर वक़्फ़ की है और गवाह किसी के पास न हों तो दूसरे का क़ौल मोअ्तबर है जो दोनों पर वक़्फ़ होना बताता है (ख़ानिया)

मसअला :– एक ज़मीन चन्द भाईयों के क़ब्ज़ा में है वह सब बिल इत्तिफ़ाक़ यह बयान करते हैं कि हमारे बाप ने यह ज़मीन वक़्फ़ की है मगर हर एक वक़्फ़ का मसरफ़ अलाहिदा अलहिदा बताता है तो क़ाज़ी उस के मुतअ़ल्लिक़ यह फ़ैसला करेगा कि ज़मीन तो वक़्फ़ क़रार दी जाये और जिस ने जो मसरफ़ बयान किया उस का हिस्सा उन मसरफ़ में सर्फ़ किया जाये और क़ाज़ी उन में से जिस को चाहे मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे और अगर उन वुरसा में कोई नाबालिग़ या ग़ाइब है तो जब तक बालिग़ हो या हाज़िर न हो उसके हिस्से के मुतअ़ल्लिक़ कोई फ़ैसला न होगा (ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में मकान है उस पर किसी ने दअ़्वा किया कि यह मकान मअ़् ज़मीन के मेरा है क़ाबिज़ ने जवाब में कहा यह मकान मस्जिद पर वक़्फ़ है मगर मुद्दई ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित कर दी क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला दे दिया या दफ़्तर में लिख दिया उस के बाद मुद्दई यह इक़रार करता है ज़मीन वक़्फ़ है और सिर्फ़ इमारत मेरी है तो दअ़्वा भी बातिल हो गया और फ़ैसला भी और क़ाज़ी की तहरीर भी यानी पूरा मकान मअ़् ज़मीन वक़्फ़ ही क़रार पायेगा (ख़ानिया)

मसअला :– दो जायदादें हैं एक जायदाद जिस के क़बज़े में है मौजूद है और दूसरी जिस के क़बज़ा में है यह ग़ाइब है जो शख़्स मौजूद है उस पर किसी ने यह दअ़्वा किया कि यह दोनों जायदादें मेरे दादा की हैं कि उस ने अपनी औलाद पर नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ की हैं अगर गवाहों से यह साबित हुआ कि दोनों जायददें वाक़िफ़ की थीं और दोनों को एक साथ वक़्फ़ किया और दोनों एक ही वक़्फ़ है तो क़ाज़ी दोनों जाइदादों के वक़्फ़ का फ़ैसला देगा और अगर गवाहों ने उन का दो वक़्फ़ होना बयान किया तो जो मौजूद है उस के मक़ाबिल फ़ैसला होगा और उस के पास जो जाइदाद है वक़्फ़ क़रार पायेगी और ग़ाइब के मुतअ़ल्लिक़ अभी कोई फ़ैसला नहीं होगा आने पर होगा (आलमगीरी)

मसअला :– दो मन्ज़िला मकान मस्जिद से मुत्तसिल है मस्जिद में जो सफ़ बन्धती है वह नीचे वाली मन्ज़िल में मुत्तसिलन(मिलीहुई) चली आती है नीचे वाली मन्ज़िल में गर्मी, जाड़ों में नमाज़ भी पढ़ी जाती है अब अहले मस्जिद और मकान वालों में इख़्तिलाफ़ हुआ मकान वाले कहते हैं कि यह मकान हमें मीरास में मिला है तो उन्हीं का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– गवाहों ने गवाही दी कि इस मकान में जो कुछ उस का हिस्सा था या जो कुछ उसे अपने बाप के तरका से मिला था वक़्फ़ कर दिया मगर गवाहों को यह नहीं मालूम कि हिस्सा कितना है तरका में कितना मिला है जब भी शहादत मक़बूल है और अगर वाक़िफ़ के मक़ाबिल में गवाहों ने बयान किया कि उस ने वक़्फ़ करने का इक़रार किया और हम को नहीं मालूम कि वह कौनसा मकान या ज़मीन है तो क़ाज़ी वाक़िफ़ को मजबूर करेगा कि जाइदाद मौक़ूफ़ा को बयान करे जो बयान कर दे वही वक़्फ़ है (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ्वा किया कि उस ने यह ज़मीन मसाकीन पर वक़्फ़ कर दी है वह इन्कार करता है मुद्दई ने इकरार के गवाह पेश किए तो गवाही मक़्बूल है और वक़्फ़ सहीह है और उस के हाथ से ज़मीन निकाल ली जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– किसी शख़्स ने मस्जिद बनाई या अपनी ज़मीन को क़ब्रिस्तान या मुसाफ़िर ख़ाना बनाया या एक शख़्स दअ्वा करता है कि ज़मीन मेरी है और बानी कहीं चला गया है मौजूद नहीं है तो अगर बाज़ अहले मस्जिद के मक़ाबिल में फ़ैसला हो गया तो सब के मक़ाबिल में होगया और मुसाफ़िर ख़ाना के लिए यह ज़रूर है कि बानी या नाइब के मक़ाबिल में फ़ैसला हो उन की अदम मौजूदगी में कुछ नहीं किया जा सकता (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ के बाज़ मुस्तहक़ीन दअ्वा में सब के क़ाइम मक़ाम हो सकते हैं यानी एक के मक़ाबिल में जो फ़ैसला होगा वही सब के मुक़ाबिल में नाफ़िज़ होगा यह जब कि अस्ल वक़्फ़ साबित हो यूँहीं बाज़ वारिस तमाम वारिसों के क़ाइम मक़ाम हैं यानी अगर मय्यत पर या मय्यत की तरफ़ से दअ्वा हो तो एक वारिस पर या एक वारिस का दअ्वा करना काफ़ी है यूँहीं अगर मदयून(क़र्ज़ दार) का दीवालिया होना एक क़र्ज़ ख़्वाह के मक़ाबिल में साबित हुआ तो यह सभी के मुक़ाबिल सुबूत हो गया कि दूसरे क़र्ज़ख़्वाह भी उसे क़ैद नहीं करा सकते।

मसअला :– मस्जिद पर क़ुर्आन मजीद वक़्फ़ किया कि मस्जिद वाले या महल्ला वाले तिलावत करेंगे और ख़ुद उसी मस्जिद वाले वक़्फ़ की गवाही देते हैं तो यह गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स के हाथ में ज़मीन है वह कहता है यह फ़ुलाँ की है कि उस ने फ़ुलाँ काम के लिए वक़्फ़ की है और उस के वुरसा कहते हैं इस को हम पर और नस्ल पर वक़्फ़ की है और जब हमारी नस्ल नहीं रहेगी उस वक़्त फ़ुक़रा और मसाकीन पर सर्फ़ होगी और क़ाज़ी साबिक़ के दफ़्तर में कोई ऐसी तहरीर भी नहीं है जिस से औक़ाफ़ के मसारिफ़ मालूम हो सकें तो उस वक़्त वुरसा का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी)

वक़्फ़ नामा वग़ैरा दस्तावेज़ के मसाइल

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की और वक़्फ़ नामा भी तहरीर किया जिस पर लोगों की गवाहियाँ भी करायीं मगर हुदूद के लिखने में ग़लती हो गई दो हदें ठीक हैं और दो ग़लत तो जिस जानिब में ग़लती हुई है वह हदें उधर अगर मौजूद हैं अगर इस ज़मीन और उस हद के दरमियान दूसरे की ज़मीन, मकान, खेत वग़ैरा है तो वक़्फ़ जाइज़ है और उस की जितनी ज़मीन है वही होगी और अगर उस तरफ़ वह चीज़ ही नहीं जिस को हुदूद में ज़िक्र किया है न मुत्तसिल और न फ़सिले पर तो वक़्फ़ सहीह नहीं हाँ अगर यह जाइदाद इतनी मशहूर है कि हुदूद ज़िक्र करने की ज़रूरत ही न थी तो अब वक़्फ़ सहीह है। (ख़ानिया)

मसअला :– जाइदाद वक़्फ़ की और वक़्फ़ नामा लिखवा दिया और जो कुछ वक़्फ़ नामा में लिखा है उस पर गवाहियाँ भी कराईं मगर वह वाक़िफ़ अब कहता है कि मैंने तो यूँ वक़्फ़ किया था कि मुझे बैअ् करने का इख़्तियार होगा मगर कातिब ने इस शर्त को नहीं लिखा और मुझे यह नहीं मालूम कि वक़्फ़ नामा में क्या लिखा है अगर वक़्फ़ नामा ऐसी ज़बान में लिखा है जिस को वाक़िफ़ जानता है और पढ़ कर उसे सुनाया गया है और उस ने तमाम मज़मून का इकरार किया है तो वक़्फ़ सहीह है

और उस का कौल बातिल और अगर वक़्फ़ नामा की ज़बान नहीं जानता और गवाहों से यह साबित नहीं कि तरजमा कर के उसे सुनाया गया तो वाकिफ़ का कौल मोअ्तबर है और वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर गवाह यह कहते हैं कि उसे तरजमा कर के पूरा वक़्फ़ नामा सुनाया गया और उसने तमाम मज़मून का इक़रार किया और हम को गवाह बनाया जब भी वक़्फ़ सहीह है (खानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने यह चाहा कि अपनी कुल जाइदाद जो उस मोज़ेअ् (जगह या गाँव) में है सब को वक़्फ़ कर दे और कातिब से मर्ज़ में वक़्फ़ नामा लिखने को कहा कातिब ने दस्तावेज़ में बाज़ टुकड़े भूल कर नहीं लिखे और यह वक़्फ़ नामा पढ़ कर सुनाया कि फुलाँ इब्ने फुलाँ ने अपने फुलाँ मोज़ेअ् के तमाम टुकड़े वक़्फ़ कर दिये जिन की तफ़सील यह है और जो टुकड़ा लिखना भूल गया था उसे सुनाया भी नहीं और वाकिफ़ ने तमाम मज़मून का इक़रार किया तो वाकिफ़ ने सेहत में यह ख़बर दी थी कि जो कुछ उस मोज़ेअ् में उस का हिस्सा है सब को वक़्फ़ करने का इरादा है तो सब वक़्फ़ हो गये और अगर वाकिफ़ का इन्तिकाल हो गया मगर इन्तिकाल से पहले उस ने बताया कि मेरा यह इरादा है तो जो कुछ उस ने कहा है उसी का एअ्तिबार है (खानिया)

मसअ्ला :– एक औरत से महल्ला वालों ने यह कहा कि तू अपना मकान मस्जिद पर वक़्फ़ कर दे और यह शर्त कर दे कि अगर तुझे ज़रूरत होगी तो उसे बेचडालेगी औरत ने मन्ज़ूर किया और वक़्फ़ नामा लिखा गया मगर उस में यह शर्त नहीं लिखी और औरत से कहा कि वक़्फ़ नामा लिखवा दिया अगर वक़्फ़ नामा उसे पढ़ कर सुनाया गया और वक़्फ़ नामा की तहरीर औरत समझती है उस ने सुनकर इक़रार किया तो वक़्फ़ सहीह है और अगर उसे सुनाया ही नहीं या वक़्फ़ नामा की ज़बान ही नहीं समझती तो वक़्फ़ दुरुस्त नहीं (खानिया)

मसअ्ला :– तौलियत नामा या विसायत नामा किसी के नाम लिखा गया और उस में यह नहीं लिखा गया कि किस की जानिब से उस को मुतवल्ली या वसी किया गया तो यह दस्तवेज़ बेकार है क्योंकि काज़ी की जानिब से मुतवल्ली मुक़र्रर हो तो उसके अहकाम जुदा हैं और वाकिफ़ ने जिस को मुतवल्ली मुक़र्रर किया हो उस के अहकाम अ़लाहिदा हैं यूँहीं बाप की तरफ़ से वसी है या काज़ी की तरफ़ से या माँ,दादा वग़ैरा ने मुक़र्रर किया है कि उन के अहाकाम मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा यह मालूम होना ज़रूरी है कि किस ने मुतवल्ली या वसी किया है कि यह मालूम न होगा तो किस तरह अ़मल करेंगे और अगर यह तस्रीह कर दी है कि काज़ी ने मुतवल्ली या वसी मुक़र्रर किया है मगर उस काज़ी का नाम नहीं तो दस्तावेज़ सहीह है कि अव्वलन तो उस की ज़रूरत ही नहीं कि काज़ी का नाम मालूम किया जाये और अगर जानना चाहो तो तारीख़ से मालूम कर सकते हो कि उस वक़्त काज़ी कौन था (खानिया, आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक जाइदाद अशख़ासे मालूमीन (जो लोग मअ्लूम हैं) पर वक़्फ़ है उस के मुतवल्ली से एक शख़्स ने ज़मीन इजारा पर ली और किराया नामा लिखा गया उस में मुस्ताजिर और मुतवल्ली का नाम लिखा गया कि फुलाँ इब्ने फुलाँ जो फुलाँ वक़्फ़ का मुतवल्ली है मगर उस में वाकिफ़ का नाम नहीं लिखा जब भी किराया नामा सहीह है (खानिया)

वक़्फ़े इक़रार के मसाइल

मसअ्ला :– जो ज़मीन उस के क़ब्ज़ा में है उस की निस्बत यह कहा कि वक़्फ़ है तो यह कलामे वक़्फ़ का इक़रार है और वह ज़मीन वक़्फ़ क़रार पायेगी मगर उस के कहने से वक़्फ़ की इब्तिदा न होगी ताकि वक़्फ़ के तमाम शराइत उस वक़्त दरकार हों (आलमगीरी)

मसअला :– जो ज़मीन उस के कब्ज़ा में है उस के वक़्फ़ होने का इक़रार किया मगर न तो वाक़िफ़ का ज़िक्र किया कि किस ने वक़्फ़ किया न मुस्तहक़ीन को बताया कि किस पर ख़र्च होगी जब भी इक़रार सहीह है और यह ज़मीन फ़ुक़रा पर वक़्फ़ क़रार दीजायेगी और उस का वाक़िफ़ न इक़रार करने वाले को क़रार देंगे और न दूसरे को हाँ अगर गवाहों से साबित हो कि इक़रार से पहले यह ज़मीन ख़ुद उसी इक़रार करने वाले की थी तो अब यही वाक़िफ़ क़रार पायेगा और यही मुतवल्ली होगा कि फ़ुक़रा पर आमदनी तक़सीम करेगा मगर उसे यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को अपने बाद मुतवल्ली क़रार दे। (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ का इक़रार किया और वाक़िफ़ का भी नाम बताया मगर मुस्तहक़ीन को ज़िक्र न किया मसलन कहता है यह ज़मीन मेरे बाप की सदक़ा–ए–मौक़ूफ़ा है और उस का बाप फ़ौत होचुका है अगर उस के बाप पर दैन है तो यह इक़रार सहीह नहीं। ज़मीन दैन में बैअ़ कर दी जायेगी और अगर उस के बाप ने कोई वसियत की है तो तिहाई में वसियत नाफ़िज़ होगी उस के बाद जो कुछ बचे वह वक़्फ़ है कि उस की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगी यह उस सूरत में है कि उस के सिवा कोई दूसरा वारिस न हो और अगर दूसरा वारिस है जो वक़्फ़ से इन्कार करता है तो वह अपना हिस्सा लेगा और जो चाहे करेगा (ख़ानिया आलमगीरी)

मसअला :– जो ज़मीन कब्ज़ा में है उस की निस्बत इक़रार किया कि यह फ़ुलाँ लोगों पर वक़्फ़ है यानी चन्द शख़्सों के नाम लिए उस के बाद दूसरे लोगों पर वक़्फ़ बताता है या उन्हीं लोगों में कमी बेशी करता है तो उस पिछली बात का एअ़तिबार नहीं किया जायेगा पहली ही पर अ़मल होगा और अगर यह कह कर कि यह ज़मीन वक़्फ़ है सुकूत किया फिर सुकूत के बाद कहा कि फ़ुलाँ फ़ुलाँ पर वक़्फ़ है यानी चन्द शख़्सों के नाम ज़िक्र किए तो यह पिछली बात भी मोअ़तबर होगी यानी जिन लोगों के नाम लिए उन को आमदनी मिलेगी (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ की इज़ाफ़त किसी दूसरे शख़्स की तरफ़ करता है कहता है कि फ़ुलाँ ने यह ज़मीन वक़्फ़ की है अगर कोई मअ़रूफ़ शख़्स है और ज़िन्दा है तो उस से दरयाफ़्त करेंगे अगर वह उसकी तस्दीक़ करता है तो दोनों के तस्दीक़ करने से सब कुछ साबित हो गया और अगर वह यह कहता है कि मिल्क तो मेरी है मगर वक़्फ़ मैंने नहीं किया है तो मिल्क दोनों के तस्दीक़ से साबित हुई और वक़्फ़ साबित न हुआ और अगर वह शख़्स मर गया है तो उस के वुरसा से दरयाफ़्त करेंगे अगर सब उस की तस्दीक़ करते हैं या सब तकज़ीब करते हैं तो जैसा कहते हैं उस के मुवाफ़िक़ किया जाये और अगर बाज़ वुरसा वक़्फ़ मानते हैं और बाज़ इन्कार करते हैं तो जो वक़्फ़ कहता है उस का हिस्सा वक़्फ़ है और जो इन्कार करता है उस का हिस्सा वक़्फ़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ को इक़रार में ज़िक्र नहीं किया मगर मुस्तहक़ीन का ज़िक्र किया मसलन कहता है यह ज़मीन मुझ पर और मेरी औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है तो इक़रार मक़बूल है और यही उस का मुतवल्ली होगा फिर अगर किसी ने इस पर दअ़वा किया कि यह मुझ पर वक़्फ़ है और उसी मुक़िर अव्वल ने तस्दीक़ की तो ख़ुद उस के अपने हिस्से में तस्दीक़ का असर हो सकता है औलाद व नस्ल के हिस्सों में तस्दीक़ नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– इक़रार किया कि यह ज़मीन फ़ुलाँ काम पर वक़्फ़ है उस के बाद फिर कोई दूसरा काम बताया कि उस पर वक़्फ़ है तो पहले जो कहा है उसी का एअ़तिबार है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने वक़्फ़ का इक़रार किया कि जो ज़मीन मेरे क़ब्ज़ा में है वक़्फ़ है इक़रार के बाद मरगया और वारिस के इल्म में यह है कि यह इक़रार ग़लत है इस बिना पर अ़दमे वक़्फ़ का दअ्वा करता है यह दअ्वा मसमूअ् नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में ज़मीन है उस के मुतअ़ल्लिक़ दो गवाह गवाही देते हैं कि उसने इक़रार किया है कि फुलाँ शख़्स और उस की औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है और दो शख़्स दूसरे गवाही देते हैं कि उस ने इक़रार किया है कि फुलाँ शख़्स (एक दूसरे का नाम लिया)और उस की औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है उस सूरत में अगर मालूम हो कि पहला इक़रार कौनसा है और दूसरा कौन सा तो पहला सहीह है और दूसरा बातिल और अगर मालूम न हो कि कौन पहले है कौन पीछे तो दोनों फरीक़ आधी आधी आमदनी तक़सीम करदें (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी दूसरे की ज़मीन के लिए कहा कि यह सदक़ा मौक़ूफ़ा है उस के बाद उस ज़मीन का यह शख़्स मालिक हो गया तो वक़्फ़ होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी जाइदाद ज़ैद और ज़ैद की औलाद और ज़ैद की नस्ल पर वक़्फ़ की और जब उस नस्ल से कोई नहीं रहेगा तो फुक़रा व मसाकीन पर वक़्फ़ है और ज़ैद यह कहता है कि यह वक़्फ़ मुझ पर और मेरी औलाद व नस्ल पर और अ़म्र पर है यानी ज़ैद ने अ़म्र का इज़ाफ़ा किया तो अव्वलन ज़ैद व औलाद ज़ैद पर आमदनी तक़सीम होगी फिर ज़ैद को जो कुछ मिला उस में अ़म्र को शरीक करेंगे औलादे ज़ैद के हिस्सों से अ़म्र को कोई तअ़ल्लुक़ नहीं होगा और यह भी उस वक़्त तक है जब तक ज़ैद ज़िन्दा है उस के इन्तिक़ाल के बाद अ़म्र को कुछ नहीं मिलेगा कि अ़म्र को जो कुछ मिलता था वह ज़ैद के इक़रार की वजह से उस के हिस्सा से मिलता था और जब ज़ैद मर गया उस का इक़रार व हिस्सा सब ख़त्म हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में ज़मीन या मकान है उस पर दूसरे ने दअ्वा किया कि यह मेरा है क़ाबिज़ ने जवाब में कहा कि यह फुलाँ शख़्स ने मसाकीन पर वक़्फ़ किया है और मेरे क़ब्ज़ा में दिया है इस इक़रार की बिना पर वक़्फ़ का हुक्म तो हो जायेगा मगर मुद्दई का दअ्वा उस पर बदस्तूर बाक़ी है यहाँ तक कि मुद्दई की ख़्वाहिश पर मुद्दआ अ़लैहि से क़ाज़ी हल्फ़ लेगा अगर हल्फ़ से नकूल करेगा तो ज़मीन की क़ीमत उस से मुद्दई को दिलाई जायेगी और जाइदाद वक़्फ़ रहेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस के क़ब्ज़ा में मकान है उस ने कहा कि एक मुसलमान ने उस को उमूरे ख़ैर पर वक़्फ़ किया है और मुझ को उस का मुतवल्ली किया है थोड़े दिनों के बाद एक शख़्स आता है और कहता है कि यह मकान मेरा था मैंने इन उमूर पर उस को वक़्फ़ किया था और तेरी निगरानी में दिया था और चाहता यह है कि मकान अपने क़ब्ज़ा में करे तो अगर पहला शख़्स उस की तस्दीक़ करता है कि वाक़िफ़ यही है तो क़ब्ज़ा कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने मकान या ज़मीन वक़्फ़ कर के किसी की निगरानी में देदिया और यह निगराँ इन्कार करता है कहता है कि उस ने मुझे नहीं दिया है तो ग़ासिब है उस के हाथ से वक़्फ़ को ज़रूर निकाल लिया जाये और अगर उस में कुछ नुक़सान पहुँचाया है तो उस का तावान देना पड़ेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन को ग़सब किया और उस में दरख़्त वग़ैरा भी थे और ग़ासिब उस को वापस करना चाहता है तो दरख़्तों की आमदनी भी वापस करनी पड़ेगी अगर वह बिऐ़निही मौजूद है और ख़र्च हो गई है तो उस का तावान दे और ग़ासिब से वापस करने में जो कुछ मुनाफ़अ् या उन

का तावान वापस लिया जाये वह उन लोगों पर तक़सीम कर दिया जाये जिन पर वक़्फ़ की आमदनी सर्फ़ होती है और ख़ुद वक़्फ़ में कुछ नुक़सान पहुँचाया और उसका तावान लिया गया तो यह तक़सीम नहीं करेंगे बल्कि ख़ुद वक़्फ़ की दुरूस्ती में सर्फ़ करें (आलमगीरी वग़ैरा)

मरीज़ के वक़्फ़ करने का बयान

मसअ्ला :– मरज़ुल मौत में अपने माल की एक तिहाई वक़्फ़ कर सकता है उस को कोई रोक नहीं सकता तिहाई से ज़्यादा का वक़्फ़ किया और उस का कोई वारिस नहीं तो जितना वक़्फ़ किया सब जाइज़ है और वारिस हो तो वुरसा की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है अगर वुरसा जाइज़ कर दें तो जो कुछ वक़्फ़ किया सब सहीह व नाफ़िज़ है और वुरसा इन्कार करें तो एक तिहाई की क़द्र का वक़्फ़ दुरूस्त है इस से ज़्यादा का बातिल और अगर वुरसा में इख़्तिलाफ़ हुआ बाज़ ने वक़्फ़ को जाइज़ रखा और बाज़ ने रद कर दिया तो एक तिहाई वक़्फ़ है और उस से ज़्यादा में जिस ने जाइज़ रखा उस का हिस्सा वक़्फ़ है और जिसने रद कर दिया उस का हिस्सा वक़्फ़ नहीं मसलन एक शख़्स की नौ बीघा ज़मीन थी और कुल वक़्फ़ कर दी उस के तीन लड़के हैं एक लड़का बाप के वक़्फ़ को ज़ाइज़ रखता है और दो ने रद कर दिया तो पाँच बीघे वक़्फ़ के हुए और चार बीघे दो लड़कों को तरका में मिलेंगे कि तीन बीघे तो तिहाई की वजह से वक़्फ़ हुए और दो बीघे उस लड़के के हिस्से के जिसने जाइज़ रखा है और अगर इस सूरत में छः बीघे वक़्फ़ करे तो चार बीघे वक़्फ़ होंगे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने वक़्फ़ किया था वुरसा ने जाइज़ नहीं रखा इस वजह से एक तिहाई में क़ाज़ी ने वक़्फ़ को जाइज़ किया और दो तिहाई में बातिल कर दिया उस के बाद वक़्फ़ के किसी और माल का पता चला कि यह कुल जाइदाद जिस को वक़्फ़ किया है उस की तिहाई के अन्दर है तो अगर वह तिहाईयाँ जो वुरसा को दी गई थीं वुरसा के पास मौजूद हों तो कुल वक़्फ़ है और अगर वारिसों ने बैअ् कर डाली है तो बैअ् दुरुस्त है मगर इतनी ही क़ीमत की दूसरी जायदाद ख़रीद कर वक़्फ़ कर दी जाये (आलमगीरी ख़ानिया)

मसअ्ला :– नरीज़ ने अपनी कुल जाइदाद वक़्फ़ कर दी और उसकी वारिस सिर्फ़ ज़ौजा है अगर उस ने वक़्फ़ को जाइज़ कर दिया जब तो कुल जाइदाद वक़्फ़ है वरना कुल माल का छटा हिस्सा ज़ौजा पायेगी बाक़ी पाँच हिस्से वक़्फ़ हैं (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मरीज़ पर इतना दैन है कि उस की तमाम जाइदाद को घेरे हुए है उस ने अपनी जायदाद वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ नहीं बल्कि तमाम जाइदाद बेचकर दैन(क़र्ज़)अदा किया जायेगा और तन्दुरुस्त पर ऐसा दैन होता तो वक़्फ़ सहीह होता मगर जब कि हाकिम की तरफ़ से उस के तसर्रूफ़ात रोक दिए हों तो उस का वक़्फ़ भी सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– राहिन ने जायदादे मरहूना (गिरवीं जायदाद)वक़्फ़ कर दी अगर उस के पास दूसरा माल है तो उस से दैन अदा करने का हुक्म दिया जायेगा और वक़्फ़ सहीह होगा और दूसरा माल न हो तो मरहून(रहन रखा हुआ) को बैअ् कर के दैन अदा किया जायेगा और वक़्फ़ बातिल है(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने एक जाइदाद वक़्फ़ की जो तिहाई के अन्दर थी मगर उस के मरने से पहले माल हलाक हो गया कि अब तिहाई से ज़्यादा है या मरने के बाद माल की तक़सीम हो कर वुरसा को नहीं मिला था कि हलाक हो गया तो उसकी एक तिहाई वक़्फ़ होगी और दो तिहाईयों में मीरास जारी होगी (आलमगीरी)

जारी होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने ज़मीन वक़्फ़ की और उस में दरख़्त हैं जिन में वाकिफ़ के मरने से पहले फल आये तो फल वक़्फ़ के हैं और अगर जिस दिन वक़्फ़ किया था उसी दिन फल मौजूद थे तो यह फल वक़्फ़ के नहीं बल्कि मीरास हैं कि वुरसा पर तक़सीम होंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने बयान किया मैं वक़्फ़ का मुतवल्ली था और उसकी इतनी आमदनी अपने सर्फ़ में लाया लिहाज़ा यह रक़म मेरे माल से अदा कर दी जाये या यह कहा कि मैंने इतने साल की ज़कात नहीं दी है मेरी तरफ़ से ज़कात अदा की जाये अगर वुरसा उस की बात की तस्दीक़ करते हों तो वक़्फ़ का रुपया तमाम माल से अदा किया जाये यानी वक़्फ़ का रुपया अदा करने के बाद कुछ बचे तो वारिसों को मिलेगा वरना नहीं और ज़कात तिहाई माल से अदा की जाये यानी उस से ज़्यादा के लिए वारिस मजबूर नहीं किए जा सकते अपनी ख़ुशी से कुल माल अदाए ज़कात सर्फ़ कर दें तो कर सकते हैं और अगर वारिस उस के कलाम की तकज़ीब करते हैं कहते हैं उस ने ग़लत बयान किया तो वक़्फ़ और ज़कात दोनों में तिहाई माल दिया जायेगा मगर तकज़ीब की सूरत में वक़्फ़ का मुतवल्ली व मुन्तज़िम वारिसों पर हल्फ़ देगा कि क़सम खायें हमें नहीं मालूम है कि जोकुछ मरीज़ ने बयान किया वह सच है अगर कसम खालेंगे तिहाई माल तक वक़्फ़ के लिए ि जायेगा और क़सम से इन्कार करें तो वक़्फ़ का रुपया जमीअ़ माल से लिया जायेगा और ज़कातबहर सूरत एक तिहाई से अदा करनी ज़रूरी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सेहत में वक़्फ़ किया था और मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया था मगर उस की आमदनी को सर्फ़ करना अपने इख़्तियार में रखा था कि जिसे चाहेगा देगा वाकिफ़ ने मरते वक़्त वसी से यहकह दिया कि तुम जो मुनासिब देखना करना और वाकिफ़ मर गया और उस का एक लड़का तंगदस्त है तो बनिस्बत औरों के उस लड़के को देना बेहतर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मरने पर वक़्फ़ को मुअ़ल्लक़ किया है तो यह वक़्फ़ नहीं बल्कि वसियत है लिहाज़ा मरने से कब्ल उस में रुजूअ़ कर सकता है और एक ही सुलुस (तिहाई) में जारी होगी (दुर्रे मुख़्तार)

वल्लाहु तआला अअ्लमु व इल्मुहू जल्ल मजदहू अतम्म व अहकम

फ़कीर अबुलउ़ला मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी उ़फ़िय अ़न्हु

15 रमज़ाने मुबारक 1349 हिजरी।

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

रजब 1431 हिजरी

मुताबिक 2010 जून

मोबाइल–9219132423

राब्ते का पता

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

ग्रा0शाहबाज़पुर पो0बरसेर सिकन्दर पुर जि0बरेली यू0पी0मो–09219132423